खंड ६—अंक—३५
३ सितम्बर, १९५६, (सोमवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

(XIII Session)

(खण्ड ६ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

पच्चीस नये पैसे (देश में) एक शिलिंग (विदेश में)

237 L.S. 56

विषयसूचि

(भाग १—खंड ६—अंक २१ से ४०—१३ अगस्त से ८ सितम्बर, १९५६)

पृष्ठ

अंक २१—सोमवार, १३ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९४ से १००४, १००६ से १००८, १०१० से १०१२ १०१५, १०१६, १०१८, १०१९, १०२१, १०२२, १०२५ और १०२६ . . . . . ६०१–२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १००५, १००९, १०१३, १०१४, १०१७, १०२०, १०२३, १०२४, १०२७ से १०२९ और १०३१ से १०४९ ९२३–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०४ से ६११ और ६१३ से ६५२ . . ९३४–४९

दैनिक संक्षेपिका ९५०–५३

अंक २२—मंगलवार, १४ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५०, १०५१, १०५३, १०५४, १०५६ से १०५८, १०६०, १०६१, १०६४, १०६५, १०६७, १०६८, १०७१ से १०७५ १०७७ से १०७९ और १०८१ . . . . ९५५–७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५२, १०५५, १०५९, १०६२, १०६३, १०६६, १०६९, १०७०, १०७६, १०८०, १०८२ से १११३ और ७७७ . . . . . ९७५–९१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५३ से ६७९ . . . ९९१–१००

प्रश्नों के उत्तरों की शुद्धि १०००

दैनिक संक्षेपिका १००१–०४

अंक २३—गुरूवार, १६ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११४, १११६ से ११२० ११२२ से ११२८, ११३२ से ११३८, ११४०, ११४२ से ११४४ और ११४७ . . १००५–२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११५, ११२१, ११२७, ११२९, से ११३१, ११३९ ११४१, ११४५, ११४६ और ११४८ से ११६१ . . १०२५–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ७३० . . . . १०३४–६०

दैनिक संक्षेपिका १०६१–६४

पृष्ठ

अंक २४—शुक्रवार, १७ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६३ से ११६९, ११७१, ११७२ और ११७४ से ११८४ . . . . . १०६५–८६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ और १० . . . . १०८६–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६२, ११७०, ११७३, ११८५ से ११९१ और ११९३ से १२०३ . . . . . १०८८–९४

अतारांकित प्रश्न संख्या ७३१ से ७३९ और ७४१ से ७६९ . . १०९५–११०६

दैनिक संक्षेपिका ११०७–०९

अंक २५—सोमवार, २० अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०८, १२११, १२१४, १२१६, १२१७, १२१९, १२२४, १२२५, १२२८ से १२३४, १२३७ से १२४० और १२४४ . ११११–३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०४ से १२०७, १२०९, १२१०, १२१२, १२१३ १२१५, १२१८, १२२० से १२२३, १२२६, १२४२, १२४३ और १२४५ से १२५३ . . . . . ११३२–४०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७० से ८०५ और ८०७ . . ११४०–५३

दैनिक संक्षेपिका ११५४–५७

अंक २६—बुधवार, २२ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५४ से १२५६, १२५८ से १२६०, १२६२, १२६३ १२६५, १२६७, १२६९ से १२७२, १२७४, १२७५ और १२७८ से १२८० . . . . . ११५९–७९

अल्प सूचना प्रश्नसंख्या ११ . . . . ११८०–८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५७, १२६१, १२६४, १२६६, १२६८, १२७३, १२७६, १२७७, १२८१ से १२९१, १२९३ से १३०० और ११९२ . . . . . ११८२–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या ८०८ से ८२० और ८२२ से ८५५ . ११९०–१२०४

दैनिक संक्षेपिका १२०५–०७

पृष्ठ

अंक २७—गुरूवार, २३ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०१ से १३०५, १३०७, १३११, १३१२, १३१६, १३१३, १३१९, १३२२ से १३२५, १३२७, १३४० और १३२९ से १३३२ . . . . . १२०९–२८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . १२२९–३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०६, १३०९, १३१०, १३१४, १३१५, १३१७ १३१८, १३२०, १३२१, १३२६, १३२८, १३३३, से १३३८, १३४१ और १३४२ . . . . . १२३१–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ८५६ से ८८४ . . १२३७–४९

दैनिक संक्षेपिका १२५०–५२

अंक २८—शुक्रवार, २४ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३४३ से १३४८, १३५० से १३५२, १३५५, १३५७, १३६०, १३६१, १३६४, १३६५, १३६८, से १३७२ और १३७४ से १३७७ . . . . . १२५३–७५

कुछ आपत्तिजनक बातों के बारे में अध्यक्ष के विचार . १२७५–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३४९, १३५३, १३५४, १३५६, १३५८, १३५९ १३६२, १३६३, १३६६, १३६७, १३७३ और १३७८ से १३९७ . १२७७–८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ८८९ और ८९१ से ९३३ . . १२८६–१३०३

दैनिक संक्षेपिका १३०४–०७

अंक २९—शनिवार, २५ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९८, १४००, १४०१, १४२८, १४०२ से १४०५ १४०७, १४०९ से १४१२, १४१५, १४१८ और १४१९ १३०९–२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९९, १४०६, १४०८, १४१३, १४१४, १४१६ १४१७, १४२० से १४२७ और १४२९ से १४४९ . १३२८–३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३४ से १०१२ . . . १३३९–७०

दैनिक संक्षेपिका १३७१–७५

पृष्ठ

अंक ३०—सोमवार, २७ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४५२, १४५४ से १४५९, १४६१ से १४६५, १४७०, १४७१, १४७३, १४७५ से १४७७, १४७९ और १४८० . १३७७–९९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ और १४ . . १३९९–१४०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४५०, १४५१, १४५३, १४६०, १४६६ से १४६९ १४७२, १४७४, १४७८ और १४८१ से १४८९ . . . १४०३–१०

अतारांकित प्रश्न संख्या १०१३ से १०३३ और १०३५ से १०६१ . १४१०–२७

दैनिक संक्षेपिका १४२८–३०

अंक ३१—मंगलवार, २८ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४९०, १४९२, १४९१, १४९३, १४९४, १४९६ से १५००, १५०२, १५०७ से १५०९, १५१२ और १५१३ . . १४३१–५१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५ . . . . . १४५१–५३

अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर में सभा-पटल पर रखे गये विवरण के बारे में १४५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४९५, १५०१, १५०३ से१५०६, १५१०, १५११ १५१४ से १५२० और १५२२ से १५३२ . १४५३–६२

अतारांकित प्रश्न संख्या १०६२, १०६३, १०६५ से १०६९, १०७१ से १०७३ और १०७५, से १०८५ . . . . १४६२–६९

दैनिक संक्षेपिका १४७०–७३

अंक ३२—गुरुवार, ३० अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५३४, १५३६, १५३७, १५३९ से १५४५, १५५२ १५५३, १५५८ से १५६१, १५६३, १५६४ और १५६६ से १५६८ १४७५–९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५३३ १५३५, १५३८, १५४६ से १५५१, १५५४ से १५५७, १५६५, १५६९ से १५८१ और १५८३ से १५८५ . १४९७–१५०७

अतारांकित प्रश्न संख्या १०८६ से ११७४ . . . १५०७–३९

दैनिक संक्षेपिका १५४०–४५

पृष्ठ

अंक ३३—शुक्रवार, ३१ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५८६ से १५९२, १५९४ से १६०१, १६०३, १६०४, १६०६ १६०८, १६०९ और १६१२ . . . १५४७–६९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६ . . . . १५६९–७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५९३, १६०२, १६०५, १६०७, १६१०, १६११ और १६१३ से १६२९ . . . . १५७१–७९

अतारांकित प्रश्न संख्या ११७५ से १२११ . . . १५७९–९३

दैनिक संक्षेपिका १५९५–९७

अंक ३४—शनिवार, १ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६३० से १६३९, १६४३, १६४४, १६४६ से १६४८ १६५०, १६५३, १६५४, १६५६, १६५७ और १६६०से १६६२ १५९९–१६२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६४० से १६४२, १६४५, १६४९, १६५१, १६५२ १६५५, १६५८, १६५९ और १६६३ से १६८१ . . १६२१–३०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७ . . . . १६३०–३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १२१२ से १२५० . . . १६३१–४३

दैनिक संक्षेपिका— १६४४–४६

अंक ३५—सोमवार, ३ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६८२ से १६८७, १६८९ से १६९४, १६९६, १६९८ से १७०१ और १७०३ से १७०७ . . . १६४७–६९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८ और १९ . . . . १६६९–७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६८८, १६९५, १६९७, १७०२, १७०८ से १७२१ १६७३–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या १२५१ से १२८७ . . . १६ ८–९

दैनिक संक्षेपिका १६९४–९६

पृष्ठ

अंक ३६ —मंगलवार, ४ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७२२ से १७३०, १७५२, १७३३ से १७३५, १७३७ से १७४० और १७४२ से १७४४ . . . १६९७–१७२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७३२, १७३६, १६४१, १७४५ से १७४७, १७४९ से १७५१, १७५३ से १७६१ और १७६३ से १७६८ . . १७२०–२९

अतारांकित प्रश्न संख्या १२८८ से १३२९ . . . १७२९–४१

दैनिक संक्षेपिका १७४२–४५

अंक ३७—बुधवार, ५ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७६९ से १७७८, १७८० से १७८३, १७८५, १७८६ और १७८८ से १७९१ . . . १७४७–६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७७९, १७८४, १७८७, १७९२ से १७९७ और १७९९ से १८१४ . . . . . १७६९–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३३० से १३६७ . . . १७७८–९५

दैनिक संक्षेपिका— १७९६–९९

अंक ३८—गुरुवार, ६ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८१५ से १८२१, १८२५, १८२६, १८२९, १८३० और १८३२ से १८३६ . . . . १८०१–२०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २० . . . . १८२०–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८२२ से १८२४, १८२७, १८२८, १८३१, १८३७ से १८६३ और १८६५ से १८६९ . . . १८२२–३३

अतारांकित प्रश्न संख्या १३६८ से १४१९ . . . १८३३–५२

दैनिक संक्षेपिका १८५३–५६

पृष्ठ

अंक ३९—शुक्रवार, ७ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८७०, १८७२ से १८७९, १८८२ से १८८६ और १८८८ से १८९३ . . . १८५७–७८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८७१, १८८०, १८८७ और १८९४ से १९०३ . १८७९–८३

अतारांकित प्रश्न संख्या १४२० से १४४९ . . १८८३–९३

दैनिक संक्षेपिका — . . . १८९४–९६

अंक ४०—शनिवार, ८ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९०४, १९०९ से १९१२, १९१४ १९१६, १९१८ १९१९ १९२१, १९२४ से १९२७ और १९३० से १९३४ . १८९७–१९१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९०५ से १९०८, १९१३, १९१५, १९२०, १९२२ १९२३, १९२८, १९३५ से १९४१, १९४३ और १९४४ . १९१८–२४

अतारांकित प्रश्न संख्या १४५० से १४७९ और १४८१ से १४८८ . १९२४–३८

दैनिक संक्षेपिका १९३९–४१

भा० स० मु० ना० —वि०३—२४२ लोक सभा ५६—२३-४-५८—१९०

लोक-सभा

सोमवार, ३ सितम्बर, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक

†*१६८२. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों के लिये एक केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक बनाना सम्भव हो सका है ;

(ख) यदि नहीं, तो उनके मार्ग में क्या कठिनाइयां हैं ; और

(ग) विद्यमान भूमि बन्धक बैंकों के नाम और उनमें से प्रत्येक की अधिकृत[1] और प्रदत्त[2] पूंजी कितनी है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी नहीं।

(ख) उत्तर प्रदेश में व्यवहार न्यायालय की डिग्री बिना, भूमि बन्धक बैंक की बकाया राशि वसूल करने के लिये अधिकांश कृषकों (सीरदारों) को भूमि बेचने की अनुमति कानून नहीं देता, जब कि जम्मू तथा काश्मीर में कम भूमि को देखते हुए दीर्घकालिक ऋणों की आवश्यकता नहीं समझी गई थी। अन्य राज्यों में जैसा कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में व्यवस्था है, केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों को संगठित करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। किन्तु इस प्रश्न पर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात् विचार किया जायेगा।

(ग) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ३२**]

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या केन्द्रीय सरकार ने उन राज्य सरकारों को निकट भविष्य में ऐसे बैंक खोलने के लिये प्रोत्साहित करने के बारे में कार्यवाही की है अथवा करने का विचार करती है जिनमें ऐसे बैंक खोलने की सम्भावना पाई जाती ह ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : इस बारे में हमारी एक विशेष योजना है और मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य उस योजना की सारी विस्तृत बातें जानते हैं।

†**श्री श्रीनारायण दास** : मैं जानना यह चाहता हूं कि इन बैंकों की स्थापना करने के लिये केन्द्रीय सरकार किस विशेष प्रकार का प्रोत्साहन देने का विचार करती है ?

---

†मूल अंग्रजी में

[1] Authorised.

[2] Paid up

†**डा० पं० शा० देशमुख :** हमारा विचार देश में अधिक सहकारी ऋण देने का है और इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिये प्रत्येक आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

†**श्री ब० स० मूर्ति :** क्या किसी राज्य में एक से अधिक केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक हैं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मैं पूर्व सूचना चाहूंगा ।

†**श्री वेलायुधन :** प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर के संबंध में, क्या मैं यह जान सकता हूं कि त्रावणकोर-कोचीन राज्य में एक भूमि बन्धक बैंक है जो केवल पहले वाले कोचीन राज्य में कार्य कर रहा है, और यदि हां, तो फिर इसे सारे राज्य में क्यों नहीं चलाया जाता ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** यह विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा । इसका तात्पर्य यह नहीं कि अन्य भागों में यह बैंक नहीं होना चाहिये अपितु: संभवत: कुछ परिस्थितियोंवश ऐसा होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस बैंक को बढ़ाया जा सकता है ।

सरकारी भवनों का निर्माण

†***१६८३. श्री डाभी :** क्या **संचार** मंत्री २८ मई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २५७७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्णरूपेण संचार मंत्रालय के निर्माण कार्यक्रम के लिये सरकार ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अलग डिवीजन बनाने के संबंध में कोई योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) तथा (ख). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ३३**]

†**श्री डाभी :** इस योजना से संचार मंत्रालय के निर्माण कार्यक्रम में कहां तक शीघ्रता हो सकेगी ?

†**श्री राज बहादुर :** माननीय सदस्य जानते हैं कि हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में डाक तथा तार भवनों के लिये १० करोड़ रुपये और दूर-संचार[1] भवनों के लिये लगभग ५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की है । हम आशा करते हैं कि हम इन राशियों को व्यय करके वे भवन बनवा सकेंगे जिनके लिये इन राशियों की व्यवस्था की गई है ।

†**श्री डाभी :** मेरा प्रश्न तो यह था कि मंत्रालय के निर्माण कार्यक्रम में इस नई योजना से कहां तक शीघ्रता हो सकेगी ?

†**श्री राज बहादुर :** प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने इन भवनों पर लगभग ५,९१,००,००० रुपया व्यय किया था । अब १० करोड़ रुपये की व्यवस्था है जिसका अर्थ है कि इसमे वृद्धि हो जायगी ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** प्रत्येक वर्ष डाक तथा तार विभाग के भवन निर्माण के लिये आवंटित राशि का कुछ न कुछ अंश व्यपगत होने दिया जाता है । मंत्रालय द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या विशेष कार्यवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] tele-communications.

†**श्री राज बहादुर :** सभा यह जानती है कि नियंत्रण एक प्रकार का विभाजित नियंत्रण होने के कारण हम प्रति वर्ष आय-व्ययक में उपबन्धित सारी राशि व्यय नहीं कर पाये हैं। हमारे निर्माण कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किये जाते हैं। उस विभाग में भी हमारे निर्माण कार्य तीन विभिन्न चीफ इंजीनियरों के अधीन थे। अब हमने डाक तथा तार और संचार मंत्रालय के सभी निर्माण कार्य एक अतिरिक्त चीफ इंजीनियर के अधीन कर दिये हैं जो संचार मंत्रालय के निर्माण कार्यों के लिये उत्तरदायी होगा। हम संचार मंत्रालय के प्रतिनिधियों तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रतिनिधियों के बीच समय समय पर बैठकें करते हैं। इसके अलावा, एक सम्पर्क शाखा भी स्थापित की गई है और उन विभिन्न प्रक्रियाओं में शीघ्रता की जायेगी जो उसकी पूर्ण कार्यान्विति से पहले होती हैं। हमने जो कार्यवाही की है उसके संबंध में इस समय मैं इतना ही कह सकता हूं।

†**श्री वीरस्वामी :** ये भवन दिल्ली में ही बनवाये जायेंगे अथवा दूसरे राज्यों में भी, और यदि हां, तो किन-किन राज्यों में ये भवन बनाये जायेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह सम्पूर्ण भारत में किया जायेगा

†**श्री राज बहादुर :** यह कार्यक्रम सारे देश में फैला हुआ है।

†**श्री अ. म. थामस :** दोहरे नियंत्रण से बचने के लिये संचार मंत्रालय के अधीन अपने भी निर्माण कार्य रखने में केन्द्रीय सरकार को क्या कठिनाई है ?

†**श्री राज बहादुर :** इस मंत्रालय संबंधी निर्माण कार्यों का केन्द्रीयकरण करके एक अतिरिक्त चीफ इंजीनियर के अधीन रखने का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है क्योंकि निर्माण कार्यों का उत्तरदायित्व केवल एक प्राधिकार पर नहीं रहेगा। प्रशासकीय तन्त्र, वित्त तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बीच आवश्यक सम्पर्क स्थापित किया जायेगा और मैं समझता हूं कि पहले जैसा विलम्ब अब नहीं होगा।

केन्द्रीय चावल गवेषणा संस्था

† *१६८४. **श्री राम कृष्ण :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय चावल गवेषणा संस्था चावलों की किस्म सुधारने के लिये उपकेन्द्रों की स्थापना करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कौन कौन से राज्य चुने गये हैं और योजना की अन्य विशेषताएं क्या हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) तथा (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबंध संख्या ३४**]

†**श्री राम कृष्ण :** स्थान का प्रश्न कब तक तय हो जायेगा ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** कार्यक्रम क्रमों के अनुसार लिया जायेगा। पहिले हम १९५६–५७ में लवण-रोधी योजना आरम्भ करने जा रहे हैं। बाढ को रोकने तथा गहरे जल में होने वाले धानों के संबंध में दूसरी योजना १९५७–५८ में आरम्भ की जायेगी। पहाड़ी आनों के बारे में तीसरी योजना १९५८–५९ में आरम्भ की जायेगी। इस समय में स्थान बताने में असमर्थ हूं।

†**श्री राम कृष्ण :** इन योजनाओं पर कुल कितनी राशि व्यय की जायेगी ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** सम्पूर्ण योजना काल में इन तीनों योजनाओं पर कुल १३·८० लाख रुपया व्यय किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या प्राक्कलन समिति की यह सिफारिश कि केन्द्रीय चावल गवेषणा संस्था के विशेषज्ञों को अन्य राज्यों को देखने जाना चाहिये, कार्यान्वित की गई है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** यह प्रश्न उन तीन उपकेन्द्रों की स्थापना करने के संबंध में है, जो केन्द्रीय चावल गवेषणा संस्था की देख-भाल में रहेंगे। पूर्व सूचना बिना मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकूंगा।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी :** क्या इनमें से कुछ अस्थायी केन्द्र स्थायी बना दिये जायेंगे और उनका अपने क्षेत्र में विस्तार किया जायेगा ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मैं पूर्व सूचना चाहूंगा।

यात्री सुविधायें

†*१६८५. **श्री झूलन सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पूर्वोत्तर रेलवे पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं संबंधी शिकायतों के अतिरिक्त चलती गाड़ियों में पानी, बिजली और पंखों के अनियमित संभरण की ओर आकर्षित किया गया है जो पूर्वोत्तर रेलवे के क्षेत्र से आने वाले संसद् सदस्यों ने शिकायत पुस्तक में दर्ज की है अथवा अन्यथा की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये जिस अभिकरण की व्यवस्था की गई है उसकी दशा सुधारने के लिये कोई प्रबन्ध किया गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां):** (क) इन मदों विशेष के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) जी हां।

†**श्री झूलन सिंह :** पूर्वोत्तर रेलवे पर हमें होने वाली असुविधाओं की स्वीकारता संबंधी बातों पर खेद प्रकार की जो बहुत सी सामग्री हमारे पास है उसकी दृष्टि में क्या सरकार वहां के प्रशासन को ठीक करने के लिये कोई अच्छा पदाधिकारी नियुक्त करने का विचार करती है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** पूर्वोत्तर रेलवे में पदाधिकारी की नियुक्ति करने में किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं रखा जाता। हम तो पूर्वोत्तर रेलवे के पदाधिकारियों को अन्य रेलों के पदाधिकारियों के समान ही समझतें हैं।

†**श्री फीरोज गांधी :** ३१ तारीख की रात में मैं पठानकोट एक्सप्रेस से झांसी गया। सौभाग्यवश अथवा दुर्भाग्यवश, श्री कामत और मैं एक ही डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। गाड़ी के चलते ही बत्तियां बुझ गईं और न केवल एक डिब्बे में ही अपितु छः डिब्बों में पंखे बन्द हो गये और प्रातः तीन बजे झांसी पहुंचने से पहले पंखों और बत्तियों को ठीक करने कोई भी नहीं आया। क्या किसी पदाधिकारी के द्वारा नियमित रूप से जांच करने का कोई प्रबन्ध है, और क्या इसका भी कोई प्रबन्ध है कि इस बात की जांच की जाये कि प्रत्येक चीज ठीक है या नहीं ?

†**श्री शाहनवाज खां :** उन स्टेशनों पर जहां गाड़ियां समाप्त होती हैं, बड़ी अच्छी तरह उनका निरीक्षण किया जाता है। कभी कभी करेंट का शार्ट सर्किट हो जाता है। किन्तु विभिन्न जंकशनों पर इलेक्ट्रीशियन रहते हैं और शिकायत होने पर वे उसको ठीक करते हैं।

†**श्री फीरोज गांधी :** क्या मैं कह सकता हूं कि सारे मार्ग पर इसको ठीक करने वाला कोई भी नहीं था ? मैंने पुरानी दिल्ली जंकशन से गाड़ी छूटने से पहले ही ट्रेन एग्जामीनर को यह चीज

---

†मूल अंग्रेजी में

बता दी थी और उसने कुछ किया भी किन्तु झांसी में पता यह लगा फ़्यूज़ नहीं हुआ था अपितु दिल्ली जंकशन पर 'कपलर' ही छूट गया था और इसी कारण सारे मार्ग पर बत्तियां और पंखे बन्द हो गये थे।

†**श्री शाहनवाज़ खां :** मुझे यह सुनकर बड़ा खेद है। मैं इसकी जांच करूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** वैयक्तिक शिकायतें माननीय मंत्री से की जा सकती हैं।

†**श्री फीरोज़ गांधी :** यह वैयक्तिक शिकायत नहीं है। यह शिकायत तो उन छः डिब्बों में यात्रा करने वाले सारे यात्रियों की है।

†**अध्यक्ष महोदय :** इन सुविधाओं पर आय-व्ययक के दौरान में पुनः चर्चा होगी।

†**श्रीमती सुषमा सेन :** जब हम हरद्वार से यात्रा कर रहे थे तो भी यही गड़बड़ी....

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रत्येक माननीय सदस्य को कुछ न कुछ कठिनाई हुई है।

†**श्रीमती सुषमा सेन :** वही शिकायत।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य यह भूल जाते हैं कि प्रश्न-काल जानकारी प्राप्त करने के लिये होता है। यदि उन्हें कोई असुविधा होती है तो वे माननीय मंत्री को ये चीजें बता सकते हैं, यदि वह उस पर कार्यवाही न करें तो सभा को इसकी सूचना दी जानी चाहिये।

†**कई माननीय सदस्य :** किस प्रकार ?

†**अध्यक्ष महोदय :** ऐसा प्रश्न पूछना कि अमुक व्यक्तियों द्वारा लिखे गये अमुक अमुक पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई है।

†**श्री देवेश्वर सर्मा :** यदि आप उचित समझें तो एक प्रश्न पूछने की अनुमति दे दें अन्यथा मेरे पूछने के पश्चात् उसे रद्द कर दें।

†**अध्यक्ष महोदय :** पूछिये।

†**श्री देवेश्वर सर्मा :** माननीय सदस्य श्री फीरोज गांधी जी को अनुभव हुआ है वह अपवाद न हो कर हमारी ओर तो नियम ही है। इस मामले में माननीय मंत्री क्या करने का विचार करते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह इस सब को आगामी आय-व्ययक सत्र के लिये सुरक्षित रख लें। माननीय सदस्यों को चाहिये कि वे ऐसा विशिष्ट प्रश्न पूछें जिसका विशिष्ट उत्तर हो और जिसकी जानकारी माननीय सदस्यों को न होकर सरकार को हो। यदि उन्होंने सरकार को कोई ऐसी बात बताई है जिसके बारे में वे समझते हैं कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है तो वे उसे एक प्रश्न के रूप में सभा में रख सकते हैं कि इस पर क्या कार्यवाही की गई है। सुविधाओं पर चर्चा प्रश्न-काल के दौरान में नहीं होनी चाहिये।

मशीन द्वारा गणना करना

†***१६८६. पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन राजस्व लेखा कार्यालय में मशीन द्वारा गणना करना प्रारम्भ कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक का अनुभव क्या रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) टेलीफोन राजस्व कार्यालय में टेलीफोन के किराये और ट्रंक काल संबंधी बिल तैयार करने और उनकी गणना करने में अनेक वर्षों से रेमिंगटन गणना मशीनें, बुरोग्स लिस्टिंग मशीनें और एड्रिमा प्रिंटिंग मशीनें आदि काम में लाई जा रही हैं। दिल्ली के टेलीफोन राजस्व लेखा कार्यालय में 'पावर सम्स मशीनों' पर छिद्रित कार्डों की सहायता से बिल और लेखा तैयार करने की प्रणाली की प्रयोगात्मक रूप से जांच की जा रही है और उसके परिणामों को बहुत ध्यान से देखा जा रहा है।

(ख) इस समय ट्रंक कॉल के बिल पावर सम्स मशीनों पर तैयार किये जा रहे हैं। इन मशीनों की सहायता से बिल और लेखा तैयार करने का कार्य अभी प्रयोगात्मक अवस्था में है।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : इस नई पद्धति के कारण जो लोग बेकार हो गये हैं उनको दोबारा नौकरी दिलाने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ? तथा कितने लोगों की इस प्रकार छटनी हो चुकी है और उनमें से कितने लोगों को नौकरी दिलाई जा चुकी है ?

†**श्री राज बहादुर** : यह यंत्रीकरण केवल व्यय को बचाने के लिये ही नहीं किया जाता है प्रत्युत यह कार्य में पटुता लाने के लिये भी किया जाता है। माननीय सदस्य को भली भांति विदित होगा कि १९४७ तक हमारे यहां प्रति वर्ष ४० लाख ट्रंक कॉलें होती थीं जब कि पिछले वर्ष इनकी संख्या १८० लाख तक बढ़ गई है। आजकल इनकी संख्या २३० लाख हो गई है। इस प्रकार इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। इस प्रकार बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये हमने कुछ सीमा तक यह यंत्रीकरण किया है। दिल्ली में जो यंत्रीकरण किया गया है वह अभी तक परीक्षात्मक स्तर पर ही है। इसकी देखभाल का वार्षिक व्यय केवल १२,४५८ रुपये होगा और इससे लगभग इतनी ही बचत भी हो जायेगी।

† **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या माननीय मंत्री यह समझते हैं कि यह सारी गणना मनुष्य नहीं कर सकते हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : वे इतनी जल्दी से इतनी ठीक तरह गणना नहीं कर सकते हैं जैसे कि ये मशीनें।

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी** : एक मशीन के कारण कितने लोगों को बेकार होना पड़ता है ?

†**श्री राज बहादुर** : मेरे लिये यह बताना तो बडा कठिन है कि वास्तव में एक मशीन के कारण कितने आदमी बेकार हो जाते हैं किन्तु मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि इस यंत्रीकरण की पद्धति के कारण अभी तक कोई आदमी बेकार नहीं हुआ है। जब कभी किसी स्थान पर इस कारण से कुछ ज्यादा आदमी हो जाते हैं तो उनको किसी दूसरे स्थान पर लगा दिया जाता है।

विमानों की अनुसूचित नहीं हुई उड़ानें

† ***१६८७. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **संचार** मंत्री २९ जुलाई, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २६६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने अनुसूचित विमान सेवाओं को प्रोत्साहित करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : सरकार केवल उन्हीं क्षेत्रों में अनुसूचित विमान सेवाओं की स्वीकृति देती है जहां पर विमान, निगम[1] की अनुसूचित सेवाएं नहीं हैं।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या सरकार अनुसूचित सेवाओं का वस्तु भाड़ा निश्चित करने के लिये कोई पद्धति प्रचलित करने का विचार कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Air Corporation.

†**श्री राज बहादुर** : विमान परिवहन अनुज्ञापन बोर्ड किराया तथा भाडा निश्चित करता है तथा अननुसूचित विमानों को भी उसके द्वारा निश्चित की गई अधिकतम तथा न्यूनतम सीमा के भीतर रहना पड़ता है। आज कल यह कार्य विमान परिवहन परिषद् कर रही है।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : किन-किन क्षेत्रों में अनुसूचित सेवाएं कार्य कर रही हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : वे प्रायः देश के पूर्वी भागों में कार्य कर रही है, जैसे आसाम। उनको विदेशों में जाने की अनुमति भी दी हुई है। किन्तु वे असैनिक उड्डयन विभाग के महानिदेशक से विशेष अनुज्ञा लेकर ही विदेशों में जा सकते हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : कलकत्ता और आसाम के बीच चलने वाले अननुसूचित विमानों की पिछले वर्ष भाड़े से कितनी आय हुई है ?

†**श्री राज बहादुर** : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है। अतः मुझे इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह सत्य है कि आसाम की अननुसूचित सेवाओं में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन से किराये पर लिये गये विमानों का प्रयोग होता है और, यदि हां, तो क्या सरकार अपनी आवश्यकताओं का ध्यान न रख कर ऐसा कर रही है ?

†**श्री राज बहादुर** : मुझे ऐसी किसी बात का ज्ञान नहीं है। कदाचित कभी कभी ऐसा हो जाता है। विशेषकर जब हमारे पास किसी विमान को उड़ाने के लिये आवश्यक व्यक्ति नहीं होते हैं तो कदाचित हम ऐसा कर लेते हैं। परन्तु कुछ भी हो, यह बात स्पष्ट है कि इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के पास विमानों तथा चालको की कमी है।

†**श्री वेलायुधन** : क्या कोई विदेशी कम्पनी भी भारत में अननुसूचित सेवा चला रही है, और यदि हां, तो उसकी क्या स्थिति है ?

†**श्री राज बहादुर** : सभी कम्पनियों को, चाहे वे अनुसूचित हों अथवा अननुसूचित, भारत में पंजीयन कराना पड़ता है क्योंकि भारत में कोई भी अननुसूचित विदेशी विमान कम्पनी विमान नहीं चला सकती है।

†**श्री कासलीवाल** : माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि आसाम में अननुसूचित सेवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है....

†**श्री राज बहादुर** : मैंने यह नहीं कहा है।

†**श्री कासलीवाल** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ऐसी सेवाओं को कोई वित्तीय सहायता दी जा रही है ?

†**श्री राज बहादुर** : उन्हें कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है।

पर्यटक ब्यूरो

†*१६८९. **श्री वोडयार** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटक ब्यूरो खोलने के लिये क्या क्या शर्तें रखी गई हैं; और

(ख) क्या कर्नाटक में कोई केन्द्र खोला जायेगा, और यदि हां, तो कहां पर ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) ये पर्यटक ब्यूरो राज्य सरकारों द्वारा ऐसे स्थानों पर खोले जायेंगे जहां पर कि भारतीय तथा विदेशी पर्यटक प्रायः आते जाते रहते हैं तथा जहां पर भारत सरकार का कोई पर्यटक कार्यालय नहीं है।

(ख) जब नये कर्नाटक की सरकार इस विषय पर विचार कर लेगी तभी इस बात का पता लग सकता है।

†**श्री वोडयार** : क्या सरकार ने मैसूर राज्य से कर्नाटक के सभी महत्वपूर्ण तथा प्रसिद्ध पर्यटक केन्द्रों की सूचना मांगी है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हमारे पास इसकी पूरी जानकारी है।

†**श्री तिम्मय्या** : इस समय कर्नाटक में कितने पर्यटक कार्यालय हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : इस समय केवल बंगलौर में भारत सरकार का एक पर्यटक कार्यालय है।

†**श्री मादिया गौडा** : बीजापुर को जो कि ऐतिहासिक तथा वास्तुकला का एक प्रसिद्ध स्थान है क्यों नहीं पर्यटक केन्द्र बनाया गया है ?

†**श्री अलगेशन** : निस्संदेह पर्यटकों के लिये यह एक महत्वपूर्ण स्थान है। किन्तु हमारा वहां पर कोई पर्यटक कार्यालय नहीं है। सचमुच यह एक वास्तविक कठिनाई है। यदि राज्य सरकार वहां पर पर्यटक ब्यूरो खोलना चाहे तो हम निश्चय ही उसको वित्तीय सहायता देने के प्रश्न पर विचार कर सकते हैं।

†**श्री भागवत झा आजाद** : पर्यटकों के यातायात की वृद्धि और पर्यटक केन्द्रों की स्थापना का क्या अनुपात है ?

†**श्री अलगेशन** : मुझे आपका तात्पर्य समझ नहीं आया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यातायात की मात्रा जानना चाहते हैं।

†**श्री अलगेशन** : प्रत्येक पर्यटक कार्यालय केवल विदेशियों का ही नहीं प्रत्युत भारतीय यात्रियों का भी बन्दोबस्त करता है। वे पर्यटकों से पूछताछ करते हैं और उन्हें आवश्यक पर्यटक साहित्य आदि देते हैं।

सगौली चीनी मिल

†***१६९०. श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सगौली (चम्पारन-बिहार) चीनी मिल का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने उस पर क्या निश्चय किया है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१, की धारा १५ के अन्तर्गत ३ अधिकारियों को उक्त चीनी मिल के मामलों की जांच करने के लिये कहा है। उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। उनकी सिफारिशों को देखकर आगे कार्यवाही की जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि सारी बातों की जांच पड़ताल करके अगले क्रशिंग सीजन (गन्ना पेरने के सीजन) के शुरू होने के पहले झगड़ा तै कर दिया जाये ताकि अगली फस्ल में मिल ठीक से चले और उसमें किसानों का गन्ना ठीक से पेला जा सके ? क्या सरकार कोई ऐसा रास्ता अख्तियार कर रही है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : सरकार ने तो अभी भी वह रास्ता अख्तियार किया हुआ है ।

श्री विभूति मिश्र : अब तो जो रास्ता सरकार ने अख्तियार किया हुआ है उसमें किसानों को गन्ने का पैसा नहीं मिलता था, मजदूरों और मिल मालिकों में झगड़ा है और मालिकों में आपस में झगड़ा है जिससे कि मिल का काम ठीक से नहीं चलता ।

श्री अ० प्र० जैन : यह तो माननीय सदस्य ने बहस की बात कही । असल मामला यह है कि हमने इंडस्ट्रीज रेग्यूलेशन डेवेलपमेंट ऐक्ट के मातहत कार्रवाई शुरू कर दी है । एक पैनल वहां पर गया था और उसने जो जांच पड़ताल की है उसकी रिपोर्ट हमको दे दी है और उसके ऊपर हम उचित कार्रवाई करेंगे । इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** बिहार सरकार ने किन आधारों पर इस मिल को केन्द्रीय सरकार को अपने हाथ में लेने के लिये कहा है ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** कुप्रबन्ध तथा उत्पादन में कमी होने की सम्भावना से ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** अभी तक सगौली चीनी मिल की कार्यपद्धति अच्छी नहीं रही है । हम सरकार से निश्चित रूप से यह जानना चाहते हैं कि क्या वह उन अधिकारियों की सिफारिशों के अनुसार ऐसे कदम उठायेगी जिससे कि अगली बार गन्ना पेरने के समय ठीक-ठीक कार्य हो सके ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** अगर हम उनकी सिफारिशों पर विचार न करना चाहते होते तो हम उनको नियुक्त ही क्यों करते ?

†**सरदार लाल सिंह :** क्या यह पुराने ढंग की मिल है अथवा आधुनिक ढंग की ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** यह नवीनतम ढंग की मिल नहीं है ।

दिल्ली विकास प्राधिकार

† *१६९१. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि १९५६-५७ के दौरान में दिल्ली विकास प्राधिकार ने कितने भवनों आदि को गिराने का नोटिस दिया है ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :** १५ अगस्त, १९५६ तक ६३० ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** इन नोटिसों से कितने व्यक्तियों अथवा परिवारों पर प्रभाव पड़ा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर):** स्थिति इस प्रकार है कि जैसे कि दिल्ली विकास प्राधिकार बना उसी समय चारों ओर सभी लोगों को ये नोटिस भेज दिये गये कि वे उसकी पूर्व स्वीकृति के बिना और कोई भी निर्माण कार्य न करें । ये नोटिस केवल प्रेस द्वारा ही नहीं दिये गये बल्कि ढिंढोरा आदि सभी साधनों द्वारा लोगों को इस प्रकार की नीति से अवगत करा दिया गया था । मगर जहां कहीं भी लोगों ने इस प्रकार के नोटिस की परवाह न करते हुए मकानात आदि

---

†मूल अंग्रेजी में

बनवा लिये है उनको इस अधिनियम की धारा १० के अन्तर्गत यह नोटिस दिया गया है कि उनके मकानात आदि क्यों न गिरवा दिये जायें ? १५ अगस्त तक ऐसे 'कारण बतलाने वाले', ४३०७ नोटिस जारी किये गये थे। किन्तु मैं सभा को बतला देना चाहती हूं कि अगर ऐसा निर्माण बने हुए मकानों में किया गया हो और अगर उसमें लोग रह रहे हों तो उनको गिराने का आदेश नहीं दिया गया है। केवल उन्हीं निर्माणों को गिराया गया है जो कि अभी निर्माण की प्रारम्भिक अवस्थाओं में थे। और जहां कहीं भी लोगों ने यह प्रमाणित किया है कि अमुक निर्माण कार्य दिल्ली विकास प्राधिकार के बनने से पहले किया गया है उनको भी हमने छोड़ दिया है। किन्तु फिर भी इस विधि के उल्लंघन में कई लोगों ने रात के समय कार्य करके इतने अवैध निर्माण खड़े कर दिये हैं कि उनको गिरवाने के सिवाय हमारे पास और कोई चारा नहीं है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं माननीय मंत्री को इस व्याख्या के लिये धन्यवाद देता हूं परन्तु मेरे प्रश्न का इसमें अभी तक कोई उत्तर नहीं मिल सका है। मैंने यह पूछा था कि इन ६०० के लगभग नोटिसों से कितने व्यक्तियों अथवा परिवारों पर प्रभाव पड़ा है ? मुझे इसका एक सरल सा उत्तर चाहिये।

†**राजकुमारी अमृत कौर** : जहां तक इन ६३० नोटिसों का सम्बन्ध है ये ऐसे निर्माणों को गिराने के लिये दिये गये थे जो कि अभी तक पूरे घर के रूप में नहीं बने थे और जहां पर कि कोई भी व्यक्ति नहीं रह रहा था। अतः स्वभावतः इनसे किसी भी निवासी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

†**श्री वीरस्वामी** : क्या जिन लोगों के मकान इस प्रकार गिराये गये हैं क्या उनको रहने के लिये कोई अन्य स्थान दिया गया है, और यदि नहीं, तो वे कहां रहेंगे ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : मैं पहले ही बता चुकी हूं कि इनमें से अधिकांश निर्माणों में कोई व्यक्ति नहीं रहा था क्योंकि वे अभी पूरी तरह नहीं बने थे। किन्तु नवम्बर, १६५५--- जो कि अब मार्च, १६५६ कर दिया गया है---के पश्चात् जो अनधिकृत मकान बना लिये गये हैं; क्योंकि वे विधि का उल्लंघन करके बनवाये गये हैं, उनको गिराने के सिवाय हमारे पास और कोई चारा नहीं है और स्वभावतः इस प्रकार विधि का उल्लंघन करने वालों को कोई वैकल्पिक स्थान नहीं दिया जा सकता है।

†**श्री वेलायुधन** : क्या जो लोग पहले किन्हीं मकानों में रह रहे हैं अगर उन्होंने बाद में उसमें कोई और निर्माण कर लिया हो तो क्या वह निर्माण अनधिकृत निर्माण गिना जाता है तथा क्या यह सत्य है कि 'अनधिकृत निर्माण' के नाम पर मूल इमारतों में ऐसे 'अतिरिक्त निर्माणों' को भी गिराया जा रहा है।

†**राजकुमारी अमृत कौर** : मैं पहले बता चुकी हूं कि उन सब लोगों को जिन्होंने विधि का उल्लंघन किया है 'कारण बताओ' नोटिस जारी किये जा चुके हैं। और इनकी संख्या ६३० है।

†**श्री फीरोज गांधी** : क्या अगस्त में कुछ ऐसे नोटिस जारी किये गये हैं जिनमें कि २४ घंटे के अन्दर इमारत को गिरा देने के लिये कहा गया है ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है। परन्तु प्रायः हम इससे अधिक समय देते हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि केवल उन्हीं इमारतों को गिराने के लिये नोटिस दिये गये हैं जहां कि कोई व्यक्ति नहीं रहा था, किन्तु क्या मैं जान सकता हूं कि जब वहां पर कोई नहीं रह रहा था तो किन लोगों को उन इमारतों के गिराने का नोटिस दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**राजकुमारी अमृत कौर** : यह बिल्कुल स्पष्ट ही है कि अनधिकृत निर्माणों के निर्माण कार्य के पूरे होने से पहले ही नोटिस दिया जाना अधिक अच्छा है बजाय इसके उसके पूरे हो जाने पर उसमें से लोगों को बाहर निकाल कर उसे दिखाया जाय।

ढुलियां स्टेशन

†*१६९२. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **रेलवे** मंत्री २१ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) ढुलियां स्टेशन को मुख्य लाइन से मिलाने के बारे में क्या निश्चय किया गया है;

(ख) क्या सिंघया हाल्ट और तिलदंगा के बीच कोई लाइट रेल चलाने की योजना बनाई गई है तथा क्या इसकी जांच की जा चुकी है; और

(ग) क्या इस लाइन को चालू करने में कोई कठिनाई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) कदाचित् माननीय सदस्य जंगीपुर रोड तथा तिलदंगा के बीच की ढुलियां गंगा के पास से जाने वाली रेलवे लाइन को मोड़ने की बाबत कह रहे हैं। अभी तक इस सम्बन्ध में कोई निश्चय नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). १९५४ में हमें बरहरवा तिलदंगा की शटल गाड़ियों को सिंघया हाल्ट तक बढ़ाने के लिये एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। उस समय मामले की जांच की गई थी तथा उससे यह नतीजा निकाला गया था कि इस स्थान के बीच इतना यातायात नहीं होता है कि वहां पर लूप लाइन बनाई जाये तथा स्टाफ कर्मचारियों के मकान आदि बनाये जायें।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : पिछले कुछ वर्षों से इस सम्पूर्ण क्षेत्र में भू-क्षरण हो रहा है और वहां पर लोग अधिक माल नहीं भेज पा रहे हैं तथा वहां पर यात्रियों को भी बड़ी कठिनाई हो रही है। इन सब बातों को ध्यान में रख कर, क्या सरकार इन दो क्षेत्रों को निकट भविष्य में मिलाने का कोई इरादा रखती है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जहां पर बड़ी नदियों के कारण भू-क्षरण होने से रेलवे लाइनों को क्षति पहुंची है वहां पर तत्काल ही दोबारा नई लाइनें नहीं बनाई जा सकती हैं। सरकार इस समस्या को स्थाई रूप से हल करना चाहती है। सरकार जंगीपुर रोड से तिलदंगा तक प्रस्तावित फारक्का नहर के किनारे किनारे स्थायी रूप से एक नई लाइन बनाना चाहती है। इसमें ५ से १० वर्ष तक लग सकते हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या इसका यह तात्पर्य है कि पहले फारक्का रोड की योजना पूरी होगी और तब इस योजना को कार्यान्वित किया जायेगा और इसमें बरसों लग जायेंगे ?

†**श्री शाहनवाज खां** : इस समय एक ओर बरहरवा तिलदंगा तक रेल चल रही है और दूसरी ओर निमतिता तक। और बीच के क्षेत्र में केवल सड़कों द्वारा यातायात होता है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह सच है कि इन दोनों ओर के स्टेशनों के बीच कोई बस नहीं आती जाती है, और यदि हां, तो क्या वहां पर रेल और बस की मिली-जुली सेवा नहीं जारी की जा सकती है जिससे कि इस क्षेत्र के यात्रियों और सामान को आने जाने में सुविधा हो सके ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शाहनवाज खां** : दुलियाँ गंगा से पाकुर तक एक बस मार्ग है और इसी प्रकार निमतिता की ओर भी एक बस मार्ग है। फिर भी माननीय सदस्य का सुझाव राज्य सरकार के विचारार्थ भेज दिया जायेगा।

मलेरिया नियन्त्रण

†*१६९३. **श्री गिडवानी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संस्था की मलेरिया सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति जिसने अपना छठा अधिवेशन हाल में एथन में समाप्त किया है, मलेरिया के विरोधी समस्त प्रयत्न करने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) उस योजना का ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) हाल में एथन में हुए विश्व स्वास्थ्य संस्था की मलेरिया सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति के छठे अधिवेशन में मलेरिया विरोधी समस्त प्रयत्नों के किये जाने के बारे में कोई योजना नहीं बनाई गई है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नही होता है।

†**श्री गिडवानी** : क्या हमारे मलेरिया नियन्त्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम में कोई परिवर्तन हुआ है तथा इस के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या राशि रखी गई है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : हमने मलेरिया ग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले १६२० लाख लोगों के लिए १६२ टीकों की व्यवस्था की है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में धन की व्यवस्था २९.६५ लाख रुपये है जिसमें राज्य सरकारों का अंश भी शामिल है।

†**श्री कासलीवाल** : सारे संसार में कई एक वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मलेरिया फैलाने वाले मच्छर डी० डी० टी० तथा अन्य कटिनाशक औषधियों का प्रतिरोध कर रहे हैं। क्या सरकार की ओर से ऐसी कोई परियोजना चलाई गई है जिसमें वैज्ञानिक मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को नष्ट करने वाली औषधियां तैयार कर सकें ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : हमारे ध्यान में यह बात लाई गई है कि दूसरे देशों में किटनाशक औषधियों का प्रतिरोध देखने में आया है। हम गवेषणा कर रहे हैं कि इसे किस प्रकार से रोका जाय तथा लोगों के बचाने की ओर क्या उपाय किये जायं।

†**डा० रामा राव** : स्वास्थ्य उपमंत्री ने अभी बताया है कि भारत में मच्छर डी० डी० टी० तथा अन्य किटनाशक औषधियों का प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं। क्या भारत में मच्छरों में कोई विशेष बात है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं।

अग्रताला जल सम्भरण योजना

†*१६९४. **श्री बीरेन दत्त** :
श्री नि० बि० चौधरी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या त्रिपुरा की अग्रताला नगरपालिका के लिए वाटर वर्क्स सम्बन्धी योजना की स्वीकृति दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो कार्य कब प्रारम्भ किया जायगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) तथा (ख). अग्रताला नगरपालिका के लिये पुनर्वर्तित जल-सम्भरण योजना जुलाई, १९५६ में प्राप्त हुई थी और उस पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री बीरेन दत्त** : क्या मैं जान सकता हूं कि कार्य कब प्रारम्भ होगा और निर्माण कार्य किसके जिम्मे होगा ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य पूरा किया जायगा । यह कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जायगा । राशि की स्वीकृति दी जा चुकी है और १९५६ में २.९ लाख रुपये इस प्रयोजन के लिये पृथक रखे गये हैं ।

†**श्री बीरेन दत्त** : क्या कलकत्ता से किसी समवाय को इस कार्य के लिये कहा गया है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : मुझे इस प्रश्न के लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

दिल्ली परिवहन सेवा की बसों में बिना टिकट यात्रा

† *१६९६. **चौ० रघुवीर सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली परिवहन सेवा की बसों में बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिये जो कार्यवाहियां की गई हैं वे कहां तक सफल हुई हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां)** : टिकट आदि बेचने से होने वाली पावतियों की वृद्धि को देखते हुए, विशेषत: उन मार्गों में जहां यात्रियों के लिए पेशगी टिकट लेने की व्यवस्था पुर:स्थापित की गई थी, प्रतीत होता है कि दिल्ली परिवहन सेवा की दसों में बिना टिकट यात्रा में कमी हो रही है ।

†**चौ० रघुवीर सिंह** : १९५६ में बिना टिकट यात्रा करने के कितने मामलों को खोज निकाला गया था ।

†**श्री शाहनवाज खां** : मेरे पास इस समय वे आंकड़े नहीं हैं ।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : क्या माननीय मंत्री हमें यह बता सकते हैं कि सरकार इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंची है कि बिना टिकट यात्रा में कमी हुई है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हमने फरवरी से अप्रैल १९५६ तक एक प्रकार का यातायात सर्वेक्षण किया था । उस पुनर्विलोकन के अनुसार जहां पहली आय ३०,४०,३२० रुपये थी की वहां मई से जून तक आय में पर्याप्त वृद्धि हुई थी और ३२,०१,११० रुपये की आय हुई थी । हमने सोचा कि दिल्ली परिवहन सेवा की बसों में बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए जो कार्यवाहियां की गई हैं उनके फलस्वरूप ही यह वृद्धि हुई है ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या यात्रियों की संख्या में भी पर्याप्त वृद्धि हुई थी और यदि हां, तो क्या आय में वृद्धि का कारण यह बात नहीं है और क्या बिना टिकट यात्रा की स्थिति पहिले जैसी ही नहीं रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यातायात में वृद्धि के कारण ऐसा हुआ है या बिना टिकट यात्रा में कमी के कारण ?

†**श्री शाहनवाज खां** : मेरे विचार में फरवरी से जुलाई तक की अवधि में नई दिल्ली में यातायात में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है । फरवरी मास में नई दिल्ली में जितनी जनसंख्या थी, जुलाई तक उसमें कोई अधिक वृद्धि नहीं हुई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

औद्योगिक न्यायाधिकरण

†*१६९८. **श्री अ. म. थामस :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रावणकोर-कोचीन राज्य में प्रत्येक औद्योगिक न्यायाधिकरण के पास लम्बित औद्योगिक विवादों की संख्या क्या है;

(ख) क्या त्रावणकोर-कोचीन सरकार ने त्रिस्तरीय औद्योगिक प्रारम्भिक न्यायालय की नई व्यवस्था के अधीन राज्य में औद्योगिक न्यायालयों और औद्योगिक न्यायाधिकरणों के स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो कितने न्यायालय और न्यायाधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव है और किन स्थानों पर उन्हें स्थापित किया जायगा ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) अगस्त, १९५६ के प्रारम्भ में त्रिवेन्द्रम के राज्य न्यायाधिकरण के पास १६०; एलैप्पी में ९८ और एर्नाकुलम के न्यायाधिकरण में ५२— विवाद लम्बित थे ।

(ख) तथा (ग). १९५६ के औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) अधिनियम की धारा ४ के लागू होने पर शीघ्र ही जो संशोधित न्याय-निर्णयन कार्य व्यवस्था स्थापित की जाती है, राज्य सरकार उसका ब्योरा तैयार कर रही है ।

†**श्री अ० म० थामस :** क्या अनिर्णीत पड़े विवादों और उन विवादों की संख्या में बहुत अन्तर है जो एक न्यायाधिकरण में उठे थे और अब दूसरे न्यायाधिकरण में अनिर्णीत पड़े हैं, तथा यदि हां तो क्या उन मामलों के विभाजन के मामले में यथार्थवाद को अपनाने की कोई सम्भावना नहीं है ?

†**श्री आबिद अली :** मैं राज्य सरकारों को इस सुझाव से सूचित कर दूंगा । परन्तु कभी किसी क्षेत्र-विशेष में बहुत उद्योग होते हैं और इसलिए स्वाभाविक है कि उन क्षेत्रों में विवादों की संख्या अधिक हो ।

†**श्री अ० म० थामस :** क्या सरकार को इसका कोई अनुमान है कि इन अनिर्णीत पड़े विवादों को निबटाने में कितना समय लगेगा तथा क्या वे स्थापित होने वाले नये न्यायाधिकरणों को स्थानान्तरित किये जायेंगे ?

†**श्री आबिद अली :** आजकल न्यायाधिकरणों में जो अनिर्णीत विवाद पड़े हैं वे सम्बन्धित न्यायाधिकरणों द्वारा निबटाये जायेंगे । हो सकता है कि उन मामलों का अन्य न्यायाधिकरणों को स्थानान्तरित करने की आवश्यकता न हो । मेरा ख्याल है कि इस पर यथा समय में विनिश्चय हो जायेगा ।

†**श्री वेलायुधन :** न्यायाधिकरणों में बहुत से अनिर्णीत पड़े हुए विवादों की दृष्टि से क्या न्यायाधिकरणों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री आबिद अली :** मैं नहीं समझता कि मामलों की संख्या को बहुत बड़ी संख्या कहा जा सकता है। वे जो काम कर रहे हैं उनकी तथा निबटाये गये मामलों की अपेक्षा गति काफी युक्ति-युक्त है और इस क्षेत्र-विशेष में अधिक न्यायाधिकरण बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

†**श्री क० कु० बसु** उठे—

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य बहुत देर से उठे हैं। अगला प्रश्न।

†**श्री वेलायुधन** : माननीय मंत्री कहते हैं कि गति तीव्र है। कहा जाता है कि त्रिवेन्द्रम में १६० मामले अनिर्णीत पड़े हैं। इन १६० मामलों को निबटाने के लिए कितना समय लगेगा ?

†**श्री आबिद अली** : इसकी तुलना निबटाये कार्य से तथा उस कार्य से करनी होगी जो निबटाये जाने के लिए आता है।

†**श्री क० कु० बसु** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि औद्योगिक विवाद अधिनियम का हाल में संशोधन अपील करने के अधिकार को, जो विद्यमान अधिनियम के अन्तर्गत है, समाप्त करता है क्या ये न्यायाधिकरण संशोधित औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार पुनः बनाये जायेंगे ?

†**श्री आबिद अली** : जी नहीं। विधि की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक नहीं है।

अबोहर-सिरसा तथा अन्य रेलवे लाइनें

†* १६९९. { **सरदार अकरपुरी** :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पंजाब राज्य में निम्न रेल लाइनें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर ली गई हैं :

(१) अबोहर-सिरसा,
(२) सिरसा-जाखल,
(३) सिरसा-एलानाबाद,
(४) अबोहर-फजलिश,
(५) भटिन्डा-अमृतसर, और
(६) फीरोजपुर-बरनाला ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां)** : जी नहीं।

सरदार अकरपुरी : क्या मैं जान सकता हूं कि अगर इस पांच साला योजना में इनको नहीं रक्खा गया है, तो क्या अगले पांच सालों में इनमें से किसी लाइन पर तवज्जह दी जायेगी ?

श्री शाहनवाज खां : जिन जिन लाइनों के बारे में पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी सिफारिशात भेजी हैं, उन सबके ऊपर बड़ा गहरा विचार किया गया, और जैसे ही रेलवे के पास काफी पैसा होगा, उन पर जरूर विचार किया जायेगा।

सरदार अकरपुरी : बटाला से कादियां तक जो ११ मील की लाइन का टुकड़ा है, जो कि आज से पहले भी बटारी तक मंजूर था, उसको रोक दिया गया। पंजाब गवर्नमेंट ने भी उसके लिये लिखा था, तो क्या मैं जान सकता हूं कि उसको बनाने की तजवीज कोई हो सकती है ? और हो सकती है तो कब तक ?

श्री शाहनवाज खां : इस वक्त तो ऐसा कोई खयाल है नहीं।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि पंजाब गवर्नमेंट ने किन किन लाइनों की सिफारिशें की हैं ? अगर उन लाइनों का नाम नहीं बतलाया जा सकता तो यही बतलाया जाय कि उन्होंने कितने मील लम्बी लाइनें बनाने की सिफारिश की है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य सिफारिशों की एक सूची चाहते हैं ?

†श्री शाहनवाज़ खां : मैं यह दे दूंगा ।

†अध्यक्ष महोदय : मैं इसके दिये जाने की अनुमति नहीं दूंगा । सभा-सचिव माननीय सदस्य को जानकारी दे सकते हैं ।

तेलवाहक जहाज

†*१७०० { **श्री चांडक :**
श्री उ० इसलामुद्दीन :
श्री मात्तन :
श्री रघुनाथ सिंह : }

क्या **परिवहन** मंत्री ११ अप्रैल १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ९०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तत्पश्चात् तटीय कार्य के लिये दो टैंकरों (तेलवाहक जहाज) का केन्द्राधार जहाजी बेड़ा प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्रम मूल्य क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो ये कब प्राप्त किये जायंगे; और

(घ) क्या सरकार का विचार टैंकरों के बेड़े का विकास सरकारी क्षेत्र में करने का है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) आजकल टेंकरों के मूल्य बहुत अधिक हैं। उचित मूल्य पर आयुक्त टैंकरों के उपलब्ध होते ही उन्हें ले लिया जायेगा ।

(घ) दोनों गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्रों के लिए टैंकरों के प्राप्त करने तथा उनमें इनके चलाने का विचार है । गैर-सरकारी क्षेत्र में एक भारतीय नौवहन समवाय ने एक टैंकर मोल ले लिया है। सरकारी क्षेत्र में दो टैंकरों के प्राप्त करने का विचार है ।

†**श्री चांडक :** क्या टैंकरों के अर्जन के मामले में सरकारी योजना पैट्रोलियम शोधन कारखानों की योजनाओं के साथ सहयोगित है ?

†**श्री अलगेशन :** हम टैंकरों के क्रय और उपयोग करने का विचार उसके साथ गूढ़ परामर्श से ही कर रहे हैं। तेल शोधन कारखानों ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार अभी तीन टैंकरों की आवश्यकता है ।

†**श्री चांडक :** आजकल पैट्रोलियम शोधन-कारखानों के पास कितने टैंकर हैं? क्या इन टैंकरों का प्रयोग शोधित पैट्रोलियम के तटीय यातायात में होता है या कुओं से बिना साफ किया हुआ पैट्रोलियम ले जाने में ?

†**श्री अलगेशन :** तेल शोधन कारखानों के टैंकरों के बारे में, मुझे जो बिना साफ किये हुए तेल के लिये हैं या तटीय यातायात के लिए, मुझे कोई जानकारी नहीं हैं। भारतीय नौवहन समवाय ने जो टैंकर मोल लिया है, उसका प्रयोग एक तेल समवाय कर रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मात्तन** : उपमंत्री जी ने कहा है कि टैंकर तब खरीदे जायेंगे जब वे उचित मूल्यों पर उपलब्ध होंगे। इन टैंकरों के कब तक उपलब्ध होने की आशा है ? टैंकरों के मूल्य शीघ्रता से बढ़ रहे हैं। उनके प्राप्त होने की कब तक आशा है ?

†**श्री अलगेशन** : मार्केट की स्थिति के बारे में भविष्य वाणी करना बड़ा कठिन है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस समय टैंकरों की बड़ी भारी कमी है और यह कि शीघ्र ही कलकत्ता या आसाम में एक तेल शोधक कम्पनी खुल रही है, क्या सरकार ने पुराने टैंकर अधिग्रहीत करने के बारे में कुछ विचार किया है ?

†**श्री अलगेशन** : प्रश्न के उत्तर का सारांश यही है।

†**श्री मात्तन** : तेल शोधक शालाओं द्वारा शोधित किये गये तेल में से कितना प्रतिशत तेल भारतीय टैंकरों द्वारा ले जाया जाता है ?

†**श्री अलगेशन** : जैसा मैंने कहा है यह हिसाब लगाया गया है कि तटीय परिवहन के लिये तीन टैंकरों की आवश्यकता है। एक टैंकर तो एक गैर-सरकारी नौवहन कम्पनी द्वारा काम में लगाया जा चुका है। दो और टैंकर अधिग्रहण किये जायंगे।

उदयपुर पर्यटन केन्द्र

†***१७०१. श्री बलवंत सिंह महता** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उदयपुर, जो कि हमारे देश के सुन्दरतम पर्यटन केन्द्रों में से एक है, दिल्ली या बम्बई से रेल द्वारा पहुंचने में लगभग २४ घंटे लग जाते हैं जब कि वह मुशकिल से ५०० मील दूर है ;

(ख) क्या सरकार उदयपुर और दिल्ली व बम्बई के बीच कोई अधिक तेज रेल सेवा प्रारम्भ करने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो वह सेवा कब से प्रारम्भ होगी ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) रतलाम के मार्ग से बम्बई से उदयपुर तक का अन्तर ७०६ मील है, और दिल्ली से उदयपुर का अन्तर ४६१ मील है। बम्बई से उदयपुर तक रेल यात्रा पर लगभग २४ घंटे लगते हैं और दिल्ली से उदयपुर तक २१ घंटे लगते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या सरकार को ज्ञात है कि उदयपुर संसार के अत्यन्त सुन्दर तथा दर्शनीय नगरों में से एक माना जाता है, वह केवल काश्मीर से ही दूसरे नम्बर पर माना जाता है ? प्रतिवर्ष अनेकों विदेशी पर्यटक यहां पर आया करते थे। परन्तु अब उन्होंने आना छोड़ दिया है। यदि रेल सेवाओं को अधिक तेज करने के प्रश्न को जल्दी से न लिया गया तो संभव है कि यह पर्यटन केन्द्र न रहे। और उससे हम विदेशी विनिमय भी खो बैठें।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य तो कई प्रकार के सुझाव प्रस्तुत कर रहे हैं। अतः मैं नहीं समझता कि किसी उत्तर की कोई आवश्यकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बलवन्त सिंह महता :** इस यात्रा में लगने वाले समय को कम करने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** वास्तव में बात यह है कि इस समय इंजन डिब्बों की बड़ी भारी कमी है। ज्यों ही अधिक इंजन और अधिक डिब्बे उपलब्ध होंगे, हम इस लाईन में गाड़ियों की सेवा अधिक तेज करने का प्रयत्न करेंगे।

इंडियन फारेस्ट कालिज, देहरादून

†*१७०३. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेंजर कालिज तथा इंडियन फारेस्ट कालिज, देहरादून में विद्यार्थियों को किस आधार पर प्रविष्ट किया जाता है;

(ख) क्या भारत के विभिन्न राज्यों से प्रविष्टि के लिये कोई अभ्यंश निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या विदेशी विद्यार्थियों के लिये कोई स्थान रक्षित हैं; और

(घ) क्या इन कालिजों को किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने के औचित्य पर कोई विचार किया गया है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) राज्य सरकारों के नामनिर्देशनों पर, परन्तु सम्बन्धित पाठ्यक्रमों से सम्बन्ध रखने वाले नियमों को ध्यान में रखते हुए।

(ख) जी, नहीं। विभिन्न राज्यों के लिये स्थान प्रतिवर्ष उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए आवंटित किये जाते हैं।

(ग) जी, नहीं। परन्तु सामान्यतया प्रत्येक कालिज में दो या तीन स्थान नेपाल, लंका, सूडान आदि विदेशों के विद्यार्थियों की प्रविष्टि के लिये उपलब्ध किये जाते हैं।

(घ) जी, हां। उन कालिजों को दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने के प्रश्न पर विचार किया गया था, परन्तु कई व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण उस विचार को छोड़ दिया गया है।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या सरकार विभिन्न राज्यों के लिये स्थान रक्षित करते हुए खुले मुकाबले से प्रवेश देने के प्रश्न पर कोई विचार कर रही है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** जी, नहीं। अभी तक हमारे पास इस प्रकार की कोई योजना नहीं आई है। ये नामनिर्देशन राज्य सरकारों द्वारा किये जाते हैं। जहां तक हम समझ सके हैं, यही एक उचित उपाय है।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या यह सच नहीं है कि भारत में वन विज्ञान का प्रशिक्षण इंगलैण्ड तथा अमरीका की अपेक्षा महंगा है ? सरकार प्रति वर्ष प्रति छात्र पर कितना खर्च कर रही है ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** इसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

†**श्री घुसिया :** क्या इस संस्था में अनुसूचित जातियों के लिये कोई स्थान रक्षित हैं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** जी, नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस कालिज में प्रवेश प्राप्त करने के लिये विभिन्न राज्यों से मांग बढ़ रही है, कालिज की सीटों को बढ़ाने की कोई प्रस्थापना है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : यदि अधिक मांग हुई तो हम निश्चय ही उन्हें बढ़ा देंगे।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : क्या मंत्री जी यह बता सकते हैं कि क्या इस कालिज में अनुसूचित जातियों के भी कोई लड़के हैं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मैं नहीं कह सकता, किन्तु जैसा कि पहले बताया जा चुका है, नाम-निर्वाचन राज्य सरकारों के हाथ में रहता है। मैं इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहूंगा।

†**सरदार लाल सिंह** : इस सभा की प्राक्कलन समिति ने कुछ सिफारिशें की थीं। क्या उस पर कोई कार्यवाही की गई है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : इस प्रश्न का मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या कोई सिफारिश इस प्रश्न के बारे में भी की गई है जिस पर हम विचार कर रहे हैं ? माननीय सदस्य सामान्य रूप से पूछने के बजाय कि क्या उन्हें कार्यान्वित किया गया है, यह सीधा प्रश्न पूछ सकते थे।

†**सरदार लाल सिंह** : प्रश्न उन्हीं विषयों अर्थात् कालेज में प्रवेश पाने और समय किस प्रकार का किया जाये के सम्बन्ध में था। प्राक्कलन समिति की सिफारिशें इन्हीं प्रश्नों के बारे में हैं जो अब पूछे गये हैं। मुझे स्मरण है कि एक सुझाव यह था कि प्रवेश करने में कृषि का अध्ययन किये हुये छात्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये; दूसरे, प्रशिक्षा काल कम कर दिया जाना चाहिये तीसरे, व्यय घटाया जा सकता है। मैं जानना यह चाहता था कि इस सभा की प्राक्कलन समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर क्या कोई कार्यवाही की गई है और यदि की गई है, तो वह क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जिस प्रश्न पर हम विचार कर रहे हैं उससे इन प्रश्नों का कोई सम्बन्ध नहीं है। वे प्रश्न इससे उत्पन्न नहीं होते। माननीय सदस्य कृपया बाद में दूसरा प्रश्न पूछें।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या व्यय में कमी करने की दृष्टि से सरकार का विचार रेंजर्स कालेज और फारेस्ट कालेज को मिला देने का है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : इस समय ऐसा कोई विचार नहीं है।

डाक तथा तार घर के लिये स्थान

***१७०४ श्री रा० स० तिवारी** : क्या संचार मंत्री यह बतानें की कृपा करेगें कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि विन्ध्य प्रदेश के पन्ना तथा छतरपुर जिलों के डाकघरों में अपर्याप्त स्थान है;

(ख) यदि प्रश्न के भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ग) नयें भवनों के बननें में कितना समय लगेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां, पन्ना तथा छतरपुर के विभागीय दो डाक-घरों में जगह की कमी है ।

(ख) मौजूदा किराये के भवन में जहां पन्ना का डाक घर स्थित है, केवल ६५ वर्ग फुट के स्थान की कमी है । आवश्यक अतिरिक्त स्थान प्राप्त करने के हेतु मालिक-मकान से पत्र व्यवहार हो रहा है कि इस भवन को कुछ बढ़ा दिया जाये और किराये में समुचित वृद्धि कर दी जाये ।

छतरपुर डाक-घर के लिये एक विभागीय भवन बनाने के लिये ज़मीन ली जा रही है ।

(ग) इस स्थिति में पन्ना के डाक-घर के लिये एक विभागीय भवन बनानें का प्रश्न नहीं उठता ।

छतरपुर डाक-घर के लिये विभागीय भवन का निर्माण प्रारम्भ हो जायेगा, जैसे ही जगह उपलब्ध हो जाती है तथा नक्शों की तैयारी प्राक्कलन उनकी मंजूरी, ठेकेदार का चुनाव आदि आवश्यक प्रारम्भिक कार्य पूरे हो जाते हैं । सामान्यत: जमीन के उपलब्ध करने में लगभग नौ महीने लग जाते हैं और निर्माण विषयक प्रारम्भिक कार्यों में लगभग छ: से नौ महीने तक का और समय लग जाता है ।

श्री रा० स० तिवारी : अभी माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया कि इन डाकखानों के लिये जगह की कमी है और उसको प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है । मैं जानना चाहता हूं कि आज दो साल हो गये हैं कि छतरपुर के डाकखानें के लिये जो जगह ली गयी है वह ज्यों की त्यों पड़ी है ,उसको बनानें में अब कितना समय लगेगा ?

श्री राज बहादुर : मैंनें निवेदन किया है कि नये डाकखाने बनाने के लिये जगह की कमी नहीं है । जो डाकखानें मौजूद हैं उनमें जगह की कमी है और जैसे ही जमीन मिल जाती है हम डाकखानों की इमारत बनाना शुरु कर देते हैं ।

श्री रा० स० तिवारी : ज़मीन तो पहले से ही ले ली गयी है ।

श्री राज बहादुर : जहां तक मेरी सूचना है उसमें काफी कठिनाई हमारे सामनें आयी है ।

कोयला खदानों में दुर्घटनायें

†*१७०५. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय कोयला खदान श्रम कल्याण मंत्रणा समिति की इस सिफारिश पर कोइ निर्णय कर लिया है कि कोयला खदानों की घातक दुर्घटनाओं में अन्तर्ग्रस्त मजदूरों की पत्नियों अथवा आश्रितों को ३ मास तक ३० रुपये प्रतिमास के हिसाब से राशि अनुदान राशि दी जानी चाहिये;

(ख) यदि हां, तो यह चीज किस तारीख से लागू होगी ; और

(ग) यदि नहीं , तो उसके क्या कारण हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) प्रत्येक विधवा को दो वर्षों तक १० रुपये मासिक भत्ता और स्कूल में पढ़ने वाले उसके प्रत्येक बच्चे को तीन वर्षों तक ५ रुपये प्रतिमास छात्रवृत्ति देने का निश्चय किया गया है । इस वर्ष के अन्त में स्थिति पर पुनर्विचार किया जा सकेगा ।

(ख) ११–११–५५ ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : श्रम कल्याण मंत्रणा समिति द्वारा ३० रुपये देने की सर्वसम्मति से की गयी सिफारिश किन कारणों से रद्द कर दी गयी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आबिद अली** : यह सच नहीं है कि समिति ने यह सिफारिश सर्वसम्मति से की थी ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : यह सिफारिश कब से लागू की जायेगी ?

†**श्री आबिद अली** : यह सिफारिश नवम्बर ११, १९५५ से ही लागू की जा चुकी है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या नवम्बर १९५५ के बाद से भुगतान केवल घातक दुर्घटनाओं के मामलों में ही किया जायेगा ?

†**श्री आबिद अली** : जी हां ।

†**श्री बोस** : क्या कोयला खदान श्रम कल्याण निधी से घातक दुर्घटनाओं में ग्रस्त मजदूरों की विधवाओं अथवा आश्रितों को तदर्थ अनुदान अथवा निवृति वेतन के रूप में अब तक कोई भुगतान किया है ?

†**श्री आबिद अली** : तदर्थ भुगतान अमलाबाद और न्युटन चिकली खदानों के दुर्घटनाओं से प्रभावित परिवारों को किया गया है और मैं समझता हूं कि यह मासिक भत्ता भी उनके अश्रितों को दिया गया था ।

†**श्री क० कु० बसु** : यह जो १० रुपये जीवन-निर्वाह भत्ते की राशि और ५ रुपये शिक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिये गणना की गयी है उसका आधार क्या है ? क्या शिक्षा अथवा जीवन निर्वाह पर होने वाले वास्तविक व्यय से उसका कोई सम्बन्ध है ?

†**श्री आबिद अली** : यह राशि प्रथम वर्ष में २७,०००, दूसरे वर्ष में ५४,०००, और तीसरे वर्ष में ६९,००० रुपये होगी ।

†**श्री क० कु० बसु** : मेरा प्रश्न यह था । आपने यह कहा कि प्रत्येक विधवा को जीवन निर्वाह भत्ते के रूप में १० रुपये प्रतिमास और स्कूल में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे को शिक्षा व्यय के लिये ५ रुपये प्रतिमास दिये जायेंगे आपनें किस आधार पर यह आंकड़े निश्चित किये हैं ? क्या इसका जीवन स्तर अथवा शिक्षा सम्बन्धी व्यय से कोई सम्बन्ध है ?

†**श्री आबिद अली** : माननीय सदस्य यह भी जानते हैं कि मजदूर प्रतिकर अधिनियम के अधीन मृतक मजदूर के परिवार वालों को प्रतिकर के रूप में कुछ राशि दी जाती है । उसके साथ ही अतिरिक्त सहायता के रूप में यह राशि स्वीकृत की गयी है ?

कालियादेह में वेधशाला

*१७०६. **श्री राधेलाल व्यास** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उज्जैन के पास कालियादेह में एक वेधशाला स्थापित करने का निश्चय किया है;

(ख) उस पर कितना रुपया व्यय किया जायेगा ; और

(ग) यह वेधशाला कब तक बन कर पूरी हो जायेगी ? और कब से काम प्रारम्भ कर देगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां, श्रीमान् जी। आधुनिक-केन्द्रीय ज्योतिषीय-वेधशाला की स्थापना के लिये, इस स्थान की उपयुक्तता का निश्चय करने के उद्देश्य से, ज्योतिषीय दृष्टता की खोज और जांच करने के लिये, कालियादेह में एक छोटी सी प्रयोगात्मक वेधशाला स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) करीब ११,४०० रुपये।

(ग) ऐसी आशा की जाती है कि अक्तूबर १९५६ के अन्त तक कालियादेह में वेधशाला खोलने का काम पूरा हो जायेगा।

श्री राधेलाल व्यास : क्या मैं जान सकता हूं कि कालियादेह महल जो महाराजा ग्वालियार निजी सम्पत्ति है, वह उन्होंने इस कार्य के लिये देना स्वीकार कर लिया है?

श्री राज बहादुर : हमने तो लिखा पढ़ी मध्य भारत की सरकार से की है। हम उम्मीद करते हैं वह हमें मिल जायेगा।

श्री राधेलाल व्यास : क्या मैं जान सकता हूं कि कितने समय तक ये परीक्षण चलेंगे?

श्री राज बहादुर : आमतौर से दो साल तक चलते हैं। किन्तु उज्जैन के आस पास जो परीक्षण हुए हैं उनसे जो नियत परिणाम निकेलेंगे उससे भी इस समय में कमी की जा सकती है।

†**डा० रामा राव** : मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री ने कहा है कि उनका विचार उस वेधशाला को ११,००० रुपये भेजने का है। क्या मैं जान सकता हुं कि इस थोडी सी ११,००० रुपये राशी से वह क्या परिणाम पाने की आशा करते हैं?

†**श्री राज बहादुर** : यह एक प्रकार की जांच करने की वेधशाला होगी जिसमें विशेष स्थान से देखने की दशा की जांच की जायगी। स्वर्गीय डा० शाह के अधीन इस काम के लिये नियुक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार भारत के लिये एक केन्द्रीय ज्योतिषीय वेधशाला स्थापित करने का उद्देष्य है।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि पिछले कई वर्षों से इस केन्द्रीय वेधशाला के सम्बन्ध में जांच पड़ताल हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि देर से देर कब तक इस जांच पड़ताल के समाप्त होने की आशा है?

श्री राज बहादुर : यह सत्य है कि काफी दिनों से परीक्षण और जांच हो रही है। इसका कारण यह है कि यह कोई साधारण बात नहीं है कि हम जांच कर लें कि कौन सा सबसे उपयुक्त स्थान है। हमें यह देखना पडता है कि सबसे अधिक बिना बादल की रात कहां होती है, , ठंडी रात कहां होती है, कहां ऐसी हवा होती है जिस में गर्द न हो, वगैरह वगैरह।

आन्ध्र में छोटे बन्दरगाह

†*१७०७. **श्री ब० स० मूर्ति** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र सरकार ने कोई ज्ञापन भेजा है जिसमें सिफारिश की गयी है कि बेदारेव्यू (जिला गुन्टुर) को छोटे बन्दरगाहों में सम्मिलित कर लिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी है?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां।

(ख) सब से पहले यातायात सर्वेक्षण करने के लिये आन्ध्र सरकार से प्रार्थना की गयी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब० स० मूर्ति** : क्या यह सच नहीं है कि माननीय मंत्री को एक ज्ञापन दिया गया है कि जिसमें यातायात के सभी ब्योरे दिये गये हैं तथा वहां पर एक जेट्टी बनाने की आवश्यकता बतायी गयी है ?

†**श्री अलगेशन** : सरकार को एक प्राथमिक ज्ञापन दिया गया था । उस पर उनसे परिवर्तित यातायात आदि का उचित यातायात सर्वेक्षण करने के लिये कहा गया है । आन्ध्र सरकार से विस्तृत सर्वेक्षण के मिलने के पश्चात प्रश्न पर विचार किया जा सकता है ।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : क्या यह सच नहीं है कि बन्दरगाहों के मुख्य आयुक्त ने इस छोटे बन्दरगाह के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ? क्या मैं जान सकता हूं कि उस प्रतिवेदन पर विचार किया गया है ?

†**श्री अलगेशन** : आन्ध्र सरकार द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात परिवहन मंत्रालय के एक विशेष अधिकारी ने इस प्रश्न पर विचार किया था तथा प्रतिवेदन दिया था । उस प्रतिवेदन के आधार पर जैसा मैंने बताया आन्ध्र सरकार से ब्यौरेवार सर्वेक्षण करने के लिये कहा गया है ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : वेदारेब्यु बन्दरगाह के विकास के सम्बन्ध में आन्ध्र सरकार की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**श्री अलगेशन** : उन्होंने इसे छोटे बन्दरगाह के रूप में खोलने की भारत सरकार से अनुमति मांगी है । यह छोटे बन्दरगाह के रूप में था परन्तु उन्होंनें इसकों बन्द कर दिया था । अब उन्होनें उसे छोटे बन्दरगाह के रूप में दुबारा खोलने की अनुमती मांगी है ।

†**श्री रघुरामैय्या** : क्या इसको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने का उद्देश्य है, तथा यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार इस उद्देश्य को पूरा करने का पूर्ण प्रयत्न करेगी ?

†**श्री अलगेशन** : जी हां, यद्यपि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आन्ध्र प्रदेश के छोटे बन्दरगाहों के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय किया जा चुका है परन्तु फिर भी यदि जांच के पश्चात इसको शामिल करना संभव हो सका तो यह शामिल कर लिया जायेगा ।

†**डा० लंका सुन्दरम** : क्या सरकार के पास आन्ध्र तट के छोटे बन्दरगाहों के विकास की पूर्ण योजना है, तथा यदि हां तो क्या उपमंत्री उन बन्दरगाहों के नाम बता सकेंगे जिन पर विचार किया जा रहा है ?

†**श्री अलगेशन** : जी हां, । काकिनादा, मछलीपटनम ,खांडोलस , नरसपुर , भीमूनिपटम, कलिंगपटनम तथा बसवा की योजनाएं बनायी गई हैं ।

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर

रूस द्वारा आणविक परीक्षण

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८. श्री सैं० वें० रामस्वामी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रेसिडेंट आईजनहावर की इस घोषणा की ओर आकर्षित कराया गया है कि २४ अगस्त , १९५६ से रूस ने आणविक आयुधों का परीक्षण फिर प्रारम्भ कर दिया है;

(ख) क्या सरकार का इस वक्तव्य की ओर भी ध्यान दिलाया गया है कि जहां रूस नें यह सब परीक्षण किये हैं वह स्थान दक्षिण-पश्चिम साइबेरिया, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा चीन के पश्चिम में अवस्थित है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या सरकार जानती है कि यह भारतीय सीमा से कितनी दूर हैं;

(घ) क्या सरकार के पास इस प्रकार के यन्त्र है जिनसे भारतीय सीमा से संभावित दूरी तथा रेडियो सक्रिय धूलि की मात्रा की जांच की जा सके ; और

(ड़) क्या इन परीक्षण स्थानों तथा तिथियों की घोषणा करने सम्बन्धी कोई अन्तर्राष्ट्रीय समझौता है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्यमंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क)और (ख). सरकार ने समाचार पत्रों में प्रेसीडेंट आइजनहावर के वक्तव्य को पढ़ा है। उसमे कहां गया है कि आणविक परीक्षण २४ अगस्त. को दक्षिण-पश्चिम साइबेरिया में कही किये गये थे।

(ग) इस विषय की सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(घ) अणु शक्ति विभाग के कोलाबा स्टेशन के पास वायुमंडल की रेडियो धार्मिता पता लगाने के यन्त्र हैं।

इन यन्त्रों से यह पता चलता है कि २५ अगस्त को वायुमंडल की रेडियो धार्मिता अचानक तथा पर्याप्त मात्रा में बढ़ गयी थी। इससे यह मालूम होता है कि सम्भवत: किसी आणविक विस्फोट के कारण रेडियो धूलि की मात्रा बढ़ गई है। कई दिनों तक यह रेडियो धार्मिता बडी अधिक मात्रा तक बनी रही। हमारे पास अभी अन्तरिक्षाशस्त्रीय सामग्री को छोड़ कर जिससे कि यह धूलि उत्तर की ओर से बढ़ती हुई प्रतीत होती है इस धूलि की दिशा तथा इसके फासले को नापने का कोई और साधन नहीं हैं।

†**श्री सैं० वें० रामस्वामी** : सोवियत सरकार की **तास** न्यूज एजेन्सी ने ३१ अगस्त, १९५६ को अन्य बातों के साथ एक यह बात भी प्रकाशित की थी कि सोवियत सरकार अपनी सुरक्षा की दृष्टि से अमरीका और ब्रिटेन द्वारा १९५६ में किये जाने वाल आणविक प्रयोगों की ओर ध्यान दिये बिना नहीं रह सकती, विशेष रूप से उन्होंनें आणविक अस्त्रों में पूर्णता लाने के लिये तथा नये प्रकार के आणविक अस्त्र बनानें के लिये जो प्रयोग २४ और ३० अगस्त को किये ह। इस प्रकार क्या भारत सरकार को यह ज्ञान है कि विदेशों शस्त्रास्त्रों के लिये एक भयानक दौड़ हो रही है और यदि हां तो, तो भारत सरकार इसको रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस सम्बन्ध में भारत सरकार के विचार सभी को भलीभांति ज्ञात हैं। वास्तव में हम ममझते हैं कि इनके उद्देश्यों की पूर्ति होने से होने वाली हानियों के अतिरिक्त इनसे वर्तमान म भी बड़ी हानियां होनें की सम्भावना है जैसा कि अभी अभी माननीय सदस्य नें स्वयं एक उद्धरण से बताया है। वास्तव में सभी लोग आन्तरिक से शांति ही चाहते हैं परन्तु वे एक दूसरे के भय के कारण इस कार्य में लगा रहना चाहते हैं।

किन्तु भारत सरकार इसको कैसे बन्द करवा सकती है ? हम केवल मात्र एक मित्र की हैसियत से इन देशों का ध्यान इससे पैदा होनें वाले खतरों की ओर दिला सकते हैं।

†**श्री सैं० वें० रामस्वामी** : क्या यह सत्य है कि सोवियत सरकार ने कभी भी इन विस्फोटों की स्तिथि तथा स्थान के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, तथा क्या उसने सदा इन बातों की घोषणा को दूसरे देशों पर छोड़ दिया है ? हम इस प्रकार के गुप्त प्रयोगों के बारे में भारत सरकार के विचार जानना चाहते हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरे विचार में इनमें से अधिकांश प्रयोग गुप्त रूप से ही हुए हैं। केवल कुछ ही प्रयोगों के बारे में पहले घोषणा की गयी थी। मुझे इसमें कोई भी सन्देह नहीं है कि इन घोषित प्रयोगों के अतिरिक्त अनेकों गुप्त प्रयोग भी हुए हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सैं० वें० रामस्वामी** : ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि सोवियत सरकार ने अपने नागरिकों की रक्षा के लिये उचित उपाय कर लिये हों। किन्तु यह कहा जाता है कि यह ताप नाभिकय[1] अस्त्र हैं। इनके प्रभाव का क्षेत्र बहुत दूर दूर तक व्याप्त रहता है। अतः क्या यह बात ठीक है कि इनसे उत्पन्न होने वाली रेडियो सक्रिय धूलि पास पड़ोस के देशों में पहुंच कर अपार हानि पहुंचा सकती हैं?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : क्योंकि हमें इस विस्फोट विशेष का कुछ निश्चित ज्ञान नहीं है अतः हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। माननीय सदस्य को प्रत्येक प्रकार की कल्पना करने की स्वतंत्रता है।

†**श्री सैं० वें० रामस्वामी** : किन्तु यह घोषणा हो चुकी है कि यह एक मेगाटन रेंज (दूरव्यापी) का विस्फोट था।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इन नाभिकीय विस्फोटों[2] में मेगाटन भी बहुत छोटी बात है।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : सरकार यह जानने के लिये क्या कर रही है कि यह विस्फोट कितनी दूर पर हुआ था।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं अभी बता चुका हूं कि हम अपने उपकरणों द्वारा इसका पता नहीं लगा सकते हैं। हम अन्तरिक्षशास्त्रीय सामग्री द्वारा इसकी दिशा का कुछ अनुमान मात्र लगा सकते हैं। किन्तु ठीक ठीक फासले का पता नहीं लगा सकते हैं। हम केवल इस बात का अनुमान लगा सके हैं कि यह धूलि कितनी देर तक छायी रही तथा यह विस्फोट कितना प्रबल था। किन्तु यह सब लगभग अनुमान मात्र है।

डाक और तार औद्योगिक श्रमिक संघ द्वारा हडताल की सूचना

†**अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १९. श्री कासलीवाल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत जून में अखिल भारतीय द्विवार्षिक सम्मेलन तथा डाक और तार औद्योगिक श्रमिक संघ ने सरकार को एक हड़ताल की सूचना दी थी;

(ख) क्या अब सम्मेलन ने हड़ताल की उस सूचना का अनुमोदन कर दिया है;

(ग) क्या संघ की मांग यह है :

'एक उद्योग में एक संघ होना चाहिये'; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार करती है?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां।

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार को अभी तक संघ की ओर से कोई भी अधिकृत सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) जी हां।

(घ) सरकार संघो के संविलय के लिये संघों पर अपनी कोई भी योजना तब तक नहीं थोपना चाहती जब तक कि वे संघ स्वयं ही आपस में समझौता करके ऐसी किसी योजना पर सहमत नहीं हो जाते हैं। यदि संघ स्वेच्छापूर्वक संविलय के लिये कोई सहायता मांगेंगे, तो सरकार अवश्य ही यथासम्भव सहायता करेगी।

†**श्री कासलीवाल** : डाक और तार उद्योग में इस समय कितने संघ कार्य कर रहे हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Thermo-nuclear.

[2]Nuclear explosions.

†**श्री राज बहादुर** : औद्योगिक क्षेत्र में तीन संघ हैं। डाक और तार औद्योगिक श्रमिक संघ नें ५,१००० की सदस्यता का डाक और तार मजदूर संघ नें २,००० की सदस्यता का, और टेलीफोन श्रमिक संघ नें ८५० की सदस्यता का दावा किया है। यह कुल संख्या ७,९५० हो जाती है, जब कि औद्योगिक क्षेत्र के कारखानों में श्रमिकों की वास्तविक संख्या ६, ५०० ही है।

†**श्री कासलीवाल** : क्या द्विवार्षिक सम्मेलन द्वारा सरकार को हड़ताल की यह सूचना दिये जानें के बाद, सरकार को हड़ताल आन्दोलन कें नेताओं के साथ इस सम्बन्ध में बातचीत करनें का कोई अवसर मिला था ?

†**श्री राज बहादुर** : हम जबतब उनसे इस सम्बन्ध में चर्चा करते रहें हैं; और कुछ पत्र-व्यवहार भी हुआ है। सारें मामले की वास्तविकता यह है कि डाक और तार औद्योगिक श्रमिक संघ यह चाहता है कि हमें स्टोरों, कारखानों, परिवहन सेवाओं, टेलीफोन के जिलों आदि में काम करनें-वाले श्रमिकों का एक ही संघ या एक ही फेडरेशन स्थापित करना चाहिये; लेकिन हमारे लिये ऐसा करना सम्भव नहीं है। क्योंकि ऐसा करना गैर-औद्योगिक डाक और तार संघों के क्षेत्राधिकार में उनकी सदस्यता के सम्बन्ध में हस्तक्षेप करना होगा। डाक और तार संघों को गठ बन्धन योजना में सम्मिलित किया ही जा चुका है। और हमें न तो डाक और तार कर्मचारियों के फेडरेशन द्वारा और न ही सम्बन्धित अखिल भारतीय संघों द्वारा ही स्वीकार किया जायेगा।

दूसरी बात यह है, कि वे यह भी चाहते हैं कि यदि विभाग के औद्योगिक उपविभाग के वर्तमान संघ गठबन्धन की इस योजना पर सहमत न हों तो उनकी मान्यता छीन ली जाये। हम यह आधार मान कर चले हैं कि यह सार संविलयन स्वेच्छापूर्वक ही हो। २२ डाक और तार संघों के मामले में, भी हमनें इसी आधार को सामनें रखा था। डाक और तार के नियमित कर्मचारियों के उस भाग में जो भी संघ गठबन्धन की योजना से सहमत नहीं हुए थे, हमनें उनकी मान्यता नहीं छीनी थी।

अन्त में, वे यह भी चाहते हैं कि सम्बन्धित संघों कां एक सम्मेलन सरकार की ओर से बुलाया जाये। हम नें उन्हें बता दिया है कि सबसे पहले तो उन्हें आपस में ही किसी आधारभूत समझौते पर सहमत हो जाना चाहिये। यदि कोई ऐसा समझौता सूत्र बना लिया जाता है और सभी उससे सहमत हो जाते हैं, तो हम बड़ी प्रसन्नता से उनकी सहायता करेगें। हम इस सम्बन्ध में उनकी कोई सहायता इससे पहले नहीं कर सकेगें।

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी** : क्या उनके इस अनुरोध का अर्थ यही है कि संविलयन के लिये सरकार को ही उपक्रमण करना चाहिये ?

†**श्री राज बहादुर** : हमारी ओर से कोई भी कार्यवाही किये जानें से पहले यह आवश्यक है कि सम्बन्धित संघों में आपस में कोई काम चलाऊ आधार ढूंढ लिया जाये, उनमें मोटे तौर पर कोई समझौता हो जाये। यह इसलिये कि अन्तिम विश्लेषण में तो सरकार की ओर से कोई उपक्रमण करनें का आशय यही होगा कि सरकार नें उसके लिये कुछ दबाव डाला है। डाक और तार औद्योगिक श्रमिक संघ की मांग को मान लेनें का तो मतलब यही होगा कि सरकार को उन्हें कुछ सीमा तक बाध्य करना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं करना चाहते।

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी** : क्या यह सच है कि २० से अधिक संघों की अनेकता में से एक ही फेडरेशन बनानें में सरकार की ही ओर से उपक्रमण किया गया था ?

†**श्री राज बहादुर** : हमनें सदा ही ऐसा किया है, और हम सम्बधित संघों—वर्तमान संघों—के एक किसी भी प्रकार के गठबन्धन की योजना के अन्तर्गत एकता पैदा करनें के प्रयत्नों को प्रोत्साहन देना और उनका समर्थन करना चाहते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

डाक व तार विभाग कर्मचारियों को प्रतिकारात्मक भत्ता

†*१६८८. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **संचार** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन क्षेत्र में डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों नें प्रतिकारात्मक भत्ते की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां ।

(ख) इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सका क्यों कि इस प्रकार के भत्ते प्रदान करनें के लिये सरकार द्वारा जो शर्तें निर्धरित हैं यह उन्हें पूरा नहीं करता है ।

ग्रामों का परिवहन

†*१६९५. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :**
बाबू रामनारायण सिंह :
श्री अस्थाना :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बतानें कि कृपा करेंगे कि क्या ग्रामों के लादनें तथा उतारनें के कार्य को ध्यानपूर्वक करनें के लिये पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा कोई अनुदेश जारी किये गये है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां)** : ग्रामों के चढ़ानें उतारनें के लिये पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा कोई विशिष्ट अनुदेश जारी नहीं किये गये हैं ।

तथापि नाशी वस्तुओं की पेटियों के ध्यानपूर्वक चढ़ानें उतारनें के सम्बन्ध में पहिले से ही अनुदेश वर्तमान है ।

सहकारी उधार समितियां

†*१६९७. **श्री नि० बि० चौधरी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रारम्भिक सहकारी उधार समितियों के सदस्यों द्वारा ब्याज की दर में कमी करनें के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाहियां की गयी है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : निम्न कार्यवाहियां की गयी है ;

१. प्रमुख ऋण संस्थाओं को रक्षित बैंक दर से २ प्रतिशत कम दर पर अल्प कालीन ऋण दे रहा है ।

२. सहकारी उधार समितियों की अंशपूंजी में अभिदान के लिये राज्य सरकारोंको रक्षित बैंक रियायती दरों पर दीर्घावधि ऋण दे रहा है ।

३. केन्द्रीय तथा राज्य सरकार सहकारी उधार समितियों के लिये संस्था की तिथि से लेकर पहले तीन वर्षों में अपेक्षित अतिरिक्त प्रबन्धकीय कर्मचारियों के परिव्यय के निमित्त अर्थ सहायता देगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पटसन

†*१७०२ **श्री ल० ना० मिश्र :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री ३ अप्रैल १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १११९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों द्वारा कच्चे पटसन के गुणप्रकार में सुधार करने के लिये जो कार्यवाहियां की गयी है उनके फलस्वरुप अब तक क्या परिणाम हुए हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि बिहार में इस बात की ओर पर्याप्त ध्यान नही दिया गया है। और पटसन मुलायम करने के तालाबों के कार्यक्रम के अनुसार खुदाई के काम में प्रगति नही हुई है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) राज्य सरकारों से प्राप्त हुए प्रतिवेदनों में संकेत किया गया है कि उन्होंने जो कार्यवाहीयां की थी उन के फलस्वरूप कच्चे पटसन के गुण-प्रकार में सामान्यता सुधार हुआ है, परन्तु कितना सुधार हुआ है; इस सम्बन्ध में यथार्थतम जानकारी एकत्रित की जा रही है; और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ख) बिहार सरकार ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को लागू करनें के लिय जो कार्य-वाहीयां की हैं उनकी पटसन मुलायम करनें वाले तलावों की खुदाई को छोड़ कर जिस मामले में इसकी कार्य पूर्ति कार्यक्रम के अनुसार नहीं है शेष सभी मामलों में पटसन उगानें वाले अन्य राज्यों द्वारा की गयी कार्यवाहीयों से सन्तोषजनक ढंग से तुलना की जा सकती है ।

डफ्रिन नामक प्रशिक्षण जहाज

†*१७०८. **श्री काजरोल्कर :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या यह सच है कि "डफ्रिन" नामक प्रशिक्षण जहाज में प्रवेश पानें के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये कोई रक्षित स्थान नहीं है और न ही उनकी आयु सीमा में कोई छुट दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन सुविधाओं की अब व्यवस्था करनें के औचित्य पर विचार करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) से (ग). इस समय इस प्रकार के सुरक्षण का कोई प्रबन्ध नही है । तथापि यह प्रश्न विचाराधीन है ।

दिल्ली में चिड़ियांघर

*१७०९. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री १५ मई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या २२०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतानें की कृपा करेगें कि दिल्ली में एक चिड़ियाघर (जूओलाजिकल पार्क) स्थापित करनें के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): चिड़ियाघर-उपवन के सामान्य रेखांकन, रूपरेखा तथा विस्तृत योजना तैयार करने के लिये एक जर्मन चिड़ियाघर के विशेषज्ञ की सेवायें सलाहकार के रूप में प्राप्त कर ली गयी हैं। रेखांकन का एक प्रारम्भिक नक्शा उनसे प्राप्त हुआ है और उसकी जांच पड़ताल की जा रही है । इस अन्तर में चिड़ियाघर के स्थान पर प्रारम्भिक काम हो रहा है । कुछ पशु प्राप्त हो चुके हैं और रखने का प्रबन्ध पूरा हो जाने पर अधिक पशुओं के आने की आशा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलगाड़ियों में रोशनी के लिये डाइनमों

†*१७१०. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बतानें की कृपा करेगें कि :

(क) भारतीय रेलवें को प्रतिवर्ष गाड़ियों में रोशनी के लिये कितनें डायनमों की आवश्यकता होती है;

(ख) क्या ये सभी अपेक्षित डायनमों विदेशों से मंगवायें जाते हैं ; और

(ग) देश में डायनमों निर्माण के लिये क्या कोई कार्यवाही की जा रही है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) :** (क) ९०० से १,००० के बीच ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी, हां ।

जम्मू तथा काश्मीर सरकार को अनाज का सम्मरण

†*१७११. **श्री रामचन्द्र रेड्डी :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बतानें की कृपा करेगें कि :

(क) १९५४–५५ और १९५५–५६ में ३० जून तक भारत सरकार द्वारा जम्मू तथा काश्मीर राज्य को राज सहायता प्राप्त दामों पर कितना अनाज दिया गया था ;

(ख) प्रति मन कितनी राजकीय सहायता दी गयी थी ; और

(ग) राजकीय सहायता के रूप में वर्ष वार कुल कितनी रकम दी गयी थी ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) से (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें १९५४–५५ और १९५५–५६ में जम्मू तथा काश्मीर सरकार को दिये गये अनाज की मात्रा बतायी गयी है । [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ३५**]

भारत सरकार नें चावल तथा धान की बिक्री में राजकीय सहायता का देना स्वीकार किया है, गेंहू की बिक्री के सम्बन्ध में नहीं किया है । १९५४–५५ और १९५५–५६ की अवधि में चावल तथा धान की बिक्री के लेखे की अभी परिनिरीक्षा की जा रही है और अभी उसे अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । इसलिये इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि जम्मू तथा काश्मीर सरकार की कितनी राजकीय सहायता देय होगी ।

अतिरिक्त सामग्री

†* १७१२. **श्री झूलन सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बतानें की कृपा करेगें कि :

(क) ३१ मार्च १९५६ को रेलवे के पास पड़े अतिरिक्त सामग्री और क्षेत्र का कुल कितना मूल्य था ; और

(ख) उनके निबटाने के लिये क्या कार्यवाहियां की गयी या किन कार्यवाहियों के करनें का प्रस्ताव है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) :** (क) ४·९ करोड़ रुपये (लगभग) ।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबंध संख्या ३६**]

---

†मूल अंग्रेजी में

ऋतु विज्ञान विभाग

†*१७१३. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **संचार** मंत्री यह बतानें की कृपा करेगें कि :

(क) क्या ऋतु विज्ञान विभाग का भारतीय नौसेना के साथ कोई समन्वय है ; और

(ख) यदि हां तो समन्वय किस प्रकार का है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां ।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गयी है । [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ३७**]

रोहतक–पानीपत रेलवे लाईन

†*१७१४. **श्री राम कृष्ण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बतानें की कृपा करेगें कि :

(क) क्या रोहतक-पानीपत उद्ध्वस्त रेलवे लाईन का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति की गयी है ; और

(ग) यदि नहीं तो विलम्ब का कारण क्या है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) इस परियोजना के रोहतक-गोहाना भाग के पुनः स्थापन के लिये उत्तर रेलवे द्वारा विस्तृत परियोजना का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है ।

जनता गाड़ियों में सोनें के लिए स्थान

†*१७१५. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) विभिन्न रेलों में जनता गाडियों के तीसरी श्रेणी के डिब्बों में सोने के लिये कुल कितनें स्थानों की व्यवस्था की जाती है ; और

(ख) इसके उपक्रम के बाद से किस सीमा तक इस सुविधा से लाभ उठाया गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) प्रत्येक रेलगाड़ी में ५४ स्थान जब कि गलियारे वाली गाडियों में ६४ स्थान होते हैं ।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबंध संख्या ३८**]

भारतीय श्रम सम्मेलन

†*१७१६. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **श्रम** मंत्री १० अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेगें कि:

(क) क्या भारतीय श्रम सम्मेलन के नवम्बर , १९५६ में प्रस्तावित १५वें सत्र के लिये क्या किसी केन्द्रीय धार्मिक संघ संगठन में चर्चा के लिये कार्यसूची में सम्मिलित करनें के लिये किसी विषय या विषयों का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो सुझाव किस प्रकार का है ; और

(ग) क्या सरकार ने चर्चा के लिये किसी विषय का सुझाव दिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) से (ग). सम्मेलन की तिथि अभी निश्चित नहीं की गयी है ।सम्बन्धित संस्थाओं से यह प्रार्थना की गयी है कि कार्यसूचि में जिन विषयों को वे सम्मिलित करना चाहते हैं उन के सम्बन्ध में अपने सुझाव भेज दे । कुछ संस्थाओं से अभी उत्तर प्राप्त होने हैं । सभी सम्बन्धित हितों से उत्तर प्राप्त होने पर कार्य सूचि को अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

रामगंगा नदी पर पुल

*१७१७. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री रघुवीर सहाय :

क्या **परिवहन** मंत्री २८ मई , १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतानें की कृपा करेगें कि मुरादाबाद नगर के पास रामगंगा नदी पर सड़का का पुल बनानें की जो योजना विचाराधीन थी , उसे क्रियान्वित करनें की दिशा में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : पुल के लिये स्थान के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय किया जा रहा है ।

राम गुन्दम-निजामाबाद रेल कड़ी

†*१७१८. **श्री ब० स० मूर्ति** : क्या **रेलवे** मंत्री १७ जुलाई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५८ के उत्तर के संम्बन्ध में यह बतानें की कृपा करेगें कि:

(क) लट्टूर राम गुन्दम परियोजना के लिये जिसका निजामाबाद-रामगुन्दम एक भाग है और जिसे १९४५ – ४६ में पूरा किया गया था , अन्तिम स्थिति (इंजीनियरिंग) सर्वेक्षण के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ख) परियोजना पर किस तिथि को कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) परियोजना आर्थिक दृष्टिकोंण से न्यायोचित नहीं थी ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

अजन्ता की गुफाओं में यात्रियों के लिये पीने के पानी की सुविधायें

†*१७१९. **श्री काजरोल्कर** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बतानें की कृपा करेगें कि :

(क) क्या ऐसी शिकायतें प्राप्त हुइ है कि अजन्ता गुफाओं में यात्रियों के लिये पीने का पानी प्राप्य नहीं है ; और

(ख) यदि हां , तो इस सम्बन्ध में क्या प्रबन्ध किये गये हैं ।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) इस मंत्रालय को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) गुफाओं में यात्रियों को मिट्टी की चाटियों और छन्नों से पानीं दिया जाता है ।

केन्द्रिय पत्तन तथा नौवहन सांख्यिकीय संस्था

†*१७२०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या ८ नवम्बर, १९५५ को राष्ट्रीय पत्तन बोर्ड की पांचवी बैठक में की गयी सिफारिशों के अनुसार नौवहन महानिदेशालय में केन्द्रीय पत्तन तथा नौवहन सांख्यिकीय संस्था स्थापित की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संस्था के मुख्य कृत्य क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) अभी नहीं, परन्तु इस प्रश्न पर अब विचार किया जा रहा है ।

(ख) जब यह संस्था स्थापित की जायेगी तो इसके मुख्य कृत्यों में पत्तन तथा नौवहन सांख्यिकीय समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिये एक क्रमिक कार्यक्रम तैयार करना होगा ।

राजयक्ष्मा चिकित्सालय

*१७२१. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १८ मई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या २३१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) मध्यम व निम्न वर्गों के व्यक्तियों को सस्ते इलाज की सुविधा देनें के लिये राजयक्ष्मा के चिकित्सालय स्थापित करनें की जिस योजना पर विचार किया जा रहा था, क्या उस के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी मोटी मोटी बातों और वित्तीय पहलुओं का एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) जी हां ।

(ख) इस बारे में एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबंध संख्या ३९**]

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

विश्व स्वास्थ्य सभा

†१२५१. **श्री राम कृष्ण** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंनें मई १९५६ के दूसरे सप्ताह में जनेवा में हुए विश्व स्वास्थ्य सभा के ९वें अधिवेशन में भाग लिया था, और

(ख) उक्त सभा की मुख्य मुख्य सिफारिशें क्या थीं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबंध संख्या ४०**]

भूमि का कृष्यकरण

†१२५२. **श्री राम कृष्ण** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन तथा यान्त्रीकृत खेती की सहायता से राज्यवार कितनी भूमि का कृष्यकरण किया गया; और

(ख) उपयुंक्त तरीकों से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राज्यवार कितनी भूमि का कृष्यकरण किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन द्वारा प्रत्येक राज्य में निम्न भूमि क्षेत्रों का कृष्यकरण किया गया है :

	एकड़
मध्य प्रदेश	३,६९,४२३
मध्य भारत	२,८७,३०६
आसाम	१,८२०
भोपाल	२,७५,२६३
उत्तर प्रदेश	२,४९,४८५
कुल.	११,८३,२९७

एक विवरण जिसमें राज्यों के ट्रेक्टर संगठनों द्वारा १९५१-५२ से १९५५-५६ तक के काल में बंजर जमीनों के कृष्यकरण की एकड़ संख्या का वर्णन है, सभा पटल पर रखा जाता है [**देखिय परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ४१**] गैर-सरकारी पक्षों द्वारा यन्त्रों की सहायता से कृष्यकृत क्षेत्रों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन द्वारा निम्न एकड़ संख्या के कृष्यकरण की प्रत्याशा की जाती है। केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन की बाद के वर्षों सम्बधी योजना को अभी तैयार नहीं किया गया है।

	एकड़
आसाम	८,५७०
मध्य प्रदेश	१३,३३२
बिहार	२१,४३३

इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, मध्य भारत तथा भोपाल में केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन द्वारा २,२३,३४० एकड़ भूमि में कांस को दूर करनें का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन आंकड़ों का राज्यवार अलग अलग बताना इस समय सम्भव नहीं है। केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन के अतिरिक्त अन्य अभिकरणों द्वारा कृष्यकरण के सम्बन्ध में ब्योरा उपलब्ध नहीं है।

दिल्ली-सराय रोहेला रेलवे लाईन

†**१२५३. श्री राम कृष्ण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-सराय रोहेला और गढ़ी हरसरू के बीच २३ मील लम्बी रेलवे लाइन को दोहरी बनाने का निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) वास्तविक कार्य कब आरम्भ होगा ?

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) श्रीमान, अभी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) कार्य का अनुमानित व्यय स्वीकृत हो गया है। इसे आरम्भ करने के लिये प्रारम्भिक प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

(घ) शीघ्र ही।

त्रावणकोर-कोचीन राज्य में वन

†**१२५४. श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रावणकोर-कोचीन के वनों से रत्तन (केन्स) के काटने पर टंकण प्रलाभ स्थानीय कर या अन्य उद्ग्रहण लिये जाते हैं :

(ख) यदि हां, तो उनकी दर क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि वनों से रत्तन लेने का अधिकार नीलाम द्वारा दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो १९५० से १९५५ तक प्रत्येक वर्ष नीलामो से कुल कितना धन प्राप्त हुआ ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां।

(ख) ये निम्न हैं :—

स्थानिक और औद्योगिक प्रयोजनों के लिये

१. श्रेणी के प्रति१०० रत्तन पर (१२′ लम्बे)	४ रुपये
२. ,, ,,	३ रुपये
३. ,, ,,	२ रुपये
१. टूटे हुये श्रेणी के प्रति १०० रत्तन पर (१२′ लम्बे)	६ रुपये
२. ,, ,,	३ रुपये
३. ,, ,,	१ रुपये ८ आने

निर्यात के प्रयोजनों के लिये

१. श्रेणी के १०० रत्तन (१२′ लम्बे)	६—०—० रुपये
२. ,, ,,	४—०—० रुपये
३. , ,,	२—८—० रुपये

†मूल अंग्रेजी में

१.	श्रेणी के बिखरे हुये प्रति १०० रत्तन (१२′ लम्बे)	१२—०—० रुपये
२.	,, ,,	६—०—० रूपये
३.	,, ,,	३—०—० रुपये

(ग) सामान्य नियम यह है कि टंकण प्रलाभ की प्राप्ति पर सदाशय औद्योगिक प्रयोजनों के लिए रत्तन लेने के अनुज्ञापत्र (परिमित) दिये जाते हैं। परन्तु कुछ वन प्रदेशों में जहां रत्तन अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं, सदाशय औद्योगिक प्रयोजनों की आवश्यकताओं के लिये व्यवस्था करके नीलाम भी किये जाते हैं।

(घ) कुल प्राप्त राशियां निम्न है :—

१९४९—५० (७ १/२ मासों के लिए)	२,७५० रुपये
१९५०—५१	१,७०१ रुपये
१९५१—५२	५,९४५ रुपये
१९५२—५३	७,९४८ रुपये
१९५३—५४	६,५४५ रुपये
१९५४—५५	२,२४० रुपये
१९५५—५६	२,८५५ रुपये
योग .	३०,०१४ रुपये

त्रावणकोर-कोचीन राज्य का परिवहन विभाग

†१२५५. **श्री वें० प० नायर** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अब भारत सरकार त्रावणकोर-कोचीन राज्य के परिवहन विभाग संबंधी एक व्यक्ति के जांच आयोग का प्रतिवेदन सभा पटल पर रख सकती हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : हां। राज्य सरकार से प्राप्त होते ही प्रतिवेदन की प्रतियां सभा-पटल पर रखी जायेंगी।

नई रेलवे लाईनों का सर्वेक्षण

†१२५६. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि सरकार ने नई लाईनों के खोलने की सम्भावना की खोज की दृष्टि से निम्न मार्गों का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है :

(१) उदयपुर—हिम्मत नगर,
(२) चितौड़ गढ़—कोटल,
(३) अजमेर—कोटल,
(४) मंडल—कोटल,

(ख) यदि हां, तो कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) वे सर्वेक्षण सम्भवतः कब तक पूर्ण होंगे और उनके परिणाम कब सरकार के समक्ष रखे जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) (१), (२) और (३) जी हां।

(४) जी नहीं।

(ख) (१) और (२) क्षेत्र-कार्य समाप्त हो गया है; क्षेत्र विभाग का कार्य हो रहा है।

(३) इंजिनीयरिंग सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और उस की जांच हो रही है। परिवहन सर्वेक्षण प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

(४) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) (१) और (२) लगभग दिसम्बर १९५६ के अन्त तक।

(३) परिवहन सर्वेक्षण प्रतिवेदन के शीघ्र प्राप्त होने की आशा है।

(४) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

खान मजदूरों के लिये अस्पताल

१२५७. श्री ह० रा० नथानी : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान भीलवाड़ा जिले में अभ्रक की खानों के मजदूरों के लिये अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि के अन्तर्गत बनाये जाने वाले अस्पताल के लिये स्थान का निर्णय किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उस स्थान का नाम क्या है और उसके करीब कितने अभ्रक खान मजदूर रहते हैं?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) मामला अभी विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गोसदन

१२५८. श्री ह० रा० नथानी : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिन १६० गोसदनों के खोलने की व्यवस्था थी, उसमें से उक्त योजना काल में कितने गोसदन खोले गये तथा उन पर कितनी धन राशि व्यय की गई ;

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रकार से स्थापित किये गये गोसदनों की हालत संतोषजनक नहीं है; और

(ग) इन गोसदनों की हालत सुधारने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) २५, जिन पर ७,९२,७०० रुपये खर्च हुआ।

(ख) जी नहीं ; किन्तु गोसदनों का स्थापन जितनी आशा की गई थी उस से आहिस्ता हो रहा है :

(ग) प्रश्न नहीं होता किन्तु इन संस्थाओं की उपयोगिता और लोकप्रियता बढ़ाने के लिए निम्न उपाय किये जा रहे हैं :—

---

†मूल अंग्रेजी में

(१) ढोरों के परिवहन की अच्छी सुविधायें देना ;

(२) निजी गोसदनों को अधिक सुविधाएं देना ;

(३) वर्तमान गोशालाओं को वृद्ध और अनुपयोगी ढोरों के संग्रह केन्द्र रूप से संनद्ध करना ; और

(४) खालों को अच्छी तरह से उतारने और सड़ने से बचाने तथा शवों के आर्थिक उपयोग करने के लिये प्रत्येक गोसदन में एक चर्मालय का स्थापन करना ।

प्रसूति तथा शिशुकल्याण केन्द्र

†१२५९. **श्री हेमराज :** क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री २७ फरवरी १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २६२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) प्रसूती तथा शिशु कल्याण केन्द्र खोलने के लिये १९५६ में विभिन्न राज्यों को कितना धन दिया गया ; और

(ख) उस काल में पंजाब में कितने केन्द्र खोले गये हैं और जिला कांगड़ा के लिये कितनी संख्या नियत की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) :** (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना क़ाल में प्रसूति तथा शिशु कल्याण कार्य स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा किया जायेगा जिन्हें योजना काल में स्थापित करने का विचार है। इस प्रकार, १९५६–५७ में प्रसूति तथा शिशु कल्याण केन्द्र खोलने के लिये विभिन्न राज्यों को पृथक अनुदान देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ख) केन्द्रीय सहायता से पंजाब में कोई केन्द्र नहीं खोला गया है ।

कांगड़ा घाटी रेलवे विभाग

†१२६०. **श्री हेमराज :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के कांगड़ा घाटी रेलवे भाग में (एन. जी.) में रापुर, ज्वालामुखी रोड और कांगड़ा स्टेशनों पर विश्राम हाल बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उनपर कितना धन व्यय करने का विचार है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) १९५६–५७ में कांगड़ा रेलवे स्टेशन पर एक प्रतीक्षा का कमरा बनाने का विचार है। रापुर रोड और ज्वालामुखी रोड में प्रतीक्षा के कमरों के बनाने में कोई औचित्य नहीं है।

(ख) कांगड़ा रेलवे स्टेशन पर प्रस्तावित प्रतीक्षा के कमरे पर लगभग १०,००० रू. व्यय होंगे ।

पेप्सू में नये डाकघर

†१२६१. **श्री राम कृष्ण :** क्या **संचार** मंत्री ११ अप्रैल १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८७७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५६–५७ में पेप्सू में ९० डाकघर खोलने की योजना पर अन्तिम विचार हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वे कहां कहां स्थित होंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) नये डाक घर खोलने के सारे प्रस्तावों की जांच अभी समाप्त नहीं हुई है।

(ख) ३४ स्थानों के नाम, जहां डाकघर खुल चुके हैं या खोलने की अनुमति मिल गई है, सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिये गये हैं। [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ४२**] शेष प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

ब्रेकमैनों का प्रशिक्षण

†१२६२. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तरपूर्व रेलवे में मुजफ्फरपुर प्रदेश के जिला सोनीपुर में गार्ड-पद के लिये ब्रेकमेनों को प्रशिक्षण देने में ढील है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ; और

(ग) १९५५–५६ और १९५६ में जून तक कितने ब्रेकमैनों ने गार्ड-पद का प्रशिक्षण लिया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) एक।

पटना उड्डयन क्लब

†१२६३. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना उड्डयन क्लब में विभिन्न श्रेणियों के कितने विमान-चालकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है ; और

(ख) इस क्लब को कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) बिहार उड्डन क्लब, पटना ने १९४० में अपनी स्थापना के बाद १८२ 'क' ७ 'क१' और २२ 'ख' विमान-चालकों को प्रशिक्षण दिया है।

(ख) १९५५–५६ में भारत सरकार ने क्लब को १,७३,२९३ रू० की वित्तीय सहायता दी थी।

पूर्ण मार्ग डिब्बे

†१२६४. **श्री भीखा भाई** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निम्न स्थानों से पूर्ण मार्ग डिब्बे लगाने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है :

(१) उदयपुर से जयपुर को ;

(२) जोधपुर से जयपुर को ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कायवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) (१) और (२) जी हां।

(ख) डिब्बों की कमी के कारण इन पूर्ण मार्ग सेवाओं का आरम्भ करना असम्भव हैं।

यह कहा जा सकता है कि प्रथम, द्वितीय और तीसरी श्रेणी का मिश्रित रेल का डिब्बा दिल्ली और उदयपुर के बीच जयपुर होकर पहिले से ही चलता है।

राष्ट्रीय जल-संभरण तथा स्वच्छता योजना

†१२६५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगी जिसमें उन स्थानों के नामों का, जहां राष्ट्रीय जल संभरण तथा स्वच्छता योजना के अन्तर्गत योजनायें कार्यान्वित की गई है ; ऐसी प्रत्येक योजना के संबंध में भारत सरकार द्वारा किए गये व्यय के प्रतिशत का और १९५४–५५ और १९५५–५६ में पंजाब को दिये गये धन का उल्लेख हो ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : एक विवरण, जिसमें अपेक्षित जानकारी दी है, सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबंध संख्या ४३**]

खोमचा-वालों की सहकारी समितियां

†१२६६. { **ठाकुर युगल किशोर सिंह** :
बाबू राम नारायण सिंह :
श्री अस्थाना :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर-पूर्व रेलवे में कौन-कौन सी खोमचा-वालों की समितियां हैं ;

(ख) चालू वर्ष में अभी तक किन किन समितियों ने खोमचा-विक्रय-ठेकों के लिए प्रार्थना की है ; और

(ग) उनके प्रार्थना पत्र कब दिये गये थे और उन्हें किस ढंग से निबटाया गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) सरकार को ऐसी केवल एक समिति का पता है जिसका नाम है खोमचा-सहकारी समिति, हाजीपुर।

(ख) और (ग). इस समिति ने अप्रैल १९५६ में हाजीपुर में फल-विक्रय ठेका के लिये, जो १–४–५६ को समाप्त हो गया था, प्रार्थना की थी। उसके प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी क्योंकि पहिले ठेकेदार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली है कि स्टेशन पर फलों के विक्रय संबंधी उसके अधिकार में प्रशासन अन्तःक्षेप न करे।

रेलवे पास

†१२६७. **श्री मादिया गौडा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में प्रदेशानुसार और श्रेणी के अनुसार रेलों में शासन करने वाले कर्मचारियों को कितने पास दिये गये ; और

(ख) इन मुफ्त-पासों के देने में मुख्यतः किस बात का ध्यान रखा गया ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

चित्रमय पोस्टकार्ड

†१२६८. **श्री मालविया गौडा** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कौन से चित्रमय पोस्टकार्ड छापे गये हैं;

(ख) चालू वर्ष के अन्त तक कौन से चित्रमय पोस्टकार्डों का प्रकाशन करने का विचार हैं ; और

(ग) ये कार्ड कहां कहां बिकते हैं ।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ४४**]

(ख) कोई नहीं।

राष्ट्रीय राजपथ

†१२६९. { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली-श्रीनगर राष्ट्रीय राजपथ पर और दिल्ली–फजलिका, दिल्ली–शिमला राष्ट्रीय राजपथों पर कुछ पुलों व पुलियाओं के निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उन पुलों व पुलियाओं के नाम, स्वीकृति की तिथि और प्रत्येक के लिये स्वीकृत धन क्या है ;

(ग) क्या यह स्वीकृत धनराशि, कार्य के आरम्भ न होने के कारण व्यपगत हो गयी हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उनके निर्माण-कार्य आरम्भ होने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण, जिसमें पुलों के बारे में अपेक्षित जानकारी दी है सभा-पटल पर रखा जाता हैं। [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबंध संख्या ४५**] । पुलियाये सड़क-कार्य का ही एक भाग होती हैं तथा उनके लिये साधारणतया भिन्न प्राक्कलन स्वीकृत नहीं होते।

(ग) जी, नहीं।

(घ) राष्ट्रीय राजपथ संख्या १–क के जलंधर––तन्डा भाग के १७।१–२ मील में ऊंचे पुल को छोडकर सारे काम या तो पूर्ण हो गये हैं या हो रहे इस उंचे पुल का काम अभी आरम्भ नहीं हुआ है क्योंकि पुल के स्थान के बारे में अन्तिम विनिश्चय देर से हुआ है।

विमानों का विवश अवतरण

†१२७०. { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६ में अब तक "इण्डियन एयरवेज" के विमानों को इंजिन में कुछ खराबी होने के कारण कितने अवसरों पर विवश हो कर उतरना पड़ा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : १ जनवरी से ३१ जुलाई १९५६ तक के काल में इंजिन में खराबी होने के कारण विमानों को ११ बार विवश हो कर उतरना पड़ा । विवश होकर इन ११ बार उतरने का ब्यौरा निम्न है :—

अनुसूचित सेवायें		जो अनुसूचित सेवायें नहीं
*आई० ए० सी०	‡ए० आई० आई०	
२	५	४

*इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ।

‡एयर इंडिया इन्टरनेशनल ।

चीनी का निर्यात

†१२७१. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री सभा-पटल पर निम्न आशयों का एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ के वर्ष में कितनी और कितने मूल्य की चीनी का निर्यात किया गया; और

(ख) किन किन देशों को निर्यात किया गया ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, कुछ नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

टेलीफोन कनेक्शन जालंधर

†१२७२. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय जालन्धर सर्किल में कुल कितने टेलीफोन कनेक्शन हैं ;

(ख) कनेक्शनों के लिये प्राप्त प्रार्थना पत्रों में से कितने अभी निलम्बित पड़े हुए हैं ; और

(ग) किन-किन स्थानों के लिये कनेक्शनों की प्रार्थना की गई है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) कोई जालन्धर सर्किल विद्यमान नहीं है, अपितु जालन्धर डिवीज़न है जिस में ३२ टेलीफोन एक्सचेंज हैं। जालन्धर डिवीज़न में काम कर रहे कनेक्शनों की कुल संख्या इस प्रकार से है :

मुख्य कनेक्शन	३६२१
एक्सटैन्शन	७०४

(ख) और (ग) : अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ठ १०, अनुबंध संख्या ४६**]

†मूल अंग्रेजी में

पर्यटन सूचना कार्यालय

†१२७३. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कुल कितने पर्यटन सूचना कार्यालय है ;

(ख) इन केन्द्रों में नियुक्त पदाधिकारियों की कुल कितनी संख्या है ; और

(ग) इन केन्द्रों पर अभी तक आवर्तक तथा अनावर्तक कुल कितना व्यय हुआ है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) इस समय देश में भारत सरकार के पर्यटन सूचना केन्द्रों की कुल संख्या १३ है।

(ख) घोषित : १५
अघोषित : ८१

(ग) १९५०–५१ से १९५५–५६ तक २३,६१,७९९ रुपये।

सार्वजनिक टेलिफोन, लांबी

†१२७४. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फीरोजपुर जिले के लाम्बी नामक स्थान पर एक सार्वजनिक टेलीफ़ोन स्थापित करने की प्रस्थापना पर विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). लाम्बी में सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय स्थापित करने की किसी भी प्रस्थापना पर विचार नहीं किया गया है, क्योंकि अभी तक इस बारे में कोई मांग नहीं की गयी है।

गन्ने की खेती

†१२७५. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५–५६ में कितने एकड़ भूमि पर गन्ने के स्थान पर खाद्यान्नों की खेती की गई ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : उपलब्ध जानकारी उस विवरण में दी हुई है जो कि सभा-पटल पर रखा गया है। [**देखिये परिशिष्ठ १०, अनुबंध संख्या ४७**]

टेलीफोन एक्स्चेंज

†१२७६. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५–५६ में पंजाब तथा पेप्सू में स्था पित किये गये नये विभागीय टेलीफोन एक्सचेंजो पर कितना खर्च आया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : १.४ लाख रुपये।

डाकघरों की इमारतें

†१२७७. **श्री ल० ना० मिश्र** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के सहारसा, सुमाऊल तथा पंचगाचिया में डाक घरों के लिए विभागीय इमारतों के निर्माण के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो वे कब तक बन जायेंगे और उनमें से प्रत्येक इमारत पर कितना खर्च आयेगा ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां।

(ख) पंचगाचिया में डाक घरका विभागीय भवन बनाने के लिये भूमि उपलब्ध है और भवन निर्माण के लिये आवश्यक प्रारम्भिक कार्यवाहियां भी हो रही है। आशा है कि निर्माण कार्य अगले वर्ष के प्रारम्भ में शुरु हो जायेगा।

सहारसा तथा सुपाल में डाक घरों की इमारतों के लिये भूमि अधिग्रहण करने के बारे में कार्यवाही की जा रही है और भूमि के अधिग्रहण करते ही उस पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। प्राक्कलन योजनायें तैयार करना, स्वीकृति देना, ठेकेदारों का चुनाव आदि से सम्बन्ध रखने वाली प्रारम्भिक बातें पूरी हो चुकी हैं। भूमि अधिग्रहण कार्यवाहियां सामान्यतया ९ मास में पूरी हो जाती हैं और निर्माण कार्य की प्रारम्भिक कार्यवाहियों पर ६ से ९ मास तक और समय लग जाता है।

इन कार्यों की प्राक्कलित लागत, दरों के उतार चढ़ाव के अधीन रहते हुए, निम्न लिखित हैं :

३०,००० रुपये—सहायता डाक घर की इमारती तथा
सब पोस्ट मास्टर के क्वार्टर

२५,००० रुपये—सुपाऊल डाक घर की इमारत तथा
सब पोस्ट मास्टर का क्वार्टर

४९,७५० रुपये—पंचगाचिया डाक घर भवन तथा
सब पोस्ट मास्टर के क्वार्टर

मैंगानीज की खानों के मजदूर

†१२७८. **श्री भीखा भाई** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान की बांसवाड़ा की मैगानीज़-खानों में काम करने वाले मज़दूरों को न्यूनतम मजूरी नहीं दी जा रही है ;

(ख) क्या उनकी जीवन स्थिति के बारे में अनुमान लगाने के लिये कोई जांच की गयी है ; और

(ग) वहां पर कितने मजदूर काम कर रहे हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभ-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) १९५४ में राजस्थान की मैगानीज़ की खानों में ८७२ मजदूर काम कर रहे थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में धान के बीज

†१२७९. **श्री दशरथ देव :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में भूमि का बहुत बड़ा टुकड़ा धान के बीजों की कमी के कारण बिना बोये ही रह जायेगा ; और

(ख) यदि हां तो इस विषय में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है और किस कार्यवाही के करने का विचार है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

तार तथा टेलीफोन लाइनें

†१२८०. **श्री सिहांसन सिंह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे लाइनों के साथ साथ लगी हुई तार तथा टेलीफ़ोन लाइनें रेलवे विभाग के संधारण तथा स्वामित्व के अधीन हैं अथवा डाक तथा तार विभाग के, और उनका किराया कौन सा विभाग देता है ;

(ख) क्या इन लाइनों के संधारण के कार्य को रेलवे विभाग को हस्तान्तरित कर देने के बारे में कोई प्रस्थापना है ; और

(ग) प्रत्येक ज़ोनल रेलवे, डाक तथा तार विभाग को कितना किराया देती है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) रेलवे लाइन के साथ साथ लगी हुई तार तथा टेलीफोन की सामान्यतया सभी लाइनें डाक तथा तार विभाग के स्वामित्व तथा संधारण के अधीन हैं। रेलवे विभाग, डाक तथा तार विभाग से सर्किट किराये पर लेता है।

(ख) इस प्रकार की कोई प्रस्थापना नहीं है।

(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पठानकोट में गाड़ियों का बंद होना

†१२८१. **श्री हेमराज :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पठानकोट के रेलवे प्राधिकारियों ने अप माल गाड़ियों का चलना बन्द कर दिया है और अप स्टेशनों के लिये माल का बुक करना बन्द कर दिया है ;

(ख) पठानकोट रेलवे स्टेशन पर के. वी. आर. सेक्शन (एन. जी) के अप स्टेशनों के लिये बुक करने के लिये ऐसा कितना माल पड़ा हुआ है जो कि बड़ी लाइन के डिब्बों से उतारा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) से (ग) पठानकोट स छोटी लाईन के स्टेशनों पर जाने वाली अप माल गाड़ियां बन्द तो नहीं की गयी है ; परन्तु वर्षा ऋतु में लाइन के कई स्थानों से टूट जाने के कारण माल गाडियों के नियमित रूप से चलने में कई रूकावटें आई और परिणाम स्वरूप पठानकोट स्टेशन पर बहुत सा माल इकट्ठा हो गया है। इसी के परिणाम

---

†मूल अंग्रेजी में

स्वरूप कांगड़ा घाटी रेलवे के छोटी लाइन के स्टेशनों को भेजे जाने वाले माल की बुकिंग को रोक दिया गया है। पठानकोट में उतारे गये माल के डिब्बे जो कि छोटी लाइन के स्टेशनों को जाने के लिये प्रतीक्षा कर रहे हैं वे २१-७-५६ से ३१-७-५६ तक, १-८-५६ से १०-८-५६ तक तथा ११-८-५६ से २०-८-५६ तक, क्रमशः १३, ८, तथा ९ हैं। अब उस माल को अपने अपने स्टेशन पर भेज दिया गया है और अब मालगाड़ियां पठानकोट से नियमित रूप से चल रही हैं।

प्राविधिक सहायता योजनायें

†१२८२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ से लेकर जुलाई, १९५६ के अन्त तक संचार मंत्रालय द्वारा विभिन्न प्राविधिक सहायता योजनाओं के अधीन कितने पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किये गये हैं ; और

(ख) उन्हें किस किस देश में प्रतिनियुक्त किया गया है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी निम्नलिखित है :

प्रशिक्षण के लिये विदेशों में प्रतिनियुक्त किये गये पदाधिकारियों की संख्या	योजना, जिस के अधीन उन्हें भेजा गया है	वह देश, जहां भेजे गये हैं।
७	चतुर्थ लक्ष्य कार्यक्रम	अमरीका
२	कोलम्बो योजना	ब्रिटेन, जापान
४	आई. सी. ए. ओ. अधि-छात्रवृत्ति योजना	ब्रिटेन, नीदरलैंड
१	भारत-जर्मन औद्योगिक सहकारी योजना	पश्चिमी जर्मनी

असैनिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र इलाहाबाद

†१२८३. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय असैनिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद में कितने विदेशी विद्यार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं ; और

(ख) वे किस किस देश से आये हैं।

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) दो।

(ख) दोनों ही नेपाल से हैं।

मध्य भारत में राष्ट्रीय राजपथ

१२८४. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मध्य भारत में कितने राष्ट्रीय राजपथ बनाये जायेंगे ?

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर मध्य भारत में किसी भी नये राष्ट्रीय राजमार्ग के बनाने का इरादा नहीं है। मध्य भारत के अन्दर गुजरने वाले मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों (अर्थात् आगरा–इन्दौर–बम्बई और शिवपुरी–झांसी सड़क) पर कोई भी छूटे हुए मार्ग नहीं हैं। इसलिये दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों को बढ़ाने का विचार भी नहीं है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में आगरा–इन्दौर–बम्बई सड़क का वह खंड जो मध्य भारत में है उसके विकास के कामों पर २६५ लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

रेलगाडियों का समय-पालन

†१२८५. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :**
श्री देवगम :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले ६ महीनों में पूर्वोत्तर रेलवे की गाड़ियों के चलाने में समय-पालन की प्रतिशतता क्या रही है ; और

(ख) वह प्रतिशतता प्राक्कलन समिति के रेलों सम्बन्धी १७ वें प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों की तुलना में कैसी है?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). फरवरी १९५६ से जुलाई १९५६ तक की कालावधि में पूर्वोत्तर रेलों के समय-पालन सम्बन्धी प्रतिशतक तथा प्राक्कलन समिति द्वारा निर्धारित किये गये लक्ष्य निम्न लिखित हैं :

गाड़ी का वर्ग	प्राक्कलन समिति द्वारा निर्धारित किये गये लक्ष्य	वास्तविक प्रतिशतक					
		फरवरी १९५६	मार्च १९५६	अप्रैल १९५६	मई १९५६	जून १९५६	जुलाई १९५६
मेल तथा एक्सप्रैस	८५%	६०.३	७२.८	७३.३	५३.०	५८.२	५९.९
सवारी गाड़ियां	९०%	७०.४	७७.२	७६.०	७०.२	६९.१	७२.४
सभी गाड़ियां . .	९०%	६९.४	७५.७	७५.७	६९.४	६७.०	७३.८

खाद्यान्नों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना व ले जाना

†१२८६. **श्री वीरस्वामी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री १६ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १११९ के अनुपूरक के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य सरकार ने खाद्यान्नों के एक राज्य से दूसरे राज्य पर लाने व ले जाने के सम्बन्ध में कोई सुझाव दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन सुझावों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है?

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

चावल का आयात

†१२८७. **श्री अच्युतन** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष १५ अगस्त, १९५६ तक कुल कितना चावल आयात किया गया है और किन किन देशों से तथा कितनी कितनी मात्रा में आयात किया गया है ;

(ख) वर्ष के शेष के भाग कितने चावल के आयात की आशा है और किस-किस देश से ; और

(ग) इस वर्ष त्रावणकोर-कोचीन को प्रत्येक मास कितना चावल आवंटित किया गया है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) केवल बर्मा से २५.३ हजार टन।

(ख) निम्नलिखित देशों से लगभग ४२० हजार टन :–

	(०००० टनों में)
बर्मा	२६०·०
चीन	६०·०
अमरीका .	१००·०
कुल .	४२०.०

(ग) उचित मूल्य दुकानों के द्वारा वितरण के लिये राज्य सरकार को जून, १९५६ से २६,५०० टन चावल दिया गया है। उस राज्य सरकार को जब भी और अधिक चावल की आवश्यकता होगी वह भेज दिया जाएगा।

†गल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, ३ सितम्बर, १९५६]

पृष्ठ

प्रश्नो के मौखिक उत्तर १६४७–७२

तारांकित प्रश्न संख्या

विषय

१६८२	केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक	१६४७–४८
१६८३	सरकारी भवनों का निर्माण	१६४८–४९
१६८४	केन्द्रीय चावल गवेषणा संस्था . . .	१६४९–५०
१६८५	यात्री सुविधायें	१६५०–५१
१६८६	मशीन द्वारा गणना करना	१६५१–५२
१६८७	विमानों की अनुसूचित नहीं हुई उड़ानें .	१६५२–५३
१६८९	पर्यटक ब्यूरो	१६५३–५४
१६९०	सगौली चीनी मिल . .	१६५४–५५
१६९१	दिल्ली विकास प्राधिकार . .	१६५५–५६
१६९२	ढुलियां स्टेशन . . .	१६५७–५८
१६९३	मलेरिया नियंत्रण . . .	१६५८
१६९४	अग्रताला जल संभरण योजना	१६५८–५९
१६९६	दिल्ली परिवहन सेवा की बसों में बिना टिकट यात्रा .	१६५९
१६९८	औद्योगिक न्यायाधिकरण . .	१६६०–६१
१६९९	अबोहर-सिरसा तथा अन्य रेलवे लाइनें . .	१६६१–६२
१७००	तेल वाहक जहाज़	१६६२–६३
१७०१	उदयपुर पर्यटन केन्द्र . .	१६६३–६४
१७०३	इंडियन फारेस्ट कालेज, देहरादून .	१६६४–६५
१७०४	डाक तथा तार घर के लिये स्थान . .	१६६५–६६
१७०५	कोयला खदानों में दुर्घटनायें .	१६६६–६७
१७०६	कालियादेह में वेधशाला . .	१६६७–६८
१७०७	आंध्र में छोटे बन्दरगाह . .	१६६८–६९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या

१८	रूस द्वारा आणविक परीक्षण	१६६९–७१
१९	डाक व तार औद्योगिक श्रमिक संघ द्वारा हड़ताल की सूचना	१६७१–७२

प्रश्नो के लिखित उत्तर १६७३

तारांकित प्रश्न संख्या

१६८८	डाक व तार विभाग के कर्मचारियों को प्रतिकारात्मक भत्ता .	१६७३
१६९५	आमों का परिवहन	१६७३

[दैनिक संक्षेपिका]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
१६९७	सहकारी उधार समितियां	१६७३
१७०७	पटसन . . .	१६७४
१७०८	डफिन नामक प्रशिक्षण जहाज .	१६७४
१७०९	दिल्ली में चिड़िया घर (प्राणिशाला)	१६७४
१७१०	रेलगाड़ियों में रोशनी के लिये डाइनमों .	१६७५
१७११	जम्मू तथा काश्मीर सरकार को अनाज का संभरण .	१६७५
१७१२	अतिरिक्त सामग्री	१६७५
१७१३	ऋतु विज्ञान विभाग .	१६७६
१७१४	रोहतक–पानीपत रेलवे लाईन .	१६७६
१७१५	जनता गाड़ियों में सोने के लिये स्थान .	१६७६
१७१६	भारतीय श्रम सम्मेलन	१६७६–७७
१७१७	रामगंगा नदी पर पुल .	१६७७
१७१८	रामगुन्दम–निजामाबाद रेल कड़ी	१६७७
१७१९	अजन्ता की गुफाओं में यात्रियों के लिये पीने के पानी की सुविधायें	१६७७
१७२०	केन्द्रीय पत्तन तथा नौवहन सांख्यिकीय संस्था	१६७७–७८
१७२१	राजयक्ष्मा चिकित्सालय	१६७८
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१२५१	विश्व स्वास्थ्य सभा	१६७८
१२५२	भूमि का कृष्यकरण .	१६७८–७९
१२५३	दिल्ली-सराय रोहेला रेलवे लाईन	१६७९–८०
१२५४	त्रावणकोर-कोचीन राज्य में वन . .	१६८०–८१
१२५५	त्रावणकोर-कोचीन राज्य का परिवहन विभाग	१६८१
१२५६	नई रेलवे लाईनों का सर्वेक्षण .	१६८१–८२
१२५७	खान मजदूरों के लिये अस्पताल	१६८२
१२५८	गोसदन . . .	१६८२–८३
१२५९	प्रसूति तथा शिशु कल्याण केन्द्र	१६८३
१२६०	कांगड़ा धाटी रेलवे विभाग .	१६८३
१२६१	पेप्सू में नये डाकघर . .	१६८३–८४
१२६२	ब्रेकमैनों का प्रशिक्षण	१६८४
१२६३	पटना उड्डयन क्लब	१६८४
१२६४	पूर्ण मार्ग डिब्बे	१६८४–८५

[दैनिक संक्षपिका]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१२६५	राष्ट्रीय जल-सम्भरण तथा स्वच्छता योजना	१६८५
१२६६	खोमचा वालों की सहकारी समितियां	१६८५
१२६७	रेलवे पास .	१६८५
१२६८	चित्रमय पोस्टकार्ड	१६८६
१२६९	राष्ट्रीय राजपथ .	१६८६
१२७०	विमानों का विवश अवतरण .	१६८६–८७
१२७१	चीनी का निर्यात . .	१६८७
१२७२	टेलीफोन कनेक्शन, जालंधर	१६८७
१२७३	पर्यटन सूचना कार्यालय	१६८८
१२७४	सार्वजनिक टेलीफोन, लाम्बी	१६८८
१२७५	गन्ने की खेती	१६८८
१२७६	टेलीफोन एक्सचेंज .	१६८८–८९
१२७७	डाकघरों की इमारतें .	१६८९
१२७८	मैंगनीज की खानों के मजदूर	१६८९
१२७९	त्रिपुरा में धान के बीज .	१६९०
१२८०	तार तथा टेलीफोन लाईनें .	१६९०
१२८१	पठानकोट में गाडियों का बन्द होना .	१६९०–९१
१२८२	प्राविधिक सहायता योजनायें . .	१६९१
१२८३	असैनिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद .	१६९१
१२८४	मध्य भारत में राष्ट्रीय राजपथ .	१६९१–९२
१२८५	रेलगाड़ियों का समय-पालन	१६९२
१२८६	खाद्यान्नों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना व ले जाना	१६९२–९३
१२८७	चावल का आयात	१६९३

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ८, १९५६

(२७ अगस्त से १३ सितम्बर १९५६ तक)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

तेरहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ८ में अंक ३१ से ४५ तक है)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

6—257 L.S. 57.

विषय-सूची

[भाग २—वाद-विवाद खंण्ड ८—२७ अगस्त से १३ सितम्बर, १९५६]

अंक ३१—सोमवार, २७ अगस्त, १९५६ — पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र १४८५

समिति के लिये निर्वाचन—

लोक लेखा समिति १४८६

भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक . . . १४८६

लोक ऋण (संशोधन) विधेयक १४८६

अनुपूरक अनुदानों की मांगें—(त्रावनकोर-कोचीन), १९५६–५७ . १४८७–१५०९

तोल और माप मानदन्ड विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव १५०८–२८

मनीपुर के लिये विकास अनुदानों की बारे में आधे घंटे की चर्चा . १५२८–३३

दैनिक संक्षेपिका १५३४–३५

अंक ३२—मंगलवार, २८ अगस्त १९५६

विशेषाधिकार का प्रश्न . . . १५३६–३८

सभा पटल पर रखे गये पत्र १५३८

राज्य-सभा से सन्देश १५३८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

साठवाँ प्रतिवेदन. १५३८

सभा का कार्य १५३८–४०

कार्य मंत्रणा समिति—

चालीसवां प्रतिवेदन १५४०

हैदराबाद राज्य बैंक विधेयक १५४०

त्रावनकोर कोचीन विनियोग (संख्या २) विधेयक . . . १५४०–४१

तौल और माप मानदन्ड विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव १६४१–४५

पृष्ठ

राष्ट्रीय स्वंय सेवक बल विधयक—

विचार करने का प्रस्ताव १५४५–७२

खंड २ से ११ और १ . . . . . १५५९–६८

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव. . . . १५६८

समाचार पत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . १५७२–९२

जिप्सम के बारे में आधे घंटे की चर्चा १५९२–९४

दैनिक संक्षेपिका . १५९५–९६

अंक ३३—गुरुवार, ३० अगस्त, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . १५९७

बीमे के राष्ट्रीयकरण के बारे में वक्तव्य . . १५९८–१६०२

सभा का कार्य . . . १६०२–०३

राज्य-सभा से सन्देश १६०३–०४

समाचार पत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में १६०४–१२

खण्ड २ से ४ और १ . . १६०४–१२

पारित करने का प्रस्ताव . . . १६१२

राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . १६१४–३८

खण्ड २ से २५ और १ . . . . . १६१४–३८

संशोधत रूप में पारित करने का प्रस्ताव १६३५

खान पट्टों के प्रारूप (शर्तों का रूपभेद) नियमों के बारे में संकल्प . १६३८–४८

सरकारी रिहाई १६४८

कोयला खानें भविष्य निधि के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . १६४८–५४

दैनिक संक्षेपिका १६५५–५६

अंक ३४—शुक्रवार, ३१ अगस्त, १९५६

सभा पटल पर रखा गया पत्र १६५७

कार्य मंत्रणा समिति—

इकतालीसवां प्रतिवेदन १६५७

राज्य-सभा से संदेश . . १६५७

पृष्ठ

प्राचीन एवं एतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) संशोधन विधेयक . १६५८

सभा का कार्य १६५८, १६९२

खान पट्टों के प्रारूप (शर्तों का रूपभेद) नियम त्रावणकोर-कोचीन के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा से सम्बन्धित संकल्प १६५८–८०

गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों तथा विधेयकों सम्बन्धी समिति—

साठवां प्रतिवेदन. १६८०–८१

राज्यनीति के विदेशक तत्वों के कार्य-संचालन के बारे में समिति की नियुक्ति सबन्धी संकल्प . . . १६८०–८१, १६९३–१७००

आणविक तथा तापीय आणविक परीक्षकों सम्बन्धी संकल्प १७००–०१

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक . १६९१–९२

दैनिक संक्षेपिका १७०२–०३

अंक ३५—शनिवार, १ सितम्बर १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

दिल्ली में बम विस्फोट . १७०५–०७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . १७०७

राज्य-सभा से सन्देश . १७०७–०८

सभा का कार्य . . . १७०८–१०

कार्य मंत्रणा समिति—

इकतालीसवां प्रतिवेदन . . १७०९

जन प्रतिनिधान (तीसरा संशोधन) विधेयक . . . १७१०

त्रावनकोर-कोचीन के बारे में राष्ट्रपति की उदघोषणा से सम्बन्धित संकल्प. १७११–१८

लोक ऋण (संशोधन) विधेयक १७१८–१९

विचार करने का प्रस्ताव . . . १७१८

खण्ड १ से १५ . . १७१८–१९

पारित करने का प्रस्ताव . . १७१९

पृष्ठ

भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . १७१६–२६

खण्ड ८, १ और २ . . . १७१६–२६

पारित करने का प्रस्ताव . . . १७२६

अखिल भारत खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग विधेयक . १७२६–६०

विचार करने का प्रस्ताव . . १७२६

खण्ड २ से २६ और १ . . . १७५६–५६

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १७६०

दैनिक संक्षेपिका . . १७६१–६२

अंक ३६—सोमवार, ३ सितम्बर, १६५६

स्थगन प्रस्ताव—

जड़चरला और महबूबनगर के बीच रेल दुर्घटना . . १७६३–६६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . १७६६

राज्य-सभा से संदेश . . १७६७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति १७६७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

इंडियन ऐल्युमीनियम कं०लिमिटेड अल्वाई में हड़ताल . १७६७

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक— . .

विचार करने का प्रस्ताव १७६८–१८०६

खण्ड २ और १ . . . . १८०६

पारित करने का प्रस्ताव १८०६

दैनिक संक्षेपिका १८१०–११

अंक ३७—मंगलवार, ४ सितम्बर, १६५६

राज्य-सभा से सन्देश १८१३–१४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकसठवां प्रतिवेदन . . . १८१४

सभा पटल पर रखा गया पत्र १८२०–२४

संविधान (७वां संशोधन) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव . १८१४–२०, १८२४–६३

पृष्ठ

दैनिक संक्षेपिका १८६४

अंक ३८—बुधवार, ५ सितम्बर, १९५६

राज्य-सभा से संदेश. १८६५

गैरे-न्यायिक तथा न्यायालय शुल्क मुद्रांक पत्रों के बारे में याचिका . १८६५

सभा का कार्य . . . १८६६

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक . . . १८६६–१९०६
. . . १९११–१४

खंड २ से १० . . १८८४–१०

खंड ११ से १६, २० क और २५ . . . . १८८४–१९०६
. . . . १९११–१४

जड़चरला और महबूबनगर के बीच रेल दुर्घटना सम्बन्धी वक्तव्य . १९०६–१०

दैनिक संक्षेपिका . . १८१५

अंक ३९—गुरुवार, ६ सितम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र १९१७

शिशू सन्यास दीक्षा निरोध विधेयक सम्बन्धी याचिका . १९१७

समिति का निर्वाचन—

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद १९१७

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक १९१८

संविधान (नवा संशोधन) विधेयक १९१८–९१

खण्ड १७ से २९, और अनुसूची. . १९१८–९१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . १९८९

दैनिक संक्षेपिका . १९९२

अंक ४०—शुक्रवार, ७ सितम्बर, १९५६

राज्य-सभा से सन्देश . १९९३

लोक लेखा समिति—

बीसवां प्रतिवेदन १९९३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

साईप्रस में राष्ट्र मण्डल की ओर अन्य सेनाओं का रखा जाना १९९३–९४

पृष्ठ

समिति के लिये निर्वाचन—

विश्व भारती की संसद १९९४

सभा का कार्य . . १९९४–९७

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आदेश (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . १९९७–२०१५

लोक प्रतिनिधित्व (तीसरा संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . २०१५–२४

खंडों पर विचार . २०१५–२४

पारित करने का प्रस्ताव २०२४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकासठवां प्रतिवेदन २०२५

मजूरी का भुगतान (संशोधन) विधेयक २०२५–२६

निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक . . . २०२६

भारतीय लाइट रेलवेज राष्ट्रीयकरण विधेयक . . . २०२६

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक और . २०२६–२७

संविधान (संशोधन) विधेयक २०२७

लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचक नामावलियां तैयार करना) नियम, १९५६ के

बारे में प्रस्ताव . . २०२७–४४

दैनिक संक्षेपिका . २०४५–४६

अंक ४१—शनिवार, ८ सितम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

कलकत्ता पत्तन की स्थिति . . २०४७–५०

सभा पटल पर रखा गया पत्र २०५०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

दामोदर घाटी निगम परियोजना में सार्वजनिक निधि का कथित अपव्यय २०५०–५२

सभा का कार्य २०५२–५३

द्वितीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी संकल्प . . २०५३–९८

दैनिक संक्षेपिका . २०९९

पृष्ठ

अंक ४२—सोमवार, १० सितम्बर, १९५६

सभा पटल पर रखे गये पत्र २१०१–०२

अतिरिक्त अनुदानों की मांग (रेलवे), १९५३-५४ . . २१०२

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक के बारे में याचिका २१०२

सभा का कार्य २१०२

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव २१०२–०५

खण्ड २ से ७, अनुसूचित १ से ४ और खण्ड १ . . . २१०५–५०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . २१५०

भारत की शासन प्रणाली के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में एप्पलबी प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . . २१५१–६८

सदस्यों की रिहाई २१६८

दैनिक संक्षेपिका २१६९–७०

अंक ४३—मंगलवार, ११ सितम्बर, १९५६

नेताजी जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य . . . २१७१–७२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . २१७३

राज्य-सभा से संदेश २१७३

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति २१७४

सभा की बैठक से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

१७वां प्रतिवेदन २१७४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

आसाम में बाढ़ और दी गई सहायता २१७४–७५

दूसरी पंच-वर्षीय योजना के बारे में संकल्प . . . २१७६–२२२१

दैनिक संक्षेपिका २२२२–२४

अंक ४४—बुधवार, १२ सितम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

प्रतिरक्षा कर्मचारियों की आसन्न छंटनी . . . २२२५–२७

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २२२७–२८,२२२९

विशेषाधिकार का प्रश्न २२२८–२९

लोक लेखा समिति—

उनीसवां प्रतिवेदन २२३०

पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों का आगमन . . . २२३०
द्वितीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी संकल्प . . . २२३०–७९
दैनिक संक्षेपिका २२८०–८१

अंक ४५—गुरुवार, १३ सितम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
स्वेज के मामले पर ब्रिटेन के प्रधान मंत्री का वक्तव्य . . २२८३–८६
जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के वेतन क्रम और सेवा की शर्तें . २२८६–८७
उत्तर प्रदेश में बाढ़ . . . २२८७–८९
सभा पटल पर रखे गये पत्र २२८९–९०
राज्य सभा से संदेश २२९०
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . २२९०
याचिका समिति—
दसवां प्रतिवेदन २२९०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
टिहरी गढ़वाल में बाढ़ २२९०–९२
अनुपस्थिति की अनुमति . . २२९२
रेलवे यात्रियों पर सीमा कर विधेयक २२९२
उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक . . . २२९३
जडचरला और महबूबनगर के बीच रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . २२९३–९५
विशेषाधिकार प्रश्न २२९५–९९
द्वितीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी संकल्प . . . २२९५, २२९९–२३५५
आगामी सत्र की तिथि . . . २३५५
दैनिक संक्षेपिका २३५६–५८
१३ व सत्रकी संक्षेपिका २३५९–६१

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २— प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

सोमवार, ३ सितम्बर, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२.१२ म० प०

स्थगन प्रस्ताव

जादचारेला और महबूबनगर के बीच रेल दुर्घटना

†**अध्यक्ष महोदय** : १ सितम्बर, १९५६ की अर्धरात्रि को हुई रेल दुर्घटना के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्तावों की सूचनाये श्री माधव रेड्डी, श्री म० शि० गुरुपादस्वामी और श्री त० ब० विट्ठल राव द्वारा दी गयी हैं। मुझे मंत्री महोदय से भी ज्ञात हुआ है कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देना चाहते हैं। माननीय मंत्री अपना वक्तव्य दें।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : मैं बड़े दु:ख और पीड़ा के साथ सदन के समक्ष ५६५ डाऊन सिकन्दराबाद-द्रोणाचलम सवारी गाड़ी की दुर्घटना के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य देने के लिये खड़ा हुआ हूं। ये दुर्घटना २ सितम्बर को प्रात: काल हुई। इस दुखद घटना से हमें एक ऐसी ही अन्य दुर्घटना की याद हो आती है जो कि हैदराबाद के पास जनगांव में दो वर्ष हुए, हुई थी। उसी क्षेत्र में हुई इस दुर्घटना नें हमें मर्माहित कर दिया है। भारी मात्रा में जनहानि हुई है।

दुर्घटना उस समय हुई जब कि गाड़ी जदचारेला और महबूबनगर स्टेशनों के बीच इकहरी मीटर गेज लाईन पर जा रही थी। यह क्षेत्र मध्य रेलवे के सिकन्दराबाद डिवीज़न में है।

१२ बज कर ४५ मिनट पर जब कि इंजन नें जदचारेला और महबूबनगर के बीच मील संख्या ६६/१५-१६ पर २० फीट लम्बें गार्डर से बनें पुल को पार कियाही था तो इंजन का पिछला भाग और उसके पीछे के तीसरे दर्जे के दो डिब्ब पुल पर से नीचे गिर कर पूर्णत: टुकड़े टुकड़े हो गये।

उस समय उस क्षेत्र में वर्षा हो रही थी और एक सूचना के अनुसार पास ही में स्थिति पोचनी कुमता नाम के एक गांव का एक तालाब, जो कि पुल के जलग्रहण क्षेत्र से कोइ $1\frac{1}{2}$ मील दूर है टूट गया था और इसके परिणामस्वरूप पुल की ओर पानी का बेतहाश बहाव था। जब गाड़ी पुल पर से जा रही थी तो पुल टूट गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अलगेशन]

अत्यधिक वर्षा के कारण पुल और आस पास की पटरी का गश्त किया जा रहा था।

इस पुल का निरीक्षण अन्तिम बार २, अगस्त, १९५६ को विभागीय और सहायक इन्जिनियरों तथा स्थायी मार्ग निरीक्षक द्वारा किया गया था और उसे ठीक घोषित किया गया था।

गाड़ी जदचारेला स्टेशन से १२ बज कर २४ मिनट पर चली थी। पहली गाड़ी संख्या ८०५ डाऊन, जो कि एक मालगाड़ी थी, रात के साढ़े आठ बजे पुल पर से ठीक तरह से गुजर गयी थी और दुर्घटना से कोई तीन घंटे और ४५ मिनट पहले रात को नौ बज कर दस मिनट पर १ सितम्बर को महबूबनगर पहुंच गयी थी। इस इलाके में ४० मील प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाने की अनुमति है।

अभी तक ११२ मृतक शरीर पुलिस ने प्राप्त किये हैं, जिनमें से २४ तो दुर्घटना स्थल पर मिले है और बाकी नदी की धारा में नीचे की ओर मिले हैं। इस सम्बन्ध में तालाश अभी भी जारी है। एक विशेष गाड़ी इन मृतक शरीरों को लेकर कल शाम काचेगुडा के लिये रवाना हुई ताकि इनकी शिनाख्त करके मामले को पुलिस द्वारा निबटाया जाये।

घायलों की संख्या ३४ थी जिसमें गम्भीर रूप से घायल हुए पांच व्यक्ति भी शामिल हैं। २४ को साधारण और १५ को मामूली चोटें आयी हैं। छः को लालागुडा अस्पताल में और चार को महबूबनगर सिविल अस्पताल में भेजा गया। बताया जाता है कि उनकी स्थिति में सन्तोषजनक सुधार हो रहा है। चौबीस को जिनको अस्पताल नहीं भेजा गया था घटना स्थल पर डाक्टरी देखरेख के बाद आगे जाने की अनुमति दे दी गयी।

उन परिवारों के प्रति जिनकी जनहानि हुई है और जो घायल हुए, मैं अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट करता हूं। अब तक रेलवे तथा परिवहन मंत्री और रेलवे बोर्ड के सभापति वहां पहुंच चुके होगें।

घायलों की देख रेख के लिये सभी आवश्यक प्रबन्ध किये गये हैं। पहली सहायता गाड़ी, डाक्टरी वैन तथा विभागीय अधिकारियों, दो सहायक सर्जनों और दो नर्सों के साथ ४ बज कर ५ मिनट पर प्रातः सिकन्दराबाद से चली और ६ बज कर ४९ मिनट पर घटनास्थल पर पहुंच गयी। दूसरी सहायता गाड़ी उस्मानिया विश्वविद्यालय डाक्टरी पढ़ने वाले २० छात्रों और दूसरे कर्मचारियों सहित साढ़े बारह बजे दोपहर घटनास्थल पर पहुंच गयी। घायलों की सहायता के लिये तीन डाक्टर महबूबनगर से और दस सिकन्दराबाद से पहुंच गये। यात्रियों के लिये घटनास्थल पर ही खान पीने की व्यवस्था कर दी गयी है। अन्त में उन्हें हैदराबाद राज्य की बसों द्वारा महबूबनगर पहुंचाया गया।

एक पूछताछ का दफ्तर भी सिकन्दराबाद विभाग कार्यालय में खोल दिय गया है ताकि जनता को आवश्यक सूचना दी जा सके।

मध्य रेलवे के महासंचालक सम्बध्द विभागीय अध्यक्षों, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी और उप-मुख्य इंजीनियर के साथ एक विशेष हवाई जहाज द्वारा बम्बई से सिकन्दराबाद पहुंचे और कल दोपहर १ बजकर ४५ मिनट पर घटनास्थल पर पहुंच गये। वहां महबूब नगर के जिलाधीश, सिविल सर्जन और डिप्टी सुपरिंनटेंडेन्ट पुलिस भी पहुंच गये। हैदराबाद के मुख्य मंत्री भी दूसरे मंत्रियों के साथ वहां गये। रेलवे का सरकारी निरीक्षक अपनी अनुविहित जांच ४ सितम्बर को आरम्भ करेगा। इस जांच के पूर्ण होने पर हमें इस दुर्घटना के सब कारणों का पता लग सकेगा। प्रतिकर के दावों का निपटारा करने के प्रश्न पर भी तुरन्त ध्यान दिया जा रहा है।

†**डा० रामा राव :** (काकीनाडा) : महबूब नगर रेलवे श्रमिक संघ के प्रधान ने स्टेशन मास्टर का ध्यान तो इस ओर दिलाया था कि रेलपथ की अवस्था खतरनाक थी और गाड़ी को जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये थी। बाद में एक गाड़ी महबूबनगर से आयी तो उसने जंजीर

---

†मूल अंग्रेजी में

खैंचकर उसे खड़ा कर लिया। एक मास पहले ही इस पुल की मरम्मत की गयी थी। आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि मरम्मत के एक मास बाद ही पुल के टूट जाने से लोगों में कितनी बदनामी फैली होगी। मुझे विश्वास है कि आप स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की यदि आज नहीं तो आगामी कुछ दिनों में अवश्य अनुमति देगें ।

†**श्री अ० म० थामस** (एरणाकुलम) : माननीय उपमंत्री नें कहा कि पुल का अगस्त के प्रथम सप्ताह में निरीक्षण किया गया था। क्या मैं जान सकता हूं कि भारी बाढ़ों के समय निरीक्षण किये जानेका कोई प्रबन्ध है ?

†**श्री अलगेशन :** मैंने अभी कहा कि भारी वर्षा के कारण रेल के गुजरते समय पुल बैठ गया।

†**स्वामी रामानन्द तीर्थ** (गुलबर्गा) : पिछले अवसर पर जब ऐसी ही एक दुर्घटना हुई थी तो अदालती जांच की मांग की गयी थी , और जो आरोप अब लगाये जा रहे हैं , उस समय भी यही आरोप लगाये गये थे कि रेल पथ के खतरनाक स्थिति में होने की सूचना अधिकारियों को पहले ही दे दी गयी थी। क्या मंत्री महोदय अनुविहित जांच स्थान पर खुली अदालती जांच कराने का निर्णय करेगें ताकि यात्रा करनें वाली जनता की आशंकायें दूर हो सकें ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नहरू)** : यह एक ऐसा मामला है जिसमें स्पष्ट है कि केवल इस सदन में के सदस्यों की नहीं प्रत्येक बाहर के हजारों लोगों की भी अत्यधिक रुचि है और हमें यह जानने के लिये ही नही कि वहां वास्तव में क्या हुआ था बल्कि यह सुनिश्चिय करने के लिये कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। प्रत्येक संभव कार्यवाही करनी चाहिये। हमें सदन द्वारा इस मामले पर विचार किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु मेरी प्रार्थना है कि इस पर विचार करने का उपयुक्त समय वह होगा जब कि हमें इस सम्बन्ध में अधिक से अधिक सूचना प्राप्त हो जाये या कम से कम प्रारम्भिक जांच समाप्त हो जाये। मैं नहीं कह सकता कि इस दुर्घटना पर विचार करने के लिये सबसे उपयुक्त तरीका स्थगन प्रस्ताव है; पर इसका निर्णय आपको करना है। सरकार को इस पर विचार करने के लिये समय दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु मेरी केवल इतनी प्रार्थना है कि सविस्तर सूचना मिल जाने पर ही हमारे लिये इस पर समुचित रूप से विचार करना संभव हो सकेगा ।

अदालती जांच के सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि हमें इस प्रकार की जाँच के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु एक अत्यधिक प्रविधिक मामले के लिये अदालती जाँच की मांग मेरी समझ में नहीं आयी। होता यह है कि, हमारी सामान्य प्रक्रिया के अनुसार अदालती जाँच काफी लम्बी होती है , यह हफ्तों महीनो तक होती रहती है और यह पता नहीं होता कि वह कब समाप्त होगी। मैं इसके विरूद्ध नहीं हूं। मेरा निवेदन यह है कि इस प्रक्रिया में मामला लम्बा खिच जाता है। बात यह है कि जांच ऐसी होनी चाहिये जो कि पूर्ण और स्वतंत्र हो और जिससे अधिक से अधिक अच्छा परिणाम निकल सके। यह हमें जानना चाहिये कि जाँच का अधिक अच्छा ढंग कौन सा हैं। वास्तव में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें उस समय मामले पर विचार करना चाहिये जब कि हम वास्तव में विचार करने की स्थिति में हों ; और कुछ ही समय बाद शायद हम इस योग्य हो जायें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसी घटना का होना और इतने लोगों की मृत्यु वास्तव में खेदजनक है। जो कुछ प्राप्त सूचना थी वह मंत्री महोदय के वक्तव्य से सदन को ज्ञात हो गई है। माननीय उपमंत्री ने कहा कि रेलवे मंत्री, रेलवे बोर्ड के सभापति के साथ कदाचित इस समय घटनास्थल पर ही हैं। वापिसी पर जो कुछ भी अग्रेतर सूचना उन्हें मिलेगी उसे वह सदन के समक्ष रखेंगे। जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री ने भी कहा कि सविस्तार सूचना मिलने पर ही जांच कराये जाने की आवश्यता पर विचार करना सम्भव हो सकेगा। माननीय मंत्री के लौट आने पर और अग्रेतर वक्तव्य

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

देने के बाद हम इस बात पर विचार करेंगे कि क्या किया जाना चाहिये। इस लिये इन स्थगन प्रस्तावों को विचाराधीन रखने से कोई लाभ नहीं है। क्योंकि काफी जन हानि हुई है इस लिये मेरी इच्छा है कि मृतकों के प्रति सहानुभूति और आदर भाव प्रकट करने के लिये माननीय सदस्य एक मिनट के लिये चुपचाप अपने स्थानों पर खड़े हो जायें।

इसके पश्चात सदस्य एक मिनट तक मौन खड़े रहे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

पिछड़ी जाति आयोग की रिपोर्ट और उस पर की गयी कार्यवाही का ज्ञापन

†**गृह-कार्य तथा भारी उद्योग मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)**: श्रीमान जी, मैं संविधान के अनुच्छेद ३४० के खंड (३) के आधीन पिछड़ी जाति आयोग की रिपोर्ट खंड १ से ३ और उस पर की गयी कार्यवाही को बताने वाले ज्ञापन की एक एक प्रति लोक-सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एस–३६६/५६]**

दिल्ली (निर्माण कार्यों का नियन्त्रण) विनियमन का संशोधन

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)**: मैं दिल्ली (निर्माण कार्यों का नियन्त्रण) विनियमन, १९५५ में और आगे संशोधन करने के लिये दिल्ली (निर्माण-कार्यों का नियंत्रण) अधिनियम १९५५ की धारा १९ की उपधारा (३) के अधीन निकाली गयी इन अधिसूचनाओं में से प्रत्येक की एक एक प्रति लोक-सभा पटल पर रखती हूं :

(१) अधिसूचना संख्या एफ० १(४)।५५

एडमिनिस्ट्रेशन, दिनांक ८ फरवरी, १९५६।

(२) अधिसूचना संख्या एफ० १(६)।५५

एडमिनिस्ट्रेशन, दिनांक ५ जून, १९५६।

(३) अधिसूचना संख्या एफ० १(३७)।५६

एडमिनिस्ट्रेशन, दिनांक १९ जून, १९५६।

[पुस्तकालय में रखी गईं, देखिये संख्या एस.-३६७/५६]

पाकिस्तान से जिप्सम के आयात सम्बन्धी विवरण

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: श्रीमान् जी, मैं २८ अगस्त, १९५६ को दिये गये वचन के अनुसरण में पाकिस्तान से जिप्सम के आयात संबंधी विवरण की एक प्रति लोक-सभा पटल पर रखता हूं। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबंध संख्या ४८]**

स्थायी श्रम समिति के १५वें अधिवेशन की कार्यवाही का सारांश

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : श्रीमान जी, मैं ४ और ५ अप्रैल, १९५६ को नई दिल्ली में हुए स्थायी श्रम समिति के १५वें अधिवेशन की कार्यवाही के सारांश की एक प्रति लोक-सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एस.-३६८/५६]

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य-सभा से सन्देश

†**सचिव :** मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि लोक सभा द्वारा २० अगस्त, १९५६ को पारित भारतीय नारियल समिति (संशोधन) विधेयक को राज्य सभा ने अपनी १ सितम्बर, १९५६ की बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

†**सचिव .:** श्रीमान्, मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि इन विधेयकों पर, जिनको संसद के सदनों ने चालू सत्र में पारित किया था पिछले सप्ताह में राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गई थी :

१. अन्तर्राज्यिक जल विवाद विधेयक, १९५५;

२. बहुएकक सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, १९५५;

३. भारतीय लाख उपकर (संशोधन) विधेयक, १९५५ ;

४. हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षणता विधेयक, १९५३ ;

५. राज्य पुनर्गठन विधेयक ;

६. बिहार और पश्चिम बंगाल (राज्यक्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

इंडियन एल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड, अल्वाये में हड़ताल

†**श्री पुन्नुस** (अल्लाप्पि) : श्रीमान्, नियम २१६ के अन्तर्गत मैं माननीय श्रम मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय की ओर आकर्षित करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस के सम्बन्ध में वक्तव्य दें :

"अल्वाये, त्रावनकोर-कोचीन में इंडियन एल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड में हड़ताल"

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** समवाय ने १९५४ में हानि होने पर भी सकल आय का १० प्रतिशत बोनस दिया था। सन् १९५५ में श्रमिक संघ ने सकल आय का २५ प्रतिशत बोनस के तौर पर मांगा क्यों कि उस वर्ष समवाय को कुछ लाभ हुआ था। समवाय ने अपनी असमर्थता प्रकट की क्योंकि इस लाभ में से उसे गत वर्ष के घाटे का भी समायोजन करना था। समझौता मशीनरी के हस्तक्षेप करने पर समवाय ने $11\frac{1}{2}$ प्रतिशत देना स्वीकार कर लिया जो कि सन् १९५४ की अपेक्षा $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत अधिक था। संघ ने इसे स्वीकार नहीं किया। क्योंकि कोई समझौता नहीं हो सका इस लिये राज्य सरकार ने २ अगस्त, १९५६ को इस विवाद को न्याय-निर्णयन के लिये भेज दिया। दोनो पक्षों को इसकी सूचना भेज दी गई।

जबकि विवाद न्यायाधिकरण के विचाराधीन था तो श्रमिकों ने अकस्मात् १४ अगस्त, १९५६ को ८ बजे प्रातः से हड़ताल कर दी। एल्युमीनियम कारखाने का संयंत्र एक निरन्तर कार्य करने वाला संयंत्र है और काम के अकस्मात बन्द कर देने से अत्यधिक हानि हो जायेगी।

क्योंकि श्रमिकों ने न्याय निर्णयन कार्यवाही के दौरान में ही हड़ताल कर दी थी इसलिये औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा २४(१)(आइ)के अन्तर्गत यह हड़ताल अवैध है।

---

†मूल अंग्रजी में

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री कृष्णमाचारी)** : श्रीमान् मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम, १९४४ में आगे और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

शुक्रवार को जब मैंने लोक-सभा से इस विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति मांगी थी तो मैं ने एक वक्तव्य में सरकार द्वारा इस कर के लगाये जाने के कारण भी बताये थे। यद्यपि वह वक्तव्य संक्षिप्त था परन्तु उसमें सभी पहलुओं के बारे में बताया गया था, अत: इस अवसर पर मैं कोई और बात करने की आवश्यकता नही समझता। परन्तु इस विचार से, कि माननीय सदस्यों सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में अन्य वास्तविक तथ्य जानना चाहते होंगे, एक नोट परिचालित करने की आवश्यकता अनुभव की गई, और मुझे आशा है कि वह नोट प्रत्येक सदस्य को मिल गया होगा। उक्त नोट में वर्तमान स्थिति के बारे ठीक ठीक आंकड़े दिये गये हैं। उन सदस्यों के लाभार्थ जिन्हें उस नोट को पढ़ने का समय न मिला हो मैं उक्त नोट में दी गई बातों को यहां दोहरा दूंगा।

इस प्रकार के प्रस्ताव पर विचार करने के लिये जिन तीन तथ्यों पर विचार किया जाना है वह यह है कि कपड़े की खपत बढ़ रही है, उपलब्ध संभरण से मांग पूरी नहीं होती है, और इसके परिणाम स्वरूप मूल्य में वृद्धि हुई है। वर्तमान स्थिति यह है।

इस समय मैं इनके कारणों को बताना आवश्यक नहीं समझता। कुछ हद तक इसका यह भी कारण है कि हम कई उचित कारणों से कारखानों के विकास और विस्तार के सम्बन्ध में एक प्रतिबन्धात्मक नीति का अनुसरण कर रहे हैं। ऐसा करने से हमें कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं जिनका प्रमाण उन आंकड़ों से मिलता है जो कि इस नोट में हथकरघा क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाये जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध दिये गये हैं। हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना के परिणाम स्वरूप कपड़े की खपत के बढ़ जाने का अनुमान लगा लिया था। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि यह वृद्धि बहुत तेज़ी से हुई है और मांग हमारे अनुमान से कहीं अधिक बढ़ गई है। वर्तमान उत्पादन इस प्रकार का है कि ऐसी आकस्मिक मांग को पूरा करने के लिये उसमें कुछ परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मेरा विचार है कि लोक-सभा इस मामले में किसी उपयुक्त अवसर पर अपना दृष्टिकोण बतायेगी और सरकार इस प्रकार की आकस्मिकता से बचने के लिये यथा समय कार्यवाही करने को तैयार रहेगी, अर्थात् अधिष्ठापित क्षमता की इस प्रकार व्यवस्था कर दी जायेगी कि चाहे कारखाना क्षेत्र में उसको काम में लाने की आवश्यकता न भी पड़े परन्तु देश में खपत के बढ़ जाने से जब भी हम चाहें उत्पादन बढ़ा सकेंगे।

वास्तव में सबसे बड़ी बात हमारी सामने यह है कि मांग के बढ़ जाने और माल के कम होने पर हम शीघ्र ही मूल्यों के बढ़ जाने की आशा कर रहे हैं। कुछ एक सप्ताह में पूंजा की मांग भी बढ़ने वाली है। दीवाली की और देश के कुछ भागों में संक्रान्ति की मांग भी बढ़ेगी, और उद्योग तथा व्यापार इस से लाभ उठाते हुए मूल्य आज की अपेक्षा और भी बढ़ा देगा। उक्त नोट में हमने मूल्यों की क्रमिक वृद्धि दिखाई है—यह वृद्धि प्राय: रूई के मूल्य में हुई सामान्य वृद्धि के एक समान नहीं रही है।

यदि माननीय सदस्य मामूली कपड़े के मूल्य वृद्धि सम्बन्धी आंकड़ों को देखें तो उन्हें पता चलेगा कि मिश्रित रुई का मूल्य वर्ष के प्रारम्भ से किसी हद तक प्राय: एक जैसा हो रहा है। अत: इन तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है, कि निकट भविष्य में मूल्य बढ़ेंगे और इस आकस्मिकता का सामना हम केवल संभरण को बढ़ा कर ही कर सकते हैं। जैसाकि मेंने पहले बताया, हमारे राजकोषीय

---

†मूल अंग्रेजी में

संसाधन इतने पर्याप्त नहीं हैं कि इस प्रकार की स्थिति को उत्पन्न कर सकें। स्वाभाविक है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अपने उद्देष्यों की पूर्ति के लिये हमारे साधन इतने उपयुक्त नहीं है हमें वही राजकोषीय उपाय करने होंगे जो कि उपलब्ध हैं, ताकि हम किसी हद तक खपत को सीमित कर सकें, और जहां ऐसा न किया जा सके वहां उद्योग तथा व्यापार द्वारा जो अतिरिक्त लाभ अर्जित किया जाये उस का कुछ अंश सरकार द्वारा ले लिया जाये।

लोक-सभा के समक्ष जो विधान है उसके सभी पहलुओं को देखने से यह प्रतीत होता है कि यह एक भयोत्पादक विधान है। और यह पता चलेगा कि सरकार संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन से पर्याप्त शक्तियां प्राप्त करना चाहती है ताकि यदि मूल्य बढ़ जायें तो इसके साथ ही साथ कर में भी वृद्धि की जा सके। माननीय सदस्यों को यह बात याद रखनी होगी कि यह कोई प्रत्यक्ष कराधान विधान नहीं है। यद्यपि हमारी आवश्यकतायें बहुत अधिक हैं और सम्भव है कि हमें इस रूप में अथवा किसी अन्य रूप में करारोपण के लिये लोक सभा के समक्ष पुनः आना पड़े तथापि इस समय कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कर लगाने का जो तरीका अपनाया गया है उसका प्रयोजन जनता पर कर लगाना नहीं है, क्यों कि निस्सन्देह यह तरीक़ा अधिक प्रभावी तो नहीं है परन्तु फिर भी स्थिति को सुझाने में इस से काफी सहायता मिल सकती है।

†**डा० लंका सुन्दरम** (विशाखापटनम) : आप कौन सी स्थिति का समाधान करना चाहते हैं?

†**श्री कृष्णमाचारी** माननीय सदस्य यह देखेंगे कि हमने कर की राशि बढ़ाने की शक्ति ली है, मेरे माननीय मित्र जानना जाहते हैं कि मैं कौन सी स्थिति का समाधान करना चाहता हूं। दुर्भाग्यवश मेरी अभिव्यक्ति माननीय सदस्य जैसी स्पष्ट नहीं है, जिस स्थिति का समाधान किया जाता है वह यह है कि कपड़ा की कमी है और बढ़े हुए मूल्य के कारण कोई आकसमिकता उत्पन्न हो सकती है। बस इतना ही करने का विचार है। सम्भव है कि माननीय सदस्य पूछें कि ऐसी स्थिति का सामना करने के लिये हम क्या करेंगे। यह तो राय का प्रश्न है। परन्तु इस विधान का मुख्य प्रयोजन इस स्थिति का अर्थात कपड़े की संभावित कमी की स्थिति का समाधान करना है, और यदि पूर्णतः नहीं तो जहां तक हो सके मूल्यों को बढ़ने से रोकना है।

यदि कपड़े की खपत उसकी उपलब्ध मात्रा से बढ़ जाती है तो स्वाभाविक है कि मुद्रास्फीति होने लगती है। यदि हमारे पास कपड़ा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो तो हम उसकी खपत को घटाना नहीं चाहते हैं। परन्तु खपत की सीमा उस सीमा के अनुकूल होनी चाहिये जिसका कि हम संभरण कर सकते हैं। वर्तमान हालत में खपत संभरण से बढ़ती जा रही है। यह तो एक साधारण आर्थिक तथ्य है और हम इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। जब मूल्य इतना अधिक बढ़ जाता है जब उपभोक्ता वस्तु खरीदने से इनकार कर देना चाहे सारा लाभ विक्रेता को प्राप्त हो चाहे उसका कुछ अंश सरकार प्राप्त करे तथापि उसका कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। यदि मैं इस मौसम के लिये साधारणतः २० गज कपड़ा खरीदता हूं और मैं केवल १८ गज ही खरीदूं तो मूल्य अवश्य कम हो जायेंगे। मांग या तो संभरण के बराबर हो जायेगी या अथवा उससे भी कम हो जायेगी। हमें आशा थी कि जब मूल्य किसी विशेष सीमा से बढ़ जायेंगे तो आर्थिक कारण अपना कार्य करने लगेंगे और खपत कम हो जायेगी। यह स्थिति वांछनीय नहीं है, परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में यह आशा करने के सिवाय कि खपत को सीमित कर दिया जायेगा और कुछ किया भी तो नहीं जा सकता है। यदि हम जनता में यह प्रचार करें कि यदि आप अपनी आवश्यकता से अधिक कपड़ा खरीदने जायेंगे तो इससे विक्रेता को मूल्य बढ़ाने के अवसर मिलते जायेंगे, तो हम खपत को सीमित कर सकेंगे और यह एक अच्छी बात होगी। परन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि पूर्ण नियंत्रण और राशनिंग के द्वारा हम मूल्यों को घटा कर किसी विशेष स्तर पर रखकर उन्हें बढ़ने से कैसे रोक सकेंगे। मेरे विचार से लोक सभा के सदस्य ऐसे किसी उपाय को पसन्द करने को तैयार नहीं हैं। क्योंकि हमारा पिछला अनुभव यह रहा है कि नियंत्रण प्रणाली न तो पूर्ण रही है और न ठीक ही रही है और इससे बहुत सी बुराइयां पैदा होती हैं। अतः किसी हद तक खपत को रोकने के लिये अब हम राजकोषीय उपायों से काम ले रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कृष्णमाचारी]

मैं पुनः यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यद्यपि हम राजकोष में आने वाली प्रत्येक धन राशि का स्वागत करते हैं तथापि हम राजस्व को बढ़ाने के लिये हम कर नहीं लगा रहे हैं बल्कि हम प्राप्त किये जा रहे अतिरिक्त लाभ के कुछ भाग को ले लेना चाहते हैं। मैं माननीय सदस्यों से यह नहीं कहना चाहता कि इस कर का कोई भी अंश उपभोक्ताओं पर लागू नहीं किया जायेगा। क्योंकि मैं निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि ऐसा ही किया जायेगा। गत अनुभव से मुझे निश्चय है कि जैसे जैसे कपड़े के मूल्य बढ़ते जाते है, घटती हुई प्राप्ति का सिद्धांत लागू होता है अतः इसे दूसरे पर डालना और भी कठिन हो जायेगा।.यदि एक आना कर बढ़ाया जाता है तो उस में से तीन पाई दूसरों पर डाला जायेगा और शेष नौ पाई उन्हें ही देना होगा जब तक उनमें क्षमता है यह मिल मालिक द्वारा लाभ प्राप्त करने का ही प्रश्न नहीं है। इस प्रकार हम चाहते हैं कि खपत को थोक अथवा मिल के स्तर पर ही रोका जाये। परन्तु जहां तक खुदरा मूल्य का संबंध है वास्तव में इस समय भी दिल्ली जैसे नगर में उचित खुदरा मूल्य और खुदरा मूल्य में बड़ा अन्तर है। शनिवार को हमने किसी व्यक्ति को उन वस्तुओं को खरीदने के लिये भेजा जिनके उचित मूल्य आंकड़े उपलब्ध हैं। इन वस्तुओं को हमने अपने आप नहीं चुना था। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं और मैं आप को इस अन्तर के दिखाने के लिये उन्हें बताना चाहता हूं। क्राउन मिल सम्राट धोतियों का मिल मूल्य ७ रुपये ४ आने है ; दिल्ली में थोक और खुदरा विक्रेता के लाँभ परिवहन की लागत और विक्रय कर इत्यादि की गणना करते हुए इसका उचित खुदरा मूल्य ८ रुपये ५ आने होना चाहिये परन्तु शनिवार को दिल्ली में इसका असली मूल्य १० रुपये ८ आने था। जो मूल्य लिया जाना चाहिये और जो मूल्य वास्तव में लिया जाता है इनमें दो रुपये से भी अधिक का अन्तर है। हो सकता ह कि उचित मूल्य निर्धारित करने में एक आना अधिक जोड़ दिया गया हो या मूल्य एक आना कम हो गया हो; परन्तु बढ़िया धोती जैसे कपड़े के मूल्यों में बहुत अधिक अन्तर है। साड़ियों के संबंध में भी यही बात है। इंडिया युनाइटेड मिल्स की ५० × ७१ साड़ियों, मध्यम का, मिल मूल्य रु० ६–१३–३ है ; और दिल्ली में उचित मूल्य लगभग रु० ७–१३–३ होगा, किन्तु शनिवार को वास्तव में मूल्य रु० ९–०–० था। यहां यह उचित मूल्य से कोई रु० १–२–० अधिक लिये जाने का प्रश्न है। इस प्रकार के अनेक उदाहरण हो सकते हैं। मेरे पास लगभग नौ ऐसी मदें हैं, जिन के मूल्य हमने ज्ञात किये थे, और ठीक मूल्य जानने के लिये कार्यालय ने वास्तव में उनको खरीदा था। यह खरीदारी किसी छोटी सी दुकान पर नहीं की गई थी, अपितु कुछ बड़ी दुकानों पर की गई थी। अतः माननीय सदस्य देखेंगे कि हमने इस टिप्पणी में उचित मिल मूल्यों के जो आंकड़े दिये हैं या थोक के दाम दिये हैं, वे मूल्य नगर में प्रचलित मूल्य से बिलकुल मेल नहीं खाते हैं। अन्तर बहुत अधिक है।

इसलिये यह कहना कि केवल एक आना या आध आना बढ़ाने से इन लोगों का तत्काल ध्यान आकर्षित हो जायेगा और वे इसे इस सीमा तक बढ़ा देंगे, ठीक नहीं है। हो सकता है कि वे इस से भी अधिक बढ़ायें। हो सकता है कि यदि किसी न किसी कारण से कमी और अधिक हो जाये, कुछ स्थानों पर अत्यधिक कमी है भी–तो मूल्य काफी अधिक बढ़ा दिये जायेंगे। परन्तु यह कारण और परिणाम का मामला नहीं है, इस समय हमारा यही विचार है कि उस कर का निरोधकारी प्रभाव होगा मैं पुनः इस बात पर जोर दूंगा कि इस विधान विशेष में जिस प्रकार के कर लगाने का विचार किया गया है, वह ऐसा है कि हम उसे और अधिक बढ़ा सकते हैं, और यही बात कि हम इसे बढ़ा सकते हैं प्रतिबाधक सिद्ध होगी। हो सकता है कि माननीय सदस्य चर्चा के समय कुछ अन्य साधनों का सुझाव दें, जो हमें खरीदारों को मूल्यों के बारे में कुछ अधिक जागरूक बनाने , और उन के द्वारा कुछ समय के लिये कुछ मात्रा तक उपभोग को रोकने में हमें सहायक हों। उपभोग बढ़ाने के लिये हम जो कुछ करते हैं, उसके परिणाम लगभग एक वर्ष या अधिक समय में सामने आयेंगे। मान लीजिये हम अनुभव करते हैं कि हमें सूत का उत्पादन बढ़ाना चाहिये या करघों की संख्या में थोड़ी वृद्धि करनी चाहिये, इसमें अवश्य ही एक वर्ष लग जायेगा। हमने कताई मिलों को जो लाइसेंस दिये हैं, और जिनको कि निश्चित समय के अन्दर उत्पादन आरम्भ न करने पर रद्द कर देने की धमकी दे रहे हैं, वे लगभग १२ महीनों के अन्दर कार्य करना आरम्भ करेंगे। इससे हमारा सूत का उत्पादन बढ़ जाएगा और उस सीमा तक हाथकरघा बुनकर को अधिक सूत मिल सकेगा। माननीय सदस्यों

ने देखा होगा कि हाथकरघा क्षेत्र में उ पादन आशा से अधिक बढ़ गया है, क्योंकि १९५६ के पूर्वार्ध में उत्पादन लगभग ८००० लाख गज था, जब कि १९५५ में १४००० लाख गज था और संभव है कि अगले वर्ष उस क्षेत्र को और अधिक सूत मिल सके और संभवतः हम कुछ सीमा तक करघों की संख्या भी बढ़ा सकें। परन्तु हमें अब और ८ से १२ महीनों तक के बीच के समय के लिये व्यवस्था करनी है, जब कि कुछ ऐसी परिस्थितियां होंगी, जिन के कारण हम संभरण को काफी अधिक नहीं बढ़ा सकेंगे।

इस प्रकार का विधेयक सभा के सामने लाने के ये कारण हैं। मैं पुनः कहूंगा कि कुछ शक्तियों का, जो बहुगर्भित शक्तियां प्रतीत होती हैं, किन्तु जो सरकार के लिये अनिवार्य हैं, यदि पर्याप्त और ठीक ठीक समय पर जब मूल्य बढ़ने लगें, उपयोग किया जाये, तो कुछ लाभ हो सकता है।

†**श्री राघवाचारी :** (पेनुकोंडा) : मूल्य बढ़ाने और लाभ में हिस्सा बटने की यह दौड़ कब समाप्त होगी ? निर्धन उपभोक्ताओं का क्या होगा ?

†**श्री कृष्णमाचारी :** यदि इस प्रकार के अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे, तो मैं उनका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** (बसीरहाट) : इस विधेयक के पुनःस्थापन के समय कहा गया था कि इस विधेयक के लिये दो घंटे दिये जाएंगे और आप अपने स्वविवेक से अधिक समय दे सकें। परन्तु अब उस समय की सीमा एक घंटा निर्धारित कर दी गई है। यह विधेयक बहुत ही विवादास्पद है अतः इस पर विचार करने के लिये पूरा दिन दिया जाना चाहिये।

†**श्री शं० शां० मोरे** (शोलापुर) : यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है और हमें अतिपीड़ित उपभोक्ताओं को बचाना है। इसलिये आर्थिक नीति के तत्वों पर अच्छी तरह विवेचन करने के लिये एक दिन का समय दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस विधेयक के लिये दो घंटे दिये गये हैं और एक घंटा तक समय और बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक सदस्य को १५ मिनट और दलों के नेताओं को २० मिनट मिलेंगे।

†**श्री अशोक मेहता** (भंडारा) : इस विधेयक के पुनःस्थापन से पहले ही संबंधित हितों को पता था कि संसद में इस प्रकार का विधेयक पुनःस्थापित किया जाने वाला है। माननीय मंत्री को इस बात की जांच करनी चाहिये कि लोगों को ऐसी बातें पहले से ही कैसे मालूम हो जाती हैं। सरकार के लिये यह श्रेय की बात नहीं है।

इस विधेयक का उद्देश्य समझना मेरे लिये कठिन है। क्या इसका उद्देश्य निर्माताओं और थोक व्यापारियों के लाभों का परिसीमन करना है ? क्या इसका उद्देश्य कपड़े की खपत को कम करना है ? आखिर इसका उद्देश्य क्या है ? यदि इस के ये सभी उद्देश्य हैं तो हमें देखना होगा कि क्या केवल इसी उपाय से वे उद्देश्य पूरे हो जायेंगे या अधिक उपाय करने पड़ेंगे। माननीय मंत्री को कुछ प्रकाश डालना चाहिये था।

कपड़े की खपत के बढ़ने और उत्पादन के कम हो जाने के कारण निर्यात कम हो गया है और मूल्य बढ़ गये हैं। क्या उत्पादन शुल्क लगा कर मूल्य अधिक बढ़ाने का विचार है ताकि लोग कपड़ा खरीदना कम कर दें। उपभोक्ताओं के पास जो अधिक क्रय शक्ति है, क्या उसे इस प्रकार क़े लेने का इरादा है? क्या इसका उद्देश्य केवल अधिक लाभ को बटोर लेना है? माननीय मंत्री ने कहा कि इस कर का कुछ भाग उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा। मेरा विश्वास है कि यह सारा भार उपभोक्ता पर ही पड़ेगा। मूल्य बढ़ जाने से मांग के कम हो जाने की संभावना है और शायद इससे निर्यात बढ़ जाये। मैं नहीं जानता कि इससे निर्यात की वृद्धि में किस प्रकार सहायता मिलेगी। इस बात पर भी वित्त मंत्री ने प्रकाश डालने का प्रयत्न नहीं किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अशोक मेहता]

यह बात स्पष्ट की जानी चाहिये कि क्या हम कपड़े की खपत को कम करना चाहते हैं और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये मूल्य बढ़ाना चाहते हैं। वित्त मंत्री करघों की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि हम दूसरी पंच वर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति कपड़े की खपत बढ़ाना चाहते हैं? विभिन्न तत्वों के परस्पर संबधों पर विचार किये जाने की आवश्यकता है, और दुख की बात है कि उनका विचार नहीं किया गया है।

अनेक बार कहा गया है कि कपड़े का उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं और फिर कहा जाता है कि उत्पादन काफी न होने के कारण खपत (उपयोग) पर नियंत्रण करना आवश्यक है। यदि खपत बढ़ानी है तो उत्पादन की योजना पहले से बनायी जानी चाहिये। परन्तु मैं समझता हूं कि विशिष्ट सीमा से अधिक खपत बढ़ाने का सरकार का विचार नहीं है। तब उस सीमा से अधिक उत्पादन बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह बात लोगों को बताई जानी चाहिये कि खपत को कम करने के लिये मूल्य बढ़ाये जायेंगे। हमें अपनी नीति स्पष्ट रूप से बतानी चाहिये।

कहा जाता है कि अधिक लाभों को इकटठा करने के लिये यह विधान बनाया जा रहा है और इससे १७.५ करोड़ रुपये जमा हो जायेंगे। क्या कपड़ा उद्योग अपने लाभ से १७.५ करोड़ रुपये देने के योग्य है? क्या एक हजार करघों वाले मिल से प्रति वर्ष २४ लाख रुपये कर के रूप में वसूल करना संभव होगा? हमें यह भी बताया गया है कि मिलों के लाभों में कितनी वृद्धि हुई है और कितना उत्पादन शुल्क निर्माताओं पर पड़ेगा। हमें यह भी नहीं मालूम कि क्या इन उत्पादन शुल्कों के परिणाम स्वरूप सीमान्त मिलें चलती नहीं रह सकेंगीं और बड़े मिल अधिक लाभ कमाते रहेंगे। इस कठिनाई के लिये माननीय मंत्री का क्या हल है?

वर्तमान वित्त मंत्री ने यह विधेयक रखा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह एक पृथक विधेयक है अथवा यह कोई मुद्रास्फीति विरोधी नीति है और यदि ऐसा है तो वह मुद्रास्फीति विरोधी नीति क्या है? क्या निर्माताओं के लाभ बढ़ रहे हैं या थोक व्यापारियों के? क्या यह लाभ वृद्धि दूसरे निर्माताओं को भी हो रही है? व्यापारी लोगों का कथन है कि गत वर्ष उन्हें सबसे अधिक लाभ हुआ है। स्वयं मंत्री को पता नहीं कि इन उत्पादन शुल्कों से निर्माताओं या थोक व्यापारियों के लाभ को सीमित किया जा सकेगा या नहीं और कितना कितना सीमित किया जा सकेगा। तथा मूल्य बढ़ने में कितनी कमी होगी। यदि मंत्री महोदय खपत को कम न करके अधिक लाभों को सीमित करना चाहते थे तो उन्हें अधिक लाभ अधिनियम जैसा कोई विधान पुर:स्थापित करना चाहिये था। वह केवल उत्पादन शुल्क बढ़ा कर उपभोक्ताओं पर अधिक भार डालने का विधान क्यों बनाना चाहते हैं? मैं उपभोक्ताओं पर अधिक भार डाले जाने के पक्ष में हूं।

मैं सार्वजनिक रुप से यह कहने को तैयार हूं कि मैं उपभोक्ताँओं पर अधिक भार डाले जाने के पक्ष में हूं यदि मुझे यह विश्वास हो जाये कि लाभों को सरकार द्वारा ले लिया जायेगा। अन्यथा सरकार को कोई नया कर लगाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जब तक कि अतिरिक्त लाभों पर पूर्ण रुप से कर न लगाया जाये सरकार को और संसद् को नये कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है।

विकासोन्मुख अर्थ व्यवस्था में क्या होता है? घाटे की अर्थ व्यवस्था का आश्रय ले कर चलने वाली अर्थ व्यवस्था मे निर्माताओं और बड़े व्यापारियों के लाभ अत्याधिक बढ़ जाते हैं। इसलिये यही ठीक है कि उन लाभों पर कर वसूल किया जाये। परन्तु इस कर के संबंध में हमें केवल यही बताया गया है कि कपड़े पर उत्पादन शुल्क बढ़ाया जा रहा है। यह ठीक है कि हमारी अर्थ व्यवस्था के विकास के लिये उपभोग पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, परन्तु यह प्रस्थापना तो कुछ असंगत तो ही ह। हम यह जानना जाहते हैं कि मुद्रास्फीति को रोकने के लिये वह किस नीति का अनुसरण करना चाहते हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि देश के इन अतिरेक संसाधनों को हस्तगत करने की नीति किसी मुद्रास्फीति विरोधी नीति का कोई भाग है या नहीं। यदि यह एक व्यापक मुद्रास्फीत विरोधी नीति का अंग है तो मैं इसका समर्थन करुंगा। परन्तु यदि यह कोई सीमित विधान है और इसका उस नीति से कोई संबंध नहीं है तो मुझे बाध्य होकर इस का विरोध करना पड़ेगा क्यों कि यह जन साधारण के हित में नहीं होगा।

मैंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। यदि यह विधान हमारी राजकोषीय नीति और आयोजित अर्थ व्यवस्था की नीति का एक अंग नहीं है तो कोई भी समझदार व्यक्ति इस का समर्थन नहीं करेगा।

मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री और उनके सहयोगी इस अवसर का लाभ उठा कर अपनी नीति को स्पष्ट करने की चेष्टा करेंगे। यह एक ऐसा विषय है जिस पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिये। हमारे निर्यात कम होते जा रहे हैं। इस विधान के पारित किये जाने से उनमे क्या वृद्धि होने की संभावना है। इस संबंध में भी कोई निश्चित जानकारी नहीं दी गई है। बिना अग्रेतर जानकारी के ऐसे विधान के संबंध में मत प्रकट करना मेरे जैसे व्यक्ति के लिये कठिन है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

दुर्भाग्य से माननीय मंत्री ने भी इस विधान को पुर:स्थापित करते समय इस संबंध मे कोई जानकारी नहीं दी अपितु अस्पष्टता का ही आश्रय लिया, इसलिये हम आशा करते हैं कि इस पर मतदान करने के लिये कहने से पूर्व वह इस के संबंध मे अग्रेतर जानकारी देने की कृपा करेंगे।

†**डा० कृष्णस्वामी** (कांचीपुरम्) माननीय वित्त मंत्री ने यह बताया कि मुद्रा स्फीति व्यय मौजूदा परिस्थितियों में वस्तुओं के उपभोग पर निर्बन्धन लगाना आवश्यक है।

उद्देश्यों और कारणों के विवरण में वित्त मंत्रालय ने कपड़े के संभरण और मूल्य की प्रवृत्तियों के बारे में जो आंकड़े दिये हैं, वे कपड़े पर उत्पादन-शुल्क की प्रस्तावित वृद्धि का समर्थन नहीं करते, आंकड़ों के ज़रियों यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि कपड़े के मूल्य में जो वृद्धि हुई है वह लगातार और काफी हुई है। यह निष्कर्ष अनुपयुक्त है और मेरा निवेदन यह है कि मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में मूल्य में जो वृद्धि हुई थी उसका एक कारण यह है कि उस अवधि में संसदने कपड़े पर उत्पादन-शुल्क लगाने का निर्णय किया था। हम जानते हैं कि मूल्य में वृद्धि के कुछ और कारण भी थे।

प्राशुल्क आयोग की सिफारिशों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। किन्तु इस निक्षय ने केवल यही सुझाव दिया था कि जब तक बाज़ार में मांग और संभरण की स्थिति साधारण रहे तब तक लाभ की एक विशिष्ट दर उचित है और इस लाभ का हिसाब लगाया जा सकता है। मैं इस बात का उत्तर जानना चाहता हूं कि क्या अतिरिक्त लाभ को समेटने के लिये यह उत्पादन-शुल्क लगाये गये हैं? मेरा निवेदन है कि इस अतिरिक्त लक्ष को प्रत्यक्ष कराधान द्वारा समेटा जा सकता है। किन्तु किसी उद्योग में यदि लाभ असाधारण हैं तो उन्हें कम करने का उचित उपाय यह है कि उस उद्योग में नई फर्मों के प्रवेश की व्यवस्था की जाये ताकि प्रतिस्पर्द्धा बढ़े और मूल्य कम हो। उत्पादन शुल्क लगाकर अतिरिक्त लाभ नहीं समेटा जा सकता। यह समझ में नहीं आता ह कि उत्पादन करों को बढ़ाने के लिये सरकारी आनभ्य शक्तियां क्यों चाहती हैं। आप यह चाहते हैं कि उपभोक्ता पर भार बढ़ा कर कपड़े को और महंगा किया जाये। मेरा ख्याल है कि इस समय जो उत्पादन-शुल्क लगाया गया है वह उचित नहीं है।

माननीय मंत्री ने अपने भाषण में यह बताया कि संभरण सीमित थे और संभरण को बढ़ाने के लिये हमें कुछ करना चाहिये, क्योंकि इसके बिना उत्तरोत्तर बढ़ाने वाली मांग को पूरा करना हमारे लिये संभव नहीं होगा। माननीय मंत्री ने यह भी कहा कि जहां तक प्रथम पंचवर्षीय योजना का संबंध था, कपास की प्रभावी मांग संभरण की अपेक्षा अधिक थी। बात यह हुई थी कि राष्ट्रीय आय में ११ प्रतिशत वृद्धि के लिये हमने योजना बनाई थी किन्तु किन्हीं बातों के कारण यह वृद्धि वास्तव में १८ प्रतिशत हुई। मैं यहां यह बता दूं कि किसी उद्योग के अतिरिक्त लाभ को यदि आप समेटना चाहते हैं तो उस उद्योग में प्रवेश करने की शर्तों को हमें यथाशक्य सरल और आनभ्य रखना चाहिये ताकि वस्तुओं का संभरण बढ़े और लाभ को कम किया जा सके। यदि संभरण को हम

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० कृष्णस्वामी]

बढ़ाना चाहते है तो यह अत्यंत आवश्यक है कि हमें सव प्रथम उन मिलों को करधे प्राप्त करने की सुविधायें देकर और उनकी क्षमता बढ़ाकर लाभप्रद बनाना चाहिये जो कि इस समय अलाभप्रद हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कपड़ा उत्पादन की अधिकतम सीमाओं के परीक्षण और नई मिलों की स्थापना में कुछ समय लगेगा किन्तु हमें यह कार्यवाही शीघ्र से शीघ्र करनी चाहिये।

माननीय मंत्री केवल एक सप्ताह पहले उद्योग मंत्री थे और इस सदन के किसी अन्य सदस्य की अपेक्षा उन्हें इस बात का ज्ञान अधिक होना चाहिये कि सरकारी क्षेत्र द्वारा किया गया लोहा और इस्पात जैसे उद्योगों पर केन्द्रीत होता है जो कि ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिन्हें मजूरी के रुपमें नहीं दिया जा सकता और इसलिये उनमें नियुक्त व्यक्तियों को जो आय होती है, वह उन वस्तुओं पर व्यय होगी जिन्हें मजूरी के बदले में दिया जा सकता है। इसलिये जब तक हम ऐसी वस्तुओं के संभरण को नहीं बढ़ायेंगे तब तक उत्पादन-शुल्क में वृद्धि और मूल्य नियंत्रण से काम नहीं चलेगा। मुझे एक बात की चिन्ता है कि किसी एक वस्तु और एक विशिष्ट उद्योग पर कर लगाने के खतरों को हम अब तक समझ नहीं पाये हैं। हम एक ही उद्योग की वस्तु के उपयोकताओं को अधिक कर देने के लिये बाध्य कर रहे हैं। यह एक सर्व विदित बात है कि संसार का सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग भारत में है, किन्तु हम जो कुछ कर रहे हैं वह कपड़ा उद्योग सामान्य विकास में बाधक हो रहा है। किसी भी और विशेषकर घाटे की अर्थ-व्यवस्था के काल में राजकोष को उपलब्ध होने वाली बचत को बढ़ाने की आवश्यकता कराधान के उपाय निर्धारित करने में एक मुख्य बात होना चाहिये इस बात से मैं सहमत हूं। किन्तु जीवन निर्वाह मूल्य पर बढ़े हुये करों और शुल्कों के पड़ने वाले प्रभाव की यदि हम उपेक्षा करते हैं तो सार्वजनिक बचत के रूप में हमने जो कुछ कमाया है वह अधिक मजूरी की मांग को पूरा करने में व्यय हो जायेगा।

मैं एक और उदाहरण आपके समक्ष रखता हूं। आज नमक के मूल्य का जो निदेशनांक है, वही १९३९ में था। अन्य सभी वस्तुओं के मूल्य चार या पांच गुने हो गये हैं। यदि नमक के मूल्य में ५० प्रतिशत वृद्धि की जाये तो उसका प्रभाव हमारी अर्थ-व्यवस्था पर कुछ नहीं होगा और हमें धन प्राप्त होगा जिसका राजकोष में संचित होना अत्यंत आवश्यक है।

नीति का एक और पहलू है जिसका पुनरीक्षण आवश्यक है और वह है मद्य निषेध। आज जब कि एक विकासोन्मुख शिक्षा कार्यक्रम के लिये संसाधन आवश्यक है और यदि हम मुद्रा स्फीति को रोकना चाहते हैं तो हमें मद्य निषेध की नीति को रोक देनी चाहिये। यह सर्वविदित है कि बढ़े हुये उत्पादन शुल्क उपभोक्ता को देने होते हैं और यदि हम इसके लिये उपभोक्तां को बाध्य कर ही रहे हैं तो यह उचित होगा कि सरकार को उत्पादन शुल्क बढ़ाने की शक्ति देने के बजाय, संसद् ऐसी नीति के समस्त पहलुओं पर चर्चा करे। जब हमारा मुद्रा-स्फीति-विरोधी उपाय करने का विचार है, तो हमें कराधान की समस्त योजनाओं पर ध्यान देना होगा। मेरा निवेदन है कि जब हम उत्पादन शुल्क के बारे में सोच रहे हैं तो हमें इस बात की व्यवस्था करनी चाहिये कि ये उत्पादन-शुल्क किसी व्यापक आधार पर आधारित हों और उनके अन्तर्गत अधिकाधिक वस्तुयें आयें और साथ ही हमें उन प्रतिबन्धों को ढीला करना चाहिये जिनके कारण कपड़ा उद्योग का विकास अवरुद्ध हुआ है। दर्मियान दर्जे के कपड़े पर हम शत प्रतिशत कर लगाकर उसका मूल्य बढ़ाने जा रहे हैं और यह एक ऐसी बात है जिस पर हमें काफी विचार करना चाहिये।

†**श्री बंसल** (झज्जर —खाड़ी) : श्री कृष्णमाचारी वित्त मंत्री नियुक्त हुये हैं और इसके लिये मैं उन्हें बधाइयां देता हूं और मैं उनकी सफलता की कामना करता हूं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (होशियारपुर) : श्रीमान, औचित्य एक प्रश्न के हेतु.....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों में से किसी एक को बैठना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या माननीय सदस्य अपनी ओर से किसी मंत्री को सदन में बधाइयां दे सकत हैं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य बधाइयां दे सकते हैं।

†**श्री बंसल :** विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के क्रियाकारी भाग में यह कहा गया है कि :

"इस अतिरिक्त लाभ को समेटना आवश्यक है....."

इस विवरण के पृष्ठ २ पर जो आंकड़े दिये गये हैं, वे मेरे ख्याल में सही नहीं हैं। किन्तु मैं यह जानना चाहता हुं कि क्या यह सच नहीं है कि पिछले कुछ महीनों में सरकार की नीति के परिणाम-स्वरुप कपड़े के मूल्य लगातार बढ़ते गये हैं ? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कोयले के मूल्य में पिछले वर्ष में २५ प्रतिशत वृद्धि हुई थी और कपड़ा मिल के लिये कोयला एक महत्वपूर्ण वस्तु होने के कारण इस वृद्धि का कुछ प्रभाव कपड़े के मूल्य पर पड़ेगा। उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में जो कुछ कहा गया है उससे मेरी यह धारणा हुई है कि इस विधेयक के संबंध में कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

कपड़े की बहुत महीन किस्म में जहां कोई सापेक्ष मूल्य वृद्धि नहीं हुई वहां प्रभावी वृद्धि ६० प्रतिशत होगी। महीन कपड़े के मूल्य में ७१.४ प्रतिशत और दर्मियाने कपड़े के मूल्य में शत प्रतिशत वृद्धि होगी। यही नहीं किन्तु सरकार ने इन शुल्कों को बढ़ानें की शक्ति भी ले ली है। माननिय वित्त मंत्री यह कह सकते हैं कि हमनें केवल यही शक्ति ली है किन्तु उन से मेरा नम्र निवेदन है कि, जब कभी व्यापारी यह जान जाते हैं कि किसी भी समय उन्हें इससे अधिक उत्पादन शुल्क नहीं देना होगा तो जिन वस्तुओं का संभरण मांग की अपेक्षा कम है वहां इस शुल्क का अधिकांश भाग उपभोक्ता को ही देना पड़ता है और मेरी समझ में नही आता कि सरकार इस बात पर क्यों विचार नही करती।

ग्वालियर या किन्हीं अन्य मिलों में बनने वाली धोती गरीब लोगों द्वारा आम तौर पर पहनी जाती है। मुझे ज्ञात हुआ है कि एक जोड़ा धोती का मिल मूल्य ४-९-० रुपये है। उस पर दो आने के हिसाब से १–९–० रुपये उत्पादन शुल्क लगेगा क्यों कि एक धोती जोड़ा १० गज लम्बा होता है और वर्ग गज के हिसाब से वह १२$\frac{1}{2}$ गज होता है। इसके अलावा बिक्री कर भी लगेगा जो कि कुछ राज्यों में एक आना प्रति रुपया है। किन्तु यदि आप ४ आने प्रति वर्ग गज के हिसाब से उत्पादन शुल्क लगाएं तो आप यह देखेंगे कि कपड़े की कुल किस्मों के मिल मूल्य में शत प्रतिशत वृद्धि होगी। मैं यह नहीं जानता कि कपड़े कि किसी विशिष्ट किस्म पर उत्पादन शुल्क बढ़ कर उसके उपभोक्तो को तंग करना ही सरकार का उद्देश्य है।

यह धारणा उत्पन्न की जा रही है कि मोटी धोतियों और साड़ीयो तथा मोटे कपड़े की अन्य किस्मों के मूल्यों में नाममात्र वृद्धि हो रही है। देश में कपड़े की मोटी किस्मों का सारा उत्पादन केवल ११ प्रतिशत है और मोटी धोतियों का उत्पादन धोतियों के कुल उत्पादन का २.५ प्रतिशत है। किन्तु देश में दर्मियाने कपड़े की खपत सब से अधिक होती है और यहां शुल्क को एक आने से बढ़ा कर ४ आनें करनें का प्रयत्न किया जा रहा है या कम से कम ऐसा करने के लिये शक्ति प्राप्त की जा रही है।

पंचवर्षीय योजना में जिस घाटे की अर्थव्यवस्था का निर्णय हमनें किया है उसे देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि यदि अतिरिक्त क्रय शक्ति को कुछ हद तक समेटने का प्रयास सरकार करती है तो वह स्वाभाविक ही है यहां सरकार का मुख्य उद्देश्य अतिरिक्त लाभ को समेटना है जो कि मेरे ख्याल में हुए नहीं हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बंसल]

क्या सरकार अपनी कार्यवाही के कारण ऐसी स्थिति पैदा नहीं कर रही जिसमें उत्पादन को बढ़ने से रोका जा रहा है जब कि मांग बढ रही है ?

एक ओर तो हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि कपड़े का उत्पादन न बढ़नें पाये और दूसरी ओर हम यह भी चाहते हैं कि कपड़े की मांग कम हो जाये। पंच वर्षीय योजना की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अन्न और कपड़ा अच्छे दामों पर अधिक परिमाण में दिया जायेगा। वित्त मंत्री बनने से पहले माननीय मंत्री नें स्वयम् कहा था कि लोगों के जीवन स्तर ऊंचा करने के लिये अन्न और कपड़े के अभाव के प्रश्न को अधिक समय तक टाला नहीं जा सकता । यह सब कुछ होते हुए भी माननिय मंत्री इसके विपरीत कार्य कर रहे हैं। कपड़ा खरीदने वालों को अधिक दाम देने पड़ेंगे। पिछले सप्ताह में हमारे देश में मूल्य देशनांक ४२१ था। वस्तुओं के मुल्य बराबर बढ़ते जा रहे हैं।

कुछ दिन पहले खाद्य और कृषि मंत्री ने कहा था कि अनाज के भाव कम किये जायेंगे । इसका अर्थ यह होगा कि किसानों को अन्न से कम रुपया मिलेगा और वस्त्र आदि के लिये उन्हें अधिक खर्च करना पड़ेगा। अतः ऐसा काम करने से किसानों की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और यह कार्य हमारी योजना की निती के विरुद्ध होगा। योजना के अनुसार मूल्य देशनांक ३७५ से ४०० के बीच में रहेगा।

यदि माननिय मंत्री इसमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन करना चाहते हैं तो उन्हें अपना दृष्टिकोण सभा में विस्तार पूर्वक समझाना चाहिए था। इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत करने से पहले उन्हें योजना के प्रति अपने विचार और अपनी निति को स्पष्ट करना चाहिये था। मैं उन से निवेदन करता हूं कि वित्त मंत्री होने के बाद वे इन सब बातों पर भली भांति ध्यान दें।

मैं तो समझता हूं कि सरकार को बढ़ते हुए भाव कम करने का प्रयत्न करना चाहिये किन्तु इसके स्थान पर वह स्वयं भाव बढ़ा रही है। सरकार को मूल्यों के बारे में अपनी एक निश्चित नीति रखनी चाहिये।

यदि आवश्यक हो तो योजना के लक्ष्यों का भी पुनरीक्षण किया जाना चाहिए और अन्त में फिर यही कहता हूं कि सरकार को योजना काल में लोगों के बढ़ते हुए जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुऐ भावों में संतुलन स्थापित करना चाहिये ।

†**श्री मुरारका** (गंगानगर–झुंझनू) : हमारे नये वित्त मंत्री का यह पहला विधेयक है जो उन्होंनें सभा में प्रस्तुत किया है। मुझे खेद है कि मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता। इस उपबन्ध से सरकार को १७$\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये की आय होगी किन्तु प्रधान मंत्री नें कहा है कि रुपया इकट्ठा करना सरकार का उद्देश्य नहीं है।

विधेयक के कारणों और उद्देश्यों के विवरण में यह कहा गया है कि मिल उद्योग को जो अतिरिक्त लाभ हो रहा है वह इस उपबन्ध के द्वारा समेट लिया जायेगा। किन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि कपड़ा खरीदनें वालों को जब महंगा कपड़ा मिलेगा तो कपड़े की मांग कम हो जायेगी और इस प्रकार मिल उद्योग को हानि होगी और कपड़ा खरीदनें वालों को भी हानी होगी। केवल सरकार को लाभ होगा।

यदि सरकार मिल मालिकों के लाभ को ही कम करना चाहती है तो उसे दूसरा तरीका अपनाना चाहिये। वह मूल्य पर नियंत्रण रख सकती है, जिससे उन्हें अधिक लाभ नहीं हो सकेगा। किन्तु उत्पादन शुल्क में वृद्धि करने का परिणाम तो यही होगा कि कपड़े के भाव बढ़ जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह उत्पादन शुल्क उसी समय लगाया जाता है जब कि कपड़ा मिलों से बाहर जाता है अतः इस समय यदि कोई बाजार में जाये और यह कहे कि भाव नहीं बढ़े हैं तो इस कथन में कोई तथ्य नहीं है। कुछ ही दिनों में हम देखेंगे कि कपड़ा खरीदने वाले की अधिक दाम देने पड़ेंगे।

इस के अतिरिक्त सरकार को यह शक्ति दी जा रही है कि वह जब भी चाहे, उत्पादन शुल्क में और वृद्धि कर सकती है। यह तो और भी अहितकर है। इस का परिणाम यह होगा कि कपड़ों के व्यापारी भविष्य में अधिक लाभ प्राप्त करने के लिये अपने पास कपड़ा इकठ्ठा करके रख लेंगे और ऐसा करने से जनता को अधिक कठिनाई होगी। अतः मैं माननिय वित्त मंत्री से पुनः निवेदन करता हूं कि वे इस प्रकार का उपबन्ध न करें। इस से जनसाधारण को हानि होगी। वस्तुओं के भाव बढ़ने लगेंगे और जिस स्थिति को हम दूर करना चाहते हैं वही स्थिति पैदा हो जायेगी।

†**श्री हो० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता उत्तर–पूर्व): मैं तो सोच रहा था कि माननिय मंत्री को वित्त मंत्रालय का भार संभालने पर बधाई दूं किन्तु मुझे यह कहते हुए बहुत दुःख होता है कि वित्त मंत्री बनते ही उन्होंने जनता से अधिक से अधिक रुपया वसूल करने का निश्चय किया है। वे लोहा और इस्पात के भी मंत्री ह। मैंने सुना है कि उन्हे लोह–मंत्री भी कहा जाता है। जिस प्रकार जर्मनी में बिस्मार्क लोह–मंत्री थे।

एक ओर तो हम समाजवादी ढांचे का ढिंढोरा पीट रहे हैं और दूसरी ओर प्रधान मंत्री न वित्त मंत्रालय का भार भी श्री कृष्णामाचारी जैसे लौह पुरुष के कंधों पर रखा है जो कि जनता को शोष की नीति अपना रहे हैं।

सरकार ने इस विधेयक को प्रस्तुत करने के तीन मुख्य कारण बतायें हैं। प्रथम यह है कि सरकार कपड़े की बढ़ती हुई खपत को रोकना चाहती है, द्वितीय यह कि इस से निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा और इस प्रकार पंच वर्षीय योजना के लिये विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकेगी और तृतिय कारण यह है कि लोग मिल के कपड़े की अपेक्षा हाथ के बुने हुए कपड़े को पसन्द करन लगेगें। किन्तु यह कहीं नहीं बताया गया है कि मिल मालकों को जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो रहा है वह उत्पादन शुल्क बढ़ाने से किस प्रकार सरकार समेट लेगी। १९४८ में मिल उद्योग को १७.७ प्रतिशत लाभ हुआ था। १६ बड़े उद्योगों में सबसे अधिक लाभ मिल उद्योग को ही हुआ था और हम ने तो यहां तक कि सुना है कि पिछले चुनाव में पंजीपतियों ने इसी कारण से कांग्रेस की सहायता की।

सरकार ने जो उपबन्ध किया है उस से जनता को हानि होगी। इस बात को श्री मुरारका और श्री सोमानी ने भी स्वीकार किया है जो मिल मालिकों के प्रतिनिधी हैं।

मेरे मित्र श्री अशोक मेहता नें उस आलोचना का उल्लेख किया है जो १ सितम्बर को प्रकाशित टाइम्स आफ इण्डिया के 'सिटी नोटस" में प्रकाशित हुई है। उस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उत्पादन शुल्क बढाने से जनसाधारण को कपड़े के लिये अधिक रुपया देना पड़ेगा।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान खासकर दर्मियाने दर्जेके कपड़े की ओर दिलाना चाहता हूं क्यों कि उन्होंने वही पुराने तरीके से यह कह कर सफाई दी है कि मोटा कपड़ा इस क्षेत्र से बाहर रखा जा रहा है। किन्तु मोटा कपड़ा धोती और साड़ी के कुल उत्पादन के ६ प्रतिशत से अधिक नहीं है और उसका अधिकतर भाग धनी लोग उपयोग करते हैं चर्चा समाप्त होने पर यदि मंत्री महोदय दर्मियाने दर्जे के कपड़े के बारे में कुछ रियायत देते हैं तो वह कुछ थोड़ी सी दया की बात हो सकती है किन्तु निश्चय ही हम इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकते। कपड़ा उद्योग में इतना मुनाफा है और मुनाफे के नियन्त्रण के लिये सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है इसलिये हम आसानी से कल्पना कर सकते हैं कि इस विधेयक के प्रवर्तन से कैसा चित्र उपस्थित होगा। उसका बोझ तो उद्योगपति को नहीं बल्कि चिरपीड़ित उपभोक्ता को सहन करना पड़ेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

यहां में खासकर इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि आगे महत्वपूर्ण त्योहार आ रहे हैं जैसे बंगाल मे दुर्गापूजा , सारे देश में दिवाली और दक्षिण में संक्रांति , जब कि लोगों को कम से कम बच्चों के लिये तो अवश्य ही कुछ कपड़ा खरीदना होगा । ऐसी स्थिति में उपभोक्ता का प्रतिरोध काम नहीं करेगा । सरकार के पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि वह विश्वास दिला सके कि मूल्य का नियंत्रण किया जायेगा और मुनाफे सीमित किये जायेंगे ।

मंत्री महोदय को यह कहते सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ कि यदि मूल्य बढ़ते हैं तो साथ ही साथ करों में भी अवश्य ही वृद्धि होगी । मैं तो यह कहूंगा कि मूल्य नियन्त्रण नीति के लिये इनके हाथ संभवतः बधें हुए होगें जिससे बढ़ते हुए मूल्यों के साथ साथ कराधन में वृद्धि असंभव होगी । इस प्रकार का चक्र तुरन्त तोड़ दिया जाना चाहिये ।

यह सुनना कितना अरुचिकर है कि सरकार का आशय यह है कि लोग कपड़ा खरीदना बन्द कर दें क्योंकि उसे यह बताना है कि प्रतिव्यक्ति कपड़े का उपभोग बढ़ गया है । १९३९–४० में प्रति व्यक्ति १५·७५ गज कपड़ा उपलब्ध था और १९५५ में वह १५·९ हो गया है । आज वह १६·८ गज है जो १९३९–४० में उपलब्ध आंकड़े से एक गज ज्यादा है । यदि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं तो हम खुश होते हैं और जब आंकड़े उस लक्ष्य से अधिक बढ़ जाते हैं तो हम चाहते हैं कि लोग अधिक कर दें ।

कहा गया है कि राष्ट्रीय आय में कुछ वृद्धि हुई है । किन्तु वास्तविकता यह है कि लोगों के रहन-सहन की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ । माननीय वित्त मंत्री मुझसे अधिक अच्छी तरह जानते हैं कि देश के विभिन्न भागों में क्या स्थिति है । अभी हाल में खाद्य मंत्री ने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि हम अपनें देश में खाद्य उत्पादन बढ़ा रहे हैं जब कि एक दूसरे उच्च अधिकारी नें यह बताया कि खासकर दक्षिण में किस प्रकार अनेक लोगों को केवल जमीन के अन्दर की जड़हों पर अपना जीवन निर्वाह करना पड़ता है । हमें उस स्थिति का सामना करना है । सरकार द्वारा यह बताया जाता है कि लोगों की क्रय-शक्ति बढ़ गयी है, कीमतें बढ़ गयी हैं और मुद्रास्फीति की ओर झुकाव है , यह अर्थ-शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों के दृष्टिकोंण से सही हो सकता है किन्तु अकाट्य तथ्य की दृष्टि से वह कदापि सही नहीं है । हमें तो आज जनता के रहन सहन की स्थिति में परिवर्तन करने का सर्वांगीण प्रयत्न करना चाहिये । खासकर उस समय जब कि आगे त्योहार आ रहे हैं , इस प्रकार का विधान प्रस्तुत करना बड़ी कठोरता है ।

कालडोर प्रतिवेदन के प्रकाशित होने के बाद भूतपूर्व वित्त मंत्री नें कहा था कि इस देश के किसी भी वित्त मंत्री को अबसे आगे अप्रत्यक्ष कराधान की अपेक्षा प्रत्यक्ष कराधान का अधिक आश्रय लेना चाहिये । वित्त विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते हुए उन्होंने कीमतों में थोड़ी सी वृद्धि होने की आशा प्रकट की थी । किन्तु वह आशा झूठ साबित हुई है । उदाहरणार्थ , सरसों के तेल का भाव बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इस तरह की बात सारे देश में हुई है और लोग ऐसी चीजों के, जो जीवन के लिये नितान्त आवश्यक है , भावों में भारी वृद्धि का विरोध करने के लिये संगठित हो रहे हैं ।

इसलिये मैं समझता हूं कि इस प्रकार का विधेयक बिल्कुल ही गलत है । वह सरकार के घोषित उद्देश्य के अनुरूप नहीं है । मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि लोग इससे बहुत उत्तेजित हो गये हैं । आप उनको हमेशा यह भुलावा नहीं दे सकते कि किसी अनिश्चित भविष्य में अच्छे दिन आयेंगे । अतः मेरे विचार से इस विधेयक का घोर विरोध किया जाना चाहिये । मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री को कम से कम दर्मियाने दर्जे के कपड़े के सम्बन्ध में अवश्य कुछ परिवर्तन करने के लिये मंत्रणा दी जाती और वे इस विधेयक को कुछ कम अप्रिय बना दे ।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** (मैसूर) : अनेक सदस्यों ने अनेक कारणों से इस विधेयक का विरोध किया है और किसी ने भी इस विधेयिक के प्रयोजन का समर्थन नहीं किया है ।

---

†मूल अंग्रजी में

इस विधेयक का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि निर्माताओं और थोक व्यापारियों को मिलने वाले अतिरिक्त मुनाफे खतम कर दिये जाये। मुझे आशंका है कि इस स्पष्ट तथ्य को देखते हुए कि अप्रत्यक्ष करारोपण साधारणतया उपभोक्तांओं पर लाद दिया जाता है, और उत्पादक बहुत ही कम बोझ उठाते हैं, इस विधेयक का प्रयोजन पूरा न होगा। अर्थशास्त्र का यह सामान्य नियम है कि उपभोग वस्तुओं पर कर अधिकतर उपभोग करने वाली ही जनता ही उठाती है। अतः विधेयक का यह दावा कि उससे उत्पादक वर्ग के अतिरिक्त लाभ ले लिये जायेंगे, गलत है। मैं समझता हूं कि विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में उल्लिखित यह प्रयोजन केवल जनता को बहकाने के लिये है। मैं समझता हूं कि अर्थ शास्त्र का कोई भी विद्यार्थी इससे सहमत न होगा कि अप्रत्यक्ष कर का दस प्रतिशत भी उत्पादक को देना पड़ता है। हमें इस बात पर विचार करना है कि क्या उपभोक्ता आज यह अतिरिक्त बोझ उठा सकते हैं। मुझे आशंका है कि उपभोक्ता अधिकतर गरीब और मध्यमवर्ग के हैं वे यह बोझ नहीं उठा सकते।

कुछ दिन पूर्व प्रो० कालडोर ने अपने प्रतिवेदन में कहा था कि करारोपण नीति ऐसी व्यापक और विस्तृत होनी चाहिये कि उसमें विभिन्न प्रकार के कर जैसे संपत्तिकर, पूंजी लाभ कर, तथा अन्य प्रकार के कर भी सम्मिलित हों जिनका उद्देश्य यह हो कि उत्पादकों के अतिरिक्त लाभ समेट लिये जायें। उन्होंने यह शिकायत की थी कि हमारी करारोपण नीति में सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि हम करारोपण की समस्या को खंडशः सुलझा रहे हैं। करारोपण एक तरीका है जिससे हम आय की असमानता कम कर सकते हैं। किन्तु यहां भी सरकार "समाजवादी ढ़ांचा" का लक्ष्य प्राप्त करनें के लिये पर्याप्त या प्रभावशाली नीति नहीं बना सकी है। अतः मैं समझता हूं कि श्री अशोक मेहता नें जो कहा है कि इस अकेले विधेयक से इस उद्योग के थोड़े से लोगों का मुनाफा ले लेने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है।

मैं माननीय मंत्री से पूछता हूं कि मुनाफा ले लेने के लिये उन्होंनें केबल कपड़ा उद्योग ही क्यों चुना है जब कि अन्य उद्योग, खासकर जूट उद्योग और बागान उद्योग, भी मुद्रास्फीति के कारण पिछले कई महीनों से काफी भारी मुनाफा कमा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य मुझसे इस बात में सहमत होगें कि करारोपण की समस्या के प्रति इस संकुचित दृष्टिकोण से कोइ लाभ नहीं होगा। यदि वे विभिन्न प्रकार से लाभ कम करनें की दृष्टि से व्यापक बिधेयक प्रस्तुत करते हैं तो हम उनका समर्थन करते हैं। मेरे विचार से कपड़े पर उत्पादन शुल्क लगानें के लिये यह सबसे अधिक अनुपयुक्त अवसर है कि जब कि दुर्गापूजा और अन्य त्योहार आगे आ रहे हैं। इन अगले दो तीन महीनों में कपड़े की मांग बढ़ती जायेगी तः फिर सरकार की औद्योगिक नीति के कारण यह धारणा पहले ही बनती जा रही है कि कपड़े का काफी अभाव है। अतः उपभोक्ता के प्रतिरोध का नियम लागू नहीं होगा। मांग बढ़ती जायेगी और उसी अनुपात में पूर्ति न बढ़े, तो सारा बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। किन्तु कपड़े का भाव और बढ़ता जायेगा और उससे मूल्य नियन्त्रण असम्भव हो जायेगा। मैं समझता हूं कि इस विधेयक का एक उद्देश्य यह भी है कि कपड़े का भाव बढ़नें पर एक प्रकार की रोक लगायी जाये। इस विशेष अवसर को देखते हुए वह उद्देश्य भी पूरा नहीं हो सकता। मेरे विचार से यह अवसर अनुपयुक्त है।

यदि माननीय मंत्री मुनाफा ले लेना चाहते हों तो वर्तमान स्थिति में सबसे अच्छा कर अतिरिक्त लाभकर है। वह कर लगानें में मंत्री महोदय क्यों संकोच करते हैं यह मैं नहीं जानता, किन्तु उस कर से बोझ प्रत्यक्ष व्यापारियों और उद्योगपतियों पर पड़ेगा, उपभोक्ताओं पर नहीं। उससे मूल्यों पर और उत्पादन लागत पर भी एक अप्रत्यक्ष रोक रहेगी। अतः यह कोई अच्छा कर नहीं है और न यह समय उसके लिये उपयुक्त है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस विधेयक का विरोध किया जाना चाहिये।

आगे माननीय मंत्री नें कहा है कि दर्मियाने दज के और मोटे कपड़े पर महीन और बहुत महीन कपड़े की अपेक्षा कम कर लगाया गया है। दर्मियाने दर्जे के कपड़े पर १०० प्रतिशत और मोटे कपड़े पर ५० प्रतिशत कर बढ़ाया गया है। यदि इस वृद्धि को बहुत कम कहा जाये, तो वास्तव में मैं वह तर्क

[श्री म० शि० गुरुपादस्वामी]

स्वीकार नहीं कर सकता। यह वृद्धि बहुत ही अधिक है और निश्चय ही मंत्री महोदय इस विधेयक के अधीन दी गयी विशाल शक्तियों से लाभ उठायेगें ताकि भविष्य में वे दर्मियानें और मोटे कपड़े पर कर और बढ़ा सकें। उसका अर्थ यह होगा कि गरीब वर्ग पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा।

विकासशील अर्थव्यवस्था में कुछ लोग बहुत अधिक रुपया पैदा करते हैं और उनसे कुछ रुपये ले लेनें के लिये विशेष विधेयक जरूरी होते हैं। यह कोई विशेष विधेयक नहीं है। मैं सामान्यतया इस बात का समर्थन करता हूं कि करारोपण नीति व्यापक होनी चाहिये और उसे व्यापक बनाने का सर्वोत्कृष्ट ढंग यह है कि प्रो० कालडोर की सिफारिशें इधर-उधर कुछ थोड़े से परिवर्तनों के साथ कार्यान्वित की जायें। जब तक कि एकीकृत करारोपण नीति न होगी, हम अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर सकेगें।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि सरकार एक उचित सर पर मूल्यों को स्थिर रखने या मूल्योंका नियन्त्रण करने में पूर्णतः असफल रही है। हमारी कोइ मूल्य नीति नहीं है और न मूल्यों का नियन्त्रण करने के लिये हमारी कोई व्यवस्था है। ऐसी स्थिति में यह उचित नहीं है कि करारोपण के ऐसे विधेयक प्रस्तुत किये जायें जिनसे उत्पादक अपना सारा बोझ उपभोक्ताओं पर लाद दे।

श्री वि० घ० देशपांडे (गुना): मैं इस अवसर पर अपने नये वित्त मंत्री महोदय को बधाई देने के लिये खड़ा हुआ हूं और बधाई इसलिये देनेके लिये खड़ा हुआ हूं कि हमारे वित्त मंत्री महोदय ने प्रथम बार अपनी सरकार का सच्चा स्वरूप जनता के सामने रखा है और उनकी सरकार किस प्रकार तानाशाही की तरफ जा रही है, उसका नग्न प्रदर्शन इस विधेयक द्वारा हमारे सामने हुआ है। लोग कहते हैं कि पूजा और दीपावली के पूर्व और निर्वाचन के पूर्व सरकार इस प्रकार के करों का प्रस्ताव ले कर सदन के सम्मुख किस प्रकार आ सकती है? मेरी समझ में उसका कारण यह है कि सरकार समझती है की वह जनता पर गोली चला कर भी चुनावों के समय उनके वोट पा सकती है और चुनाव जीतने की हिम्मत और हौसला रखती है और जब उसको ऐसा विश्वास है तो फिर कपड़े की कीमत थोड़ी बढ़ा देने से क्या होनें वाला है। साथ ही सरकार को पूंजीपतियों के भी वोट आगामी निर्वाचन में मिलने का विश्वास है और वे समझते हैं कि पूंजीपतियों की मदद से वे आगामी निर्वाचन में जीत जायेंगे और पूजा के त्योहार के समय पर यदि कुछ लोगों को कपड़ा न मिले तो उससे कुछ बहुत बनता बिगड़ता नहीं है। मुझ पर वित्त मंत्री महोदय का बहुत प्रभाव पड़ा है यह मैं स्वीकार करता हूं, प्रभाव उनके अर्थ ज्ञान का नहीं परन्तु उनकी विनोद बुद्धि का बड़ा पड़ा है। उनकी परिहास भावना बड़ी सराहनीय है। लोग जब उनसे कहते हैं कि ये आपने जो कपड़े में एक्साईज ड्यूटी (उत्पादन शुल्क) बढ़ाई है इससे कपड़े के भाव बहुत बढ़ जायेंगे और कंज्यूमर्स (उपभोक्ताओं) को कपड़े के लिये अधिक दाम देने पड़ेंगे। तो वे कहते हैं कि अरे साहब कपड़े के दाम कम हों, इसी के लिये तो हमने कपड़े का भाव बढ़ा दिया है और उनका यह जवाब मुझ को पोलिगैमी (बहु विवाह) वाले व्यक्ति का बहुपत्नी-वादी पुरुष का मालूम पडा जो कहता था कि मैं अनेकों शादियां इसलिये कर रहा हूं कि मेरा ब्रह्मचर्य बढ़े। ठीक उसी प्रकार का तर्क हमारे वित्त मंत्री महोदय दे रहे हैं कि हमने कपड़े का भाव इसलिये बढ़ाया है ताकि कपड़े का दाम बढ़ने के कारण आगे चल कर कपड़े का दाम धीरे धीरे कम होगा और मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि जख्म पर तो यह नमक छिड़कने वाली बात हुई।

अभी हमारे महान प्रजासमाजवादी लीडर श्री अशोक मेहता नें जो सोशलिस्टिक पैटर्न (समाजवादी व्यवस्था) और सोशलिज्म (समाजवाद) के बारे में जिक्र किया और उसका जो नया रूप बतला रहे थे, वे क्या कह रहे थे मुझे तो ठीक समझ में नहीं आया और वित्त मंत्री महोदय का भाषण और श्री अशोक मेहता की बातें सुन कर तो अजीब उलझन पैदा हो गयी और वह तो जटिल उलझन हो गयी। आप कहते हैं कि देशवासियों को कम कपड़ा और केवल जरूरत भर का कपड़ा ही खरीदना चाहिये, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जिस तरह से भगवान श्रीकृष्ण नें द्रोपदी का चीर खत्म होने नहीं दिया और धोती को बढ़ाते गये, क्या उसी प्रकार श्रीकृष्ण की भांति सरकार ने देश भर में इतना

कपड़ा तैयार करा दिया है कि जिसके कारण लोगों को कम कपड़े का इस्तेमाल करना शुरू करना चाहिये महात्मा गांधी ने जब देखा हमारे देशवासी बहुत कम कपड़ा इस्तेमाल करते हैं और अधिकांश नंगे रहते हैं तो उन्होंने अपने बदन से कपड़े उतार कर फेंक दिये और केवल एक लंगोटी बाधना शुरु कर दिया और वे यदि लोगों से कम कपड़ा इस्तेमाल करने के लिये कहते थे तो उनकी बात तो समझ में आने वाली थी लेकिन आपकी यह सलाह हमारे गले नहीं उतरती है ।

अभी बतलाया गया कि १५ गज कपड़ा हर व्यक्ति के पीछे इस देश में पड़ता है तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो बड़े बड़े लोग हैं क्या उनका भी औसत १५ गज का रहता है ? यहां संसद में और विधान मंडलों में जहां कि सदस्यों को नित्य नये साफ सुथरे कपड़े पहन कर आना होता है क्या उनके द्वारा पहने जाने वाले कुरतों धोतियों और पगड़ियों और दुपट्टों का पर कैपिटा एव्रेज (प्रति व्यक्ति औसत) १५ गज ही रहता है ? मैं तो समझता हूं कि १०० गज या २०० गज से कम में उनका काम नहीं चलता होगा । जब ऐसी हालत हो तब हमारे द्वारा लोगों को कम कपड़ा इस्तेमाल करने की बात मेरी समझ में नहीं आती है और यह जो आप कपड़े की एक्साइज डयूटी (उत्पादन शुल्क)में बढोतरी कर रहे हैं यह तो मुझे जनता के साथ एक बड़ा सा मखौल किया जा रहा मालूम देता है और यह जो मौपिंग अप औफ ओपरेशन किया जा रहा है इससे जो बड़े बड़े पूंजीपति और कारखानेंदार हैं उनको लाभ होने वाला है और गरीब जनता पर और अधिक भार डाला जा रहा है और इस एक्साइज डयूटी में बढ़ोतरी करने का नतीजा यह होगा कि जब हमारे गरीब देहाती आदमी कपड़ा लेने बाजार जायेंगें तो प्रतिवर्ग गज के पीछे ४ आने और ६ आनें के गज के हिसाब से कपड़े की कीमत बढ़ जायेगी । इससे कारखानेदारों का प्राफिट (लाभ) कम कैसे होगा ? प्रारम्भ में मैं जान बूझ कर इस विधेयक पर नहीं बोलना चाहता क्यों कि मेरा अनुमान था कि हमारे वित्त मंत्री बहुत बड़े पंडित और उच्चकोटि के अर्थशास्त्री हैं, यहां भी बड़े बड़े और अर्थशास्त्री पंडित बैठें हैं, वह कोई बड़ा घोर रहस्यमय वक्तव्य है जो वे दे रहे हैं और मैं उसको समझता नहीं । मैं बड़ी सूक्ष्मता से और गंभीरता से उनके वक्तव्य को सुनता रहा कि कोई ऐसी बात वह कहें जिससे इन तीन बातों में से किसी का पता लगे कि किस प्रकार से कारखानेदारों का नफा कम होने वाला है , किस प्रकार से जो यह कीमतें हैं कपड़े की वह कम होने वाली हैं, और किस प्रकार से खादी तथा दूसरे प्रकार के कपड़ों की इससे मदद होने वाली है । मैंने इन तीनों बातों में से किसी एक को नहीं देखा । मुझ को तो एक ही बात समझ में आती है । हमारे वित्त मंत्री जी कहते हैं कि हम को साढ़े सत्तरह करोड़ रुपये की आवश्यकता नहीं , वह बड़े भारी वीतरागी संन्यासी और महात्मा बैठे हैं , उनको कोई जरूरत नहीं है । तो फिर जरूरत किसे है ? लोगों को दुख: है , लोगों को क्लेश है , भाव बढ़ रहे हैं । यह भी समझा जा सकता है कि किसी प्रकार से सरकार को अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है क्योंकि एक्सपोर्ट के बढ़ने से डालर अर्निग (कमाई) होती है । मैं सोचता था कि इस तरह का कोई युक्तिवाद आयेगा , और इस तरह की कोई बात मैं सुनना चाहता था । लेकिन वह सुनने को नहीं मिला ।

हमनें अब तक जो विचार किया है , जो अनुभव किया है , वह एक ही है कि इस देश में के जनमत का हमारी सरकार की नीति पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है , जनता के साथ उसका कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं रहा , और जनता की भावना क्या है , इस का उसे ध्यान नहीं है । निर्वाचन का परिणाम क्या होगा, यह वह समझते हैं , क्योंकि उन के साथ बड़ा भारी पक्ष संगठन है , उस के बल पर वह निर्वाचन जीतेंगे । उन की समझ में यह नहीं आता है कि जनता के हृदयपर किस प्रकार से आघात होगा। पार्टी इन पावर जो है उस के अन्दर जनता की भावना का प्रत्यय नहीं है, वह नहीं जानते हैं कि भाव बढ़ने से पंच वर्षीय योजना को सफल बनाने के लिये कैसे वे जनता का सहयोग ले सकते हैं ।

आप कहते हैं कि हमारी पंचवर्षीय योजना सफल हुई है , मेरा इस पर विश्वास नहीं है क्यों कि मैं प्रत्यक्ष पाता हूं कि यहां पर कम्यूनिटी प्रोजेक्टस (सामूदायिक परियोजनायें) के विषय में, अन्न के उत्पादन के विषय में बड़े बड़े वक्तव्य होते हैं । पहले कहनें लगें कि २५ प्रतिशत अन्न का

[श्री वि० घ० देशपांडे]

उत्पादन देश में बढ़ा है, बाद में वक्तव्य आया कि ४० प्रतिशत अन्न का उत्पादन बढ़ा है कम्यूनिटी प्रोजेक्टस और नैशनल ऐक्सटेंशन ब्लाक्स (राष्ट्रीय विकास खंड) के जरिये से एस्टिमेटस कमेटी (प्राक्कलन समिति) का सदस्य होने के कारण मुझे कुछ कम्यूनिटी प्रोजेक्टस को देखने का मौका मिला है। मद्रास, मैसूर और अनेक प्रांतों में गया हूं तथा सात या आठ दिन बाद फिर जाने वाला हूं। मैं प्रत्येक स्थान पर जनता से एक ही सवाल पूछता हूं कि एक्सटेंशन सर्विस ब्लाक (विस्तार सेवा खंड) होने के पूर्व तुम्हारा अपाना उत्पादन कितना था और अब कितना बढ़ा है। मुझे सदा ही यही उत्तर मिला है कि पहले से उत्पादन कम ही हुआ होगा, बढ़ा नहीं है। परन्तु यहां के प्रतिवेदनों में यही चर्चा चलती है कि २५ प्रतिशत उत्पादन बढ़ा है और ४० प्रतिशत उत्पादन बढ़ा है। मैंने रिपोर्ट मे लिखने के लिये दिया है, मुझे पता नहीं कि दिया जायेगा या नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि कोई ऐसा ब्लाक है जिसमें एक तहसील में या एक जिले में ओवरआल प्रोडक्शन (कुल उत्पपादन) बढ़ा हो।

इसी तरह के फिगर्स और संख्याओं को लेकर कपड़े के बारे में भी यहां कहा जा रहा है कि जो कि हर एक मनुष्य के लिये जीवनोपयोगी अत्यावश्यक वस्तु है। मैं इसको बहुत महत्व नहीं देता कि पूजा का समय नजदीक आ रहा है।

श्री अलगूराय शास्त्री : (जिला आजमगढ़ पूर्व व जिला बलिया पश्चिम) : जाड़ा भी तो आने वाला है।

श्री वि० घ० देशपांडे : यह पूजा का उत्सव देश भर में होता है „महाराष्ट्र में भी होता है जहां पर दशहरा के दिन नौ दिन पूजा होने के बाद नया कपड़ा हम उपयोग में लाते हैं, बाकी प्रान्तों में भी होता है, बंगाल में तो यह बड़ा भारी त्योहार है, दीवालीं नजदीक आ रही है।

आचार्य कृपालानी : (भागलपुर व पूर्निया) : साउथ में यह सब नहीं होता है।

श्री वि० घ० देशपांडे : साउथ में भी होता है, नवरात्रि तो सब जगह होती है। मगर हिन्दुस्तान में किसी प्रान्त में यह नही होता है.....

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : (पटना पुर्व) : हिन्दुस्तान बहुत बड़ा है।

श्री वि० घ० देशपांडे : कपड़ा पहिनने का रिवाज हिन्दुस्तान के कोने कोने में है, कहीं पर भी लोग बिना वस्त्र के नहीं रहते। इस प्रकार की परिस्थिति होने के कारण मैं हाउस से यह प्रार्थना करता हूं कि वह इस पर विचार करे कि हमारे वित्त मंत्री आज भी कोई एक्स्प्लेनेशन (स्पष्टीकरण) नहीं देते हैं, वह हाउस की कोई परवाह नहीं करते हैं, किसी को पता नहीं लग रहा है कि किस कारण से यह अप्रत्यक्ष कर, इन्डाइरेक्ट टैक्सेशन, हमारे ऊपर लादा जा रहा है। मैं जानता हूं कि आपकी शक्ति प्रचंड है, और कितने भी अत्याचार हों, हमारे विरोधी भाई सरकार का विरोध करने के लिये तैयार नहीं हैं। इस का प्रमाण हमने देश भर में देख लिया है। आप ने देश को एक चुनौती दी है कि हम तुम्हारा कत्ल करेंगे, तुम पर गोलियां चलायेंगे, तुम्हारे ऊपर कर लगायेगें. अगर हिम्मत हो तो.....

†**श्री ब० स० मूर्त्ति :** (एलरू) एक औचित्य प्रश्न है। क्या गोली आदि का उल्लेख करण संगत है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रकरण संगत होने का प्रश्न औचित्य प्रश्न नहीं है।

†**श्री कामत :** (होशंगाबाद) : वे उपयुक्त कह रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री वि० घ० देशपांडे : तो हमारी सरकार नें जनता को चुनौती दी है और वह चुनौती यह है कि हम किसी भी प्रकार का भी अत्याचार तुम्हारे ऊपर करे, किसी प्रकार का भी अन्याय हम करते रहें, तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम उसका विरोध करो, हम जो जूतियां तूम्हें मारेंगे उन्हें तुम्हें चाटना होगा। वह जानते हैं कि जिस जूते से वह जनता को लात मारेंगे, उसी का चुम्बन करनें के लिये वह आयेगी। इस विश्वास के कारण सरकार और दूसरे लोग आप पर अन्याय कर रहे हैं और इसी कारण से यह कर आ रहा है, सरकार निर्वाचन के डर से नहीं .....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को अपना दृष्टिकोण इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिये कि लोग उसे अपनाने के लिये तैयार हों। संसद में भाषण का ढंग अनुरोधपूर्ण होना चाहिये।

श्री वि० घ० देशपांडे : इस प्रत्यक्ष सूचना के लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं वित्त मंत्री जी से बड़ी नम्रता से प्रार्थना करता हूं कि हम जानते हैं कि हम आप का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, हम जानते हैं कि हिन्दुस्तान की जनता आपके विरुद्ध कार्य नहीं कर सकती, इसलिये इस कारण से नहीं, और इस कारण से भी नहीं की निर्वाचन समीप आ रहा है या पूजा नजदीक आ रही है, बल्कि इस कारण कि देश के घर घर में, ग्राम ग्राम में और नगर नगर में आप दु:ख और दैन्य ले जायेंगे, इससे उसको बचाने के लिये आप यह एक्साइज डयूटी जनता पर न लादें।

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी** : (दरांग) : विधेयक का प्रस्ताव रखते हुए वित्त मंत्री ने कहा था कि इस विधेयक का प्रयोजन यह है कि उत्पादकों के अतिरिक्त लाभ ले लिये जाये। मालूम होता है कि तब से अब उस पर अब दुबारा विचार किया गया है और अब यह तर्क रखा जाता है कि उपभोग में वृद्धि हुई है जो उत्पादन से अधिक है और इसलिये इस कर द्वारा उपभोग सीमित करना चाहिये।

श्री मुरारका ने बताया है कि वह उद्देश्य पूरा न होगा बल्कि कर उपभोक्ताओं पर आगे बढ़ा दिया जायेगा वित्त मंत्री या और भी कोई इस सभा में यह सिद्ध नहीं कर सकें हैं कि कर का भार उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा। यदि वह उपभोक्ताओं पर डाल दिया जाता है तो यह स्पष्ट है कि उपभोग में कमी न होगी, यदि वह नहीं डाला जाता, तब भी कोई असर नहीं होगा। उस दशा में यह स्पष्ट है कि विधेयक का प्रयोजन पूरा नहीं होगा। अत: हमें बड़ा दु:ख होता है कि आखिर यह कर क्यों लगाया गया है।

यह कहा जाता है कि उपभोग बढ़ गया है किन्तु किस वर्ग का? १९५३ में मजूरी देशनांक १५१ था १९५४–५५ में भी वह १५१ ही है। इससे यह दिखायी पड़ता है कि मजूरी में वृद्धि नहीं हुई है। अब यह स्पष्ट है कि यदि कीमतें बढ़ती है; तो ऐसी दशा में क्रय-शक्ति घटती है और उस हद तक रहन सहन का स्तर कम करना पड़ेगा। क्या सरकार यह चाहती है कि योजना का खर्च बढ़ता जाये और रहन सहन का स्तर कम होता जाये? आज यही प्रश्न सम्मुख है। क्रय-शक्ति मजूरी में वृद्धि के कारण नहीं बल्कि नये उद्योगों की स्थापना के कारण बढ़ गयी है। चूंकि मजूरी का स्तर वही है, यह हो सकता है कि एक आदमी के जगह देढ़ आदमी आज काम पर रखे गये हों। यह बहुत ठीक नहीं कहा जा सकता क्योंकि कारखाने में और उद्योग में लगाये गये कर्मचारियों की संख्या से यह नहीं दिखायी पड़ता कि कोई अधिक वृद्धि हुई है। अत: देश की क्रय-शक्ति में वृद्धि मजूरी के विस्तार के कारण नहीं हुई है। अत: मूल्य बढ़ाने से क्रय-शक्ति कम हो जाती है।

मैं अभी यह हिसाब लगा रहा था कि इस नीति का क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस उत्पादन शुल्क के कारण, कृषि-श्रमिक की कपड़ा खरीदने की शक्ति २० प्रतिशत कम हो जायेगी।

†**श्री कृष्णमाचारी** : यह बात कैसे मानी जा सकती है कि प्रति गज़ एक आने की वृद्धि से क्रय-शक्ति ५० प्रतिशत कम हो जायेगी?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी** : मैंने चार प्रतिगज़ की दर से हिसाब लगाया है, क्योंकि सरकार इतना शुल्क लगाने की शक्ति ले रही है। इसी तरह औद्योगिक श्रमिकों की कपड़ा खरीदने की शक्ति १० प्रतिशत कम हो जायेगी। साधारण कृषकों के मामले में, क्रय-शक्ति लगभग १२ प्रतिशत कम हो जायेगी। वास्तव में सब लोग एक जितना कपड़ा नहीं खरीदते । जो गरीब हैं, वह १६·८ गज़ से बहुत कम खरीदते हैं। इस विधेयक के पारित होने के बाद, उन की क्रय-शक्ति और भी कम हो जायेगी।

मेरे विचार में उत्पादन सम्बन्धी योजना अच्छी तरह सोच विचार कर के नहीं बनाई गई। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में योजना बनाने वालों को समय के अनुसार लोगों का जीवन-स्तर निश्चित कर देना चाहिये।

यह स्पष्ट है कि अतिरिक्त लाभ पर अतिरिक्त लाभ कर भी लगाना चाहिये। मेंरी समझ में यह नहीं आता कि जब इस बात की आशंका है की अन्ततोगत्वा उपभोक्ता पर प्रभाव पड़ेगा तो अभी तक यह चीज़ चल क्यों रही है? अतः मेरा विनम्र निवेदन यह है कि आगामी पांच वर्षों में न केवल कपड़े का ही अपितु सारी वस्तुओं का मूल्य बढ़ जायेगा। इस कारण योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में, जिससें देश के उत्पादन में वृद्धि होती है, मूल्यों में स्थिरता लाने की कोई प्रणाली अपनाई जानी चाहिये। हमको इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाता कि मूल्यों की स्थिरता के लिये कौन सा तंत्र काम में लाया जा रहा है। मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि ऐसा किये बिना लोगों का जीवन-स्तर ऊंचा नहीं उठाया जा सकता।

अब कपड़ा और खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ गये हैं। खाद्यान्न का मूल्य बढ़ते ही आयात करने की सोची गई किन्तु इस प्रकार की चीजों से यह समस्या सुलझाई नहीं जा सकती। इस सबका प्रभाव तो अन्त में जाकर ग़रीबों पर ही पड़ता है। प्रथम योजना काल में जहां स्थिति यह थी कि किसी निश्चित मूल्य पर कोई व्यक्ति जितना भी चाहता कपड़ा खरीद सकता था, अब कपड़े का मूल्य बढ़ चुका है और सरकार अभी कुछ और बढ़ाने के लिये कहती है। अब लोगों को वह संरक्षण भी नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं क्रय-शक्ति न रहने के कारण यों भी कपड़ा खरीदना कठिन हो गया है। इससे देश की उन्नति को धक्का पहुंचता है।

अतः वित्त मंत्री से मेरा निवेदन यह है कि वह इस बात का आश्वासन दे कि जिससे जन साधारण को उचित मूल्य पर कपड़ा मिल सके और यदि ऐसा न हुआ तो आप यह भी जान लीजिये कि आपकी योजना भी नहीं चल सकेगी।

मज़दूरी बढ़ाने के बारे में पहले से ही मांग की जा रही है। यह मांग करने से पूर्व करारोपण की बात नहीं की गई थी। अब यदि आप क्रय-शक्ति पर भी कर लगायेंगे तो श्रमजीवी वर्ग अधिक मज़दूरी मांगने का हक़दार हो जाता है और ऐसी दशा में आपकी योजना का क्या होगा? क्या आप फिर से गणना करायेंगे और नये आंकड़े रखेंगे? इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

आय-व्ययक पर चर्चा के दौरान में मैं यह बात कह चुका हूं कि सारे पदार्थों के मूल्यों में स्थिरता रोकना सम्भव नहीं है, किन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में आपको अनाजों, दालों खाने के तेलों तथा कपड़े के मूल्य में तो स्थिरता लानी ही चाहिये। कपड़े में आप धोती और साड़ी और ऐसा कपड़ा आना चाहिये जिसको जन-साधारण पहनता हो। मुझे यह अनुभव हुआ है कि सरकार की कपड़े के बारे में कोई भी नीति नहीं है और मूल्यों को बढ़ने-घटने से रोकने तथा एक स्तर विशेष पर जीवन-स्तर को रखने के बारे में सरकार की कोई योजना नहीं है।

नियंत्रित अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में इस बात का आश्वासन किया गया था, किन्तु हमारे यहां आज नियंत्रित अर्थव्यवस्था है ही नहीं।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : हम कंट्रोल नहीं चाहते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी** : मेरी महिला मित्र का कथन है कि "हम कंट्रोल नहीं चाहते" क्या वह यह चाहती हैं कि लोग भूखों मरें और नंगे रहें? यदि मूल्य बढ़ गये और क्रय-शक्ति ही न रही तो फिर क्या होगा? मई, १९५५ से मई, १९५६ में देशनांक लगभग दुगने हो गये हैं। क्या सरकार इस चीज़ को रोक सकी है? बंगाल सरकार भी हाल ही में इस प्रयत्न में असफल रही है। सरकार पांच-छः जीवनोपयोगी पदार्थों के बारे में एक योजना बद्ध मूल्य नीति क्यों नहीं बनाती? सामाजिक जीवन की दृष्टि से कपड़ा भी आवश्यक पदार्थों में से एक है।

मैं वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं कि श्रमजीवी वर्ग की अवस्था बड़ी बुरी हो जायेगी। अतः उनको संरक्षण करने की आवश्यकता है। मैं निवेदन करता हूं कि जो विधान इस समय रखा गया है उससे उनका संरक्षण नहीं होगा और उनकी कठिनाइयां और भी बढ़ जायेंगी। अतः मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस मामले पर पुनः विचार करेंगे।

†**श्रीमती सुषमा सेन** (भागलपुर-दक्षिण) : मेरे पूर्ववक्ता ने श्रम जीवी वर्ग की ओर से माननीय वित्त मंत्री से निवेदन किया है और मैं इस देश की स्त्रियों की ओर से निवेदन करती हूं कि इस प्रकार का विधान स्त्रियों के लिये हानिकर सिद्ध होगा।

खाने के तेल पर उत्पादन शुल्क बढ़ जाने से गृहिणी को परिवार चलाने में पहले ही बड़ी कठिनाई होती थी, अब आप कपड़े पर भी प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं। विकास योजनाओं से पहले बच्चों के लिये कपड़ों और खाने का प्रबन्ध करना अधिक आवश्यक है। हम देखते हैं कि प्रतिव्यक्ति कपड़े की मांग १९३९–४० से लेकर १९५० तक गिरती ही चली गई। १९५१ से जाकर मांग में वृद्धि होनी शुरू हुई है। इसका कारण यह था कि एक साड़ी खरीद पाना कठिन था। अतः मेरा निवेदन यह है कि यदि उत्पादन शुल्क २ पैसा या १ आना प्रति रुपया के हिसाब से और बढ़ गया तो स्त्रियों के लिये साड़ी खरीद पाना और भी कठिन हो जायेगा। इसलिये मध्यम और मोटे कपड़े का दाम नहीं बढ़ाया जाना चाहिये। बारीक और बहुत बारीक कपड़े पर भी शुल्क न बढ़ाने के बारे में मैं श्री मुरारका से सहमत हूं। हमें न केवल मिल के बने कपड़े का ही अपितु हथकरघे के बने कपड़े और खादी का उत्पादन भी बढ़ाना है। जिससे हम अतिरिक्त कपड़े का निर्यात कर सकें।

अन्य लोगों के साथ मैं भी माननीय वित्त मंत्री से यही निवेदन करूंगी कि अब दशहरा और दीवाली आ रही है, इस कारण गृहिणियों को लगभग वर्ष भर के लिये कपड़ा खरीदना होगा। यदि इस समय शुल्क बढ़ा दिया गया तो उन्हें बड़ी कठिनाई उठानी पड़ेगी।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : हमारे भूतपूर्व वाणिज्य और उद्योग मंत्री अब वित्त मंत्री के रूप में हमारे सम्मुख आये हैं। यह पद उनको वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में अपूर्व सफलता प्राप्त करने के परिणामस्वरूप ही दिया गया है। किन्तु खेद है सभा में उनका जितना अभिनन्दन होना चाहिये था वह नहीं हुआ।

वैसे तो कोई भी कलाकार, चाहे वह पुरुष हो अथवा महिला, कहीं जाये तो उसकी प्रशंसा की जाती है किन्तु हमारे नये वित्त मंत्री ने यह जो विधेयक रखा है उसका किसी भी सदस्य ने स्वागत नहीं किया है। मैं भी इस विधेयक के विरोधियों में से एक हूं।

वास्तव में दशहरा और दीवाली के त्यौहार पर तो उतने महंगे दामों में कपड़ा खरीदना बड़ा कठिन होगा। इससे पता लगता है कि जनता में इस बारे में क्षोभ फैल रहा है। एक तो यों ही मूल्य बराबर बढ़ते जा रहे हैं और दूसरे सरकार लोगों के सिरों पर और भी बोझा लादती जा रही है। कपड़े का मूल्य बढ़ रहा है और सरकार मूल्यों को बढ़ने से रोकने के बजाय और भी शुल्क बढ़ाती जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती तारकेशवरी सिन्हा]

आपको स्मरण होगा कि भूतपूर्व मंत्री ने पिछली बार जब कपड़े पर उत्पादन शुल्क लगाया था तो उसका अधिकांश भार बेचारे उन ग़रीबों पर ही पड़ा था जिन्होंने होली के लिये कपड़ा खरीदा था। इस शुल्क के बारे में देश में बड़ी हाय-तोबा मची और सरकार को बड़ा भला-बुरा कहा गया क्यों कि यह उत्पादन शुल्क होली के अवसर पर लगाया गया था और उसके बाद तत्काल ही वापस ले लिया गया। इसका तात्पर्य यह समझा गया कि सरकार उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की सहायता करना चाहती है न कि गरीब जनता की। अतः मेरा निवेदन है कि इस प्रकारके विधान के लिये यह उपयुक्त समय नहीं है।

मैं यह बात नहीं समझ पाती कि मिल मालिकों अथवा उद्योगपतियों द्वारा जो अतिरिक्त लाभ कमाया जा रहा है उसमें आप किस प्रकार कटौती करेंगे ? मैं उनके बराबर अर्थशास्त्र तो नहीं जानती किन्तु अर्थशास्त्र का इतना प्रारम्भिक ज्ञान तो मुझे है कि लागत और मूल्य में कोई परिवर्तन किये बिना जनता को इससे कोई सहायता नहीं मिल सकती। अब उन्होंने नया कर लगा दिया है किन्तु वह यह भूल जाते हैं कि लागत के ब्योरे में परिवर्तन करके ही मूल्य घटाया-बढ़ाया जा सकता है। अतः लागत और मूल्य में संतुलन स्थापित करने के लिये उन्हें विधान रखना चाहिये था जब कि उन्होंने जनता पर और भी अधिक भार डाल दिया। वह भली भांति जानते हैं कि कपड़े की मांग में वृद्धि क्रय-शक्ति बढ़ जाने के कारण नहीं अपितु क्रय-शक्ति का विस्तार हो जाने के कारण हुई है। हमारे यहां आय में वृद्धि के साथ मांग में वृद्धि नहीं होती। हमारे यहां जन-साधारण की आर्थिक दशा अभी भी वैसी है अर्थात जीवन-निर्वाह तक हो जाना कठिन हो जाता है। अतः अतिरिक्त शुल्क लगाकर साधारण व्यक्ति की क्रय-शक्ति को कम कर देना कहां का न्याय है जब कि बेचारों की क्रय-शक्ति यों भी होती ही कितनी है ? अतः इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री को सभा की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिये।

इस प्रकार के विधान से १७·५ करोड़ रुपये की आय होगी। किन्तु क्या यह शुल्क लगाना उचित है? पिछले आय-व्ययक के बारे में भी पूछे जाने पर मैंने यही कहा था कि यह आय-व्ययक ऐसा है जिस पर हमें प्रतीक्षा करके देखना होगा। अब हम देखते हैं कि उत्पादन शुल्क कितना अधिक बढ़ा दिया गया है। सभा में जो आय-व्ययक प्रस्तुत किया गया था उसमें केवल ३४·१५ करोड़ रुपये के करों का उल्लेख था। दूसरी ओर इस नये कर से १७·५ करोड़ रुपये की आय सरकार को और होगी। मुझे तो नये मंत्री कर वसूल करने में बड़े निर्दय जान पड़ते है।

मेरी समझ मे नहीं आता कि वह ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं कि मूल्यों के बढ़ने का भार उपभोक्ता पर नहीं पड़ेगा। अर्थ शास्त्र का मूल सिद्धांत यह ह कि जब तक मूल्य बहुत अधिक ना गिर जायें तब तक अप्रत्यक्ष कर का भार उपभोक्ता पर ही पड़ता है। मूलभूत पदार्थों की मांग में लोच का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता उन्होंने जो सिद्धांत बताया वह कपड़ा और खाद्यान्न के बारे में लागू नहीं होता यद्यपि माननीय मंत्री ने कपड़े की मांग में वृद्धि होंने के कारण यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि इस की मांग घटती बढ़ती रहती है, किन्तु मेरा अपना विचार तो यह है कि उसकी मांग आनम्य[1] नहीं होती वैयक्तिक मांग में कोई वृद्धि नहीं हुई है। अतः कपड़ा और खाद्यान्न की मांग में कोई आनम्यता नहीं होती। दशहरा और दीवाली में मूल्य बढ़ जाने का कारण मांग और पूर्ति का सिद्धांत लागू होना है। उत्पत्ति ह्रास नियम का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। मांग बढ़ जाने पर मूल्य बढ़ जाता है जैसा कि हम दशहरे या दीवाली के त्यौहार पर प्रत्यक्ष देखते हैं। कुछ कपड़ा लोगों को सामाजिक अथवा धार्मिक दृष्टिकोण से खरीदना ही पड़ता है। मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय मंत्री ने इस प्रकार का विधान क्यों प्रस्तुत किया है। उन्हे सभा में इस बात को स्वीकार करना चाहिये कि इस प्रकार का विधान प्रस्तुत करने का उनका उद्देश्य राजस्व वसूल करना है। १७·५ करोड़ रुपये इस प्रकार एकत्र कर लेने का यह प्रथम अवसर है। इससे उनका कुछ महत्व भले ही बढ़ जाये किन्तु देश की हानि ही होगी।

---

1. Flexible

जनता का सहयोग संसाधनों के बटवारे अथवा वित्तीय क्षमता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आप जनता के सम्मुख जाकर बता सकते हैं कि वित्त की कमी के कारण हम योजना में रखी गई योजनाओं को कार्यान्वित नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि भारतीय इतने अतार्किक नहीं कि सरकार अथवा देश की कमियों को समझ न सकें। अतः मैं यही समझती हूं कि अतिरिक्त राजस्व वसूल करने के बजाय जनता का सहयोग प्राप्त करना कहीं अधिक महत्व रखता है। हमारे देश की जनता में अभी उतना उत्साह नहीं है जितना कि होना चाहिये। हमें तो योजना को कार्यान्वित करने के लिये उसका सहयोग प्राप्त करना होगा। मैं समझती हूं कि माननीय वित्त मंत्री इस मामले में इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक को वापस ले लेंगे अन्यथा उन्होंने जो कुछ किया है वह सब चौपट हो जायेगा। जनता के प्रतिनिधि होने के कारण अब उनकी भावनाएं हम लोगों के द्वारा समझ सकते हैं। आपको तो लोगों का जीवन-स्तर ऊंचा उठाने का प्रयत्न करना चाहिये। न कि असामान्य उपभोग करने के लिये विवश करना चाहिये। अतः मैं उनसे पुनः निवेदन करती हूं कि लागत और मूल्य में संबंध स्थापित करना चाहिये और इस प्रकार का विधेयक नहीं प्रस्तुत करना चाहिये।

†**श्री भागवत झा आजाद** : (पूर्निया व संथाल परगना) : इस विधेयक का उद्देश्य अच्छा होने के कारण मैं इसका समर्थन करता हूं। किन्तु उपबन्धों का मैं विरोध करता हूं क्यों कि उससे वित्त मंत्री के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकेगी।

†**रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : क्या बढ़िया समर्थन है।

†**श्री भागवत झा आजाद** : इस प्रकार के विधान से मिल मालिकों को अप्रत्यक्ष रूप से सहायता मिलेगी। यह शुल्क निश्चय ही गरीबों को देना पड़ेगा। इस बारे में मैं माननीय मंत्री से स्पष्ट उत्तर चाहूंगा। यदि वह इस बात का आश्वासन दे कि इसका भार उपभोक्ता पर नहीं पड़ेगा तो हम मिल मालिकों की अनिश्चितताओं को रोकने में उनकी सहायता करेंगे और इस विधेयक का समर्थन करेंगे जिससे यह विधेयक अधिनियम बन जाये।

मेरा तो विचार यह है कि अन्ततोगत्वा सारा भार उपभोक्ता पर ही पड़ेगा। योजना के लिये वित्त व्यवस्था करने में अपना पूर्ण सहयोग देने के लिये हम तैयार हैं। हम लोगों से जरूर कहेंगे कि वे इसके लिये अपना सहयोग दें।

माननीय मंत्री १०–२० पृष्ठों में तथ्य और आंकड़े दे देंगे जिसे न तो हम ही समझ सकेंगे और न जनता ही। इसलिये इससे कोई लाभ नहीं होगा।

लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने की बात कही जाती है। हमारे यहां ८० प्रतिशत से अधिक लोग किसान हैं। आप अमरीका से आयात करके खाद्यान्नों का मूल्य घटाने जा रहे हैं, मेरी समझ में यह बात नहीं आती। मैं जानता हूं कि मांग और पूर्ति का सिद्धांत लागू होने से उत्पादन शुल्क लगाये बिना भी मूल्य बढ़ जायेगा क्योंकि मांग अधिक है और पूर्ति कम। भूतपूर्व वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने स्वयं ही कहा है कि वस्तुओं के मूल्य बढ़ेंगे, वह इसमें कुछ नहीं कर सकते। अतः हम तो समर्थन तभी कर सकते हैं जब कि वह हमें इस बात का आश्वासन दें कि इससे हम लाभ को समाप्त कर देंगे। हम तो उनसे केवल इसी प्रश्न का निश्चित उत्तर चाहते हैं कि इसका भार उपभोक्ता पर नहीं पड़ेगा किन्तु मैं ज़ानता हूं कि वह एसा नहीं कह सकते। अतः उन्हे विधेयक के उपबन्धों पर पुनर्विचार करना चाहिये। हमें तो प्रसन्नता होगी यदि वह यह स्वीकार कर लें कि इसका ५०–६० प्रतिशत भार उपभोक्ता पर पड़ेगा और ४० प्रतिशत उद्योग पर। यदि ऐसा हो तो मैं योजना को सफल बनाने के लिये जनता से कह सकता हूं कि वह पूर्ण सहयोग दे क्योंकि हमारे मंत्री विदेशों के सामने वित्त के लिये हाथ नहीं फैलाना चाहते। मैं उनसे कह दूंगा कि हमें कपड़े का उपभोग कम कर देना चाहिये। इससे भी काम नहीं चल सकता। क्योंकि जब वह वाणिज्य और उद्योग मंत्री थे तब २१

†मूल अंग्रेजी में

[श्री भागवत झा आजाद]

गज कपड़ा प्रति व्यक्ति दे रहे थे और अब १५ गज से भी कम के लिये कह रहे हैं। लाभ को समाप्त करने का उद्देश्य तो प्रशंसनीय है। अतिरिक्त लाभ कर हमारे वित्त मंत्री लगाना नहीं चाहेंगे क्योंकि उसका प्रभाव अन्य उद्योगों तक पर पड़ेगा। चूंकि गरीबों को और अधिक कठिनाइयों का सामना करना होगा इस कारण हम इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकते।

†**एक माननीय सदस्य** : किन्तु आपने कहा कि आप विधेयक का समर्थन कर रहे हैं।

†**श्री भागवत झा आजाद** : आप परिहास समझ नहीं सके। कम से कम एक बार मुझे और कहने दीजिये कि मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। फिर उन्होंने समय भी कितना बढ़िया चुना है। उन्होंने यह बात स्वयं ही कही कि दशहरा के कारण कपड़े की मांग अधिक होगी। यदि उपकर ८ आने भी हुआ तो मुनाफाखोर कपड़े का मूल्य उससे कहीं अधिक वसूल करेंगे। इस कारण मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे संक्षेप में ही अपनी बातें कहने का प्रयास करें। इस समय तक सभी प्रकार की बातें कही जा चुकी हैं। और अब हमारे पास कम समय शेष बचा है। अतः प्रत्येक सदस्य को १० मिनट के अन्दर ही अपना भाषण समाप्त कर देना चाहिये।

†**श्री थानू पिल्ले** : (तिरुनेलवेली) : मैं नये वित्त मंत्री महोदय को बधाई देने का अवसर देख रहा था। किन्तु उन्होंने यह पहला विधेयक ही ऐसा रखा है कि इसे पचाना कठिन हो रहा है। कदाचित् हथकरघा उद्योग के लियें यह विधेयक कुछ लाभदायक सिद्ध हो सके। परन्तु इस समय उपभोक्ताओं को अपने आय-व्ययक का सन्तुलन करने में बड़ी कठिनाई हो रही है। यह कहा गया है कि हमने कपड़े की बढ़ती हुई कीमतों को देखकर यह उपकर लगाया है ताकि उससे होने वाले अधिक लाभ को रोका जा सके। परन्तु हुआ क्या है। इससे कपड़े के मूल्य और बढ़ गये ह। अब अगर सरकार इस उपकर से होने वाली १७$\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये की आय को हथकरघा उद्योग में छूट देने अथवा सहायता देने के लिये प्रयोग में लाये तब तो बात ठीक है। क्योंकि इससे कुछ लोगों को सहायता मिल सकेगी। वरना यह उपभोक्ताओं पर बड़ा अत्याचार होगा। यह एक प्रकार का दिन दहाड़े डाका मारना होगा।

आज खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ रहे हैं। चावल जो पहले २० रुपये मन मिलता था अब ५६ रुपये मन मिलने लगा है। कपड़ा भी तेज हो रहा है। हालांकि मध्यम प्रकार की कपास के मूल्य में केवल १ प्रतिशत ही वृद्धि हुई है परन्तु मिल के कपड़े में ४० प्रतिशत वृद्धि हो गई है। इस प्रकार मिल मालिकों तथा कपड़ा व्यापारियों को इस अवसर का अनुचित लाभ उठाने का मौका मिल गया है। वे कहते हैं क्या करें ? तुम्हारी सरकार ने ही ६ आना प्रति गज भाव बढ़ा दिया है। भाव न महेंगा हो तो क्या हो। इस प्रकार मनमानी कीमतें बढ़ा कर उन्हें और अमीर बनने का सुनहरा मौका मिल गया है। वे लाखों का लाभ उठा रहे हैं। अतः मेरा यह निवेदन है कि यह विधेयक तभी पारित किया जाये जब सरकार इस उपकर की १७$\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये की आय का हथकरघा उद्योग में छूट देने के लिये प्रयोग करना चाहती हो।

†**श्री शं० शां० मोरे** : मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वित्त मंत्री ने निर्वाचन प्रारम्भ होने के ऐन मौके पर ऐसा विधेयक क्यों प्रस्तुत किया है ? उन्होंने इस के उद्देश्यों में यह कहा है कि वह इस विधेयक द्वारा अतिरिक्त लाभ को अपनी ओर खींचना चाहते हैं। किन्तु उन्होंने सदन में जो कुछ कहा है उससे मुझे यह एक बहुप्रयोजनीय विधेयक प्रतीत देता है। वह इसके द्वारा शायद कपड़े की खपत घटाना भी चाहते हैं। किन्तु मैं उनसे पूछना

---

†मूल अंग्रेजी में

चाहता हूं कि क्या यह उद्देश्य पंच वर्षीय योजना के उदेश्यों के अनुकूल हैं ? क्या लोगों के रहन सहन का स्तर इसी प्रकार बढ़ाया जायेगा ? आज कपड़े की प्रति व्यक्ति खपत १५·९ गज है। हमारे यहां महाराष्ट्र में यह कम से कम २० गज होनी चाहिये। इसी प्रकार पंजाब में जहां अधिकांश लोग पगड़ियां पहनते हैं उनके लिये कपड़े की खपत कम करना उनके सामाजिक स्तर पर चोट करने के समान है। मैं वित्त मंत्री से पूछता हूं कि वह किस जाति विशेष तथा देश के किस भाग में कपड़े की खपत कम करना चाहते हैं। कौन इतना अधिक कपड़ा प्रयोग कर रहा है कि जिससे देश को हानि पहुंचने का भय पैदा हो गया है ? यह सब भार गरीबों पर ही पड़ेगा। अमीरों पर इस विधेयक का कुछ प्रभाव नहीं पड़ सकता है।

दूसरी ओर हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि अगर मुद्रा स्फीति बढ़ती गई तो उत्पादक लोग इसका फायदा उठाकर कपड़े का दाम बढ़ा देंगे और इस प्रकार वे स्वयं वित्त मंत्री का कार्य करने लगेंगे। वे मूल्यों के द्वारा लोगों को मनमाने स्तर पर लाते रहेंगे। क्योंकि कोई भी मिल मालिक धोती की कीमत ६ रुपये से८ रुपये बढ़ा कर अपने आप खपत कम करवा सकता है।

हमारा वास्तविक उद्देश्य जीवन स्तर को ऊंचा करना होना चाहिये। मेरा व्यक्तिगत रूप से यह विचार है कि जब तक हम उन लोगों को मनमाने ढंग से कीमतें बढ़ाने देंगे तब तक हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है। अतः हमें सम्पूर्ण कपड़ा उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर लेना चाहिये और यदि यह न हो सके तो यह सारा क्षेत्र सहकारी संस्थाओं को सौंप दिया जाये। क्योंकि उसमें लाभ का इतना उद्देश्य नहीं रहता है। और फिर यदि कुछ लाभ हुआ भी तो वह सरकार के पास ही आयेगा और सरकार उसका अन्य उपयोगी कार्यों में प्रयोग कर सकती है।

मेरा यह विचार है कि हमारी वित्तीय नीति तथा कर नीति के कारण ही हमारी प्रगति में बाधाएं पड़ रही हैं। इसीलिये हम चीन के समान शीघ्रता से उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। और कदाचित इसी कारण हमारे देश के लोगों मे उत्साह भी कम है। जब कभी भी सामान्य आदमी के पास परिश्रम के पश्चात कुछ पैसा आता है, हमारी सरकार अप्रत्यक्ष करों द्वारा उसकी जेब में खनकने वाले अतिरिक्त पैसों को उड़ाने का विचार करने लगती है। उसे बारबार यही अनुभव होता है कि देश की उन्नति के लिये सब से पहले उसी को निशाना बनाया जाए। क्या आप इसी प्रकार सामान्य व्यक्ति की प्रगति को रोक कर कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते हैं ? क्या इसी का नाम विकास है ?

खैर, चाहें कुछ भी हो इस विधेयक द्वारा सरकार ने आगामी चुनावों में विरोधी दलों को कांग्रेस के विरुद्ध प्रचार करने का एक अच्छा साधन दे दिया है। किन्तु मैं इसको दलों की दृष्टि से न देख कर समूचे देश की दृष्टि से देख रहा हूं। इसलिय मैं वित्त मंत्री महोदय से अपील करता हूं कि वह उपभोक्ताओं की भलाई में इस विधेयक को वापस ले लें। अन्यथा सब लोग यह कहेंगे कि यह सभा केवल पूंजीपतियों के हितों को पुष्ट करनी वाली रबड़ की मुहर मात्र है।

मैं वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं कि दशहरा, दीवाली और संक्रांति के इस अवसर पर इस प्रकार का विधेयक रखना सर्वथा अनुचित है। निश्चय ही यह एक अच्छी नीति नहीं है। अतः प्रत्येक दृष्टि से देखने पर मैं यही कहूंगा कि इस विधेयक को वापस ले लेना चाहिये।

†**श्री व० बा० गांधी** : (बम्बई नगर—उत्तर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह विधेयक कपड़ा व्यापार में बिचोलियों के अतिरिक्त लाभों को खींचना चाहता है। इससमय इस की बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि आजकल निरन्तर मूल्य बढ़ते जा रहे हैं और इस प्रकार इन बिचोलियों को बड़ा लाभ हो रहा है।

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में यह भी कहा है कि इसके द्वारा कदाचित वह मूल्यों का भी थोड़ा बहुत नियंत्रण कर सकें। किन्तु मेरे विचार में इस विधेयक से यह आशा करना एक बहुत बड़ी आशा करना होगा।

[श्री व० बा० गांधी]

हम सबको पता है कि कपड़े की कीमत दो कारणों से बढ़ती है। एक तो यह कि लोगों के पास कपड़ा खरीदने के लिये बहुत पैसा हो और दूसरे जब हम उत्पादन न बढ़ा सकें। और क्योंकि आज हम कुछ योजनाओं में बंधे होने के कारण उत्पादन नहीं बढ़ा सकते हैं, अत : हमें इन बढ़ती हुई कीमतों को मजबूरी में स्वीकार करना ही होगा।

अब सरकार केवल मुद्रा की मात्रा का विनियमन मात्र कर सकती है। अथवा वह सीमित मात्रा में कपड़ा उत्पादन करने की नीति को बदल सकती है। सरकार कीमतों के नियंत्रण के लिये कई नीतियाँ अपना सकती है। वह कपड़े पर कंट्रोल लगा सकती है, उस पर अतिरिक्त लाभ कर लगा सकती है, आदि, किन्तु इस विधेयक में उसने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा हैं। इसके लिये उसे सभा में एक पृथक् विधेयक रखना पड़ेगा। यह विधेयक बड़ा सीमित है।

हमें यह देखना है कि क्या यह विधेयक अपने उस सीमित उद्देश्य में भी सफल होगा अथवा नहीं अथवा कहां तक सफल होगा ? हमारे यहां कीमतें बड़ी आसानी से बढ़-घट सकती हैं। अत: जब सरकार यह उपकर लगायेगी तो बिचोलिये इस स्थिति का लाभ उठाकर एक दम कीमते बढ़ा देगें। सरकार को तो यह वद्धि शुल्क बाद में मिलेगा। उपभोक्ताओं को पहले ही इस वृद्धि का शिकार बनना पड़ेगा। और इस प्रकार इन बिचोलियों को एक घना लाभ हो जायेगा। फिर यह भी निश्तित बात है कि मिल मालिक भी इस उपकर का अधिकांश भार उपभोक्ताओं पर डालने का प्रयास करेंगे। किन्तु इन सब के बावजूद भी मैं यह समझता हूं कि इस विधेयक की बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि कीमतों को बढ़ाने की मात्रा उपभोक्ता के रवैये पर निर्भर है। अत: जहां से आगे मूल्य देने के लिये वह तैयार नहीं होगा वहीं पर कीमतें निश्चित होंगी। इस लिये सरकार को इस में घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि हम इस प्रकार के उपायों का क्यों न प्रयोग करें और आज की स्थिति में इसकी बड़ी आवश्यकता है। अत: मैं इसका समर्थन करता हूं।

†**गृह-कार्य तथा भारी उद्योग मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : मैं इस चर्चा के दौरान में बोलने के लिये सभा से क्षमाप्रार्थी हूं। क्षमा मांगने के दो कारण हैं : पहला यह हैं कि मुझे ऐसे विषय पर जिससे मेरा कोई संबंध नहीं है भाषण नहीं देना चाहिये। दूसरे, जब माननीय सदस्य गरम भाषण दे रहे थे मैं यहां नहीं था तथा नहीं जानता कि अब तक क्या कहा गया है। परन्तु कुछ मुख्य बाते हैं जिनके संबंध में माननीय सदस्यों को बताना उचित समझता हूं।

कपड़े की वर्तमान स्थिति से लगभग सभी परिचित हैं। हम जानते हैं कि कुछ महीनों से उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। जुलाई में सभी वर्षों से अधिक उत्पादन हुआ है। उत्पादन बढ़ने पर भी शीघ्रता से स्टॉक कम होते चले जा रहे है। मिलों के पास पहले जितना स्टॉक रहता था अब नहीं है। अब उनके पास एक पखवाड़े से अधिक का उत्पादन स्टाक में नहीं रहता। अन्यथा उनके पास कम से कम एक महीने से अधिक का उत्पादन स्टाक में रहता था।

कपड़े की प्रति व्यक्ति खपत भी बढ़ गई है। यह प्रति व्यक्ति १६·८ गज़ हो गई है। यह तो संतोष की बात है क्योंकि हम सभी जनता का जीवन स्तर बढ़ाना चाहते हैं तथा यह उचित भी है कि वह कपड़ा तथा अन्य वस्तुओं का अधिक उपभोग करे।

अब प्रश्न यह है कि पूर्ति से मांग अधिक हो गई है तथा इस समस्या को किस प्रकार सुलझाया जाये। एक दम कपड़े का उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता है। उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री जो अब वित्त मंत्री हैं, न देश का कपड़े का उत्पादन बढ़ाने के कई उपाय किये हैं। परन्तु इसमें कुछ समय लगेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

प्रश्न यही रह जाता है कि मांग से पूर्ति कम है तथा कपड़े के व्यापारी अधिक लाभ के साथ कपड़े को बेच रहे हैं, तब स्थिति को ठीक करने के लिये क्या कार्यवाही करनी चाहिये ? दो और बातों को याद रखना चाहिये। एक तो यह है कि देश में कपड़े के मूल्य अधिक हो जाने के कारण, निर्माता कपड़े को विदेशों में नहीं भेज सकते हैं जब कि विदेशी मुद्रा के लिये निर्यात करना आवश्यक है। हमारी योजना तभी सफल हो सकती है जब कि उसे पूरा करने के लिये हमारे पास आवश्यक मशीनें तथा संयंत्र आयात करने हेतु न्यूनतम आवश्यक विदेशी मुद्रा हो। हम हाथ करघे के कपड़े का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तथा अधिक संख्या में लोगों को रोजगार दिलाना चाहते हैं। इसलिये यदि कपड़े के भाव कुछ अधिक हो जाते हैं तो इससे एक यह भी लाभ होगा। हमें कपड़े का विदेशों को निर्यात करने की आशा करनी चाहिये तथा तभी हमें विदेशी मुद्रा से कुछ प्राप्त हो सकेगा।

इसके अतिरिक्त अधिक संख्या में लोग हथकरघों में लगाये जा सकते हैं, क्योंकि मिल के कपड़े तथा हथकरघे के कपड़े के मूल्यों का अन्तर आज की अपेक्षा और भी बढ़ेगा। इसलिये यदि कपड़े के मूल्य में थोड़ी वृद्धि भी हुई तो इसके परिणाम सर्वतोन्मुख प्रतिकूल नहीं होंगे। मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है इस से उपभोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा; इससे कपड़े की खपत कम होगी। किन्तु यदि मांग पूर्ति से बढ़ जाये तो इस कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिये कोई उपाय ढूंढना ही पड़ेगा।

संभव है हमको नियंत्रण पद्धति लागू करनी पड़े; परन्तु नियंत्रण का जो अनुभव हमें हुआ है उससे मेरा विचार है कि कोई भी नियंत्रण के पक्ष में नहीं होगा। क्योंकि उससे हमारे आर्थिक जीवन का बड़ा आघात हुआ तथा चोर बाजारी आदि बढ़ी। इसलिये संभवतया हम इस को तब तक नहीं लगायेंगे जब तक बाध्य न हो जायें। इसके अतिरिक्त नियंत्रण से उत्पादन को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। इसलिये उत्पादन बढ़ाने के लिये नियंत्रण की नीति का स्वागत नहीं किया जा सकता है। कपड़ा व्यापारियों के अनुचित रूप से धन पैदा करने पर भी हम कोई अन्य तरीका ही निकालेंगे जिससे उपभोक्ता को अधिक धन नहीं देना पड़ेगा।

यह सुझाव दिया जा सकता है कि अधिक लाभ पर कर लगाना चाहिये। इस पर भी विचार किया जा सकता था। परन्तु प्रश्न यह है कि मिल मालिक द्वारा दिये गये कपड़े का मूल्य नहीं बढ़े हैं अपितु जो व्यापारी बजार में कपड़ा बेचते हैं उन्होंने मूल्य बढ़ाये हैं। मिल मालिक से अधिक लाभ पर कर लिया जा सकता है परन्तु थोक व्यापारियों तथा खुरदा व्यापारियों से यह कर नहीं लिया जा सकता है। यह लाभ उठा रहे हैं तथा इसी प्रकार लाभ उठाते रहेंगे। इसीलिये आपको उसी व्यक्ति से धन लेना है जो इस प्रकार के लाभ उठा रहे हैं। इसके लिये आपको शुल्क लगाना है।

शुल्क इस प्रकार से लगाया गया है कि यह धन उन्हीं व्यक्तियों से लिया जायेगा जो अधिक लाभ उठा रहे हैं। हम कह सकते हैं कि हमें ऐसा सिद्धांत बनाना चाहिये जिससे उपभोक्ता पर कोई प्रभाव न पड़े, परन्तु ऐसी कोई प्रणाली नहीं हो सकती जो इस प्रकार परिपूर्ण हो। यदि हम इस कर को न लगायें तब भी उपभोक्ता को अधिक ही धन व्यय करना पड़ेगा। इसी प्रकार अधिक लाभ उनसे ले लेने की आशा है। आपने यह स्वीकार कर लिया है कि मूल्य अधिक है। जिस अधिकतम मूल्य पर वह अपना माल बेच सकता है यदि वह उससे भी और अधिक मूल्य लेगा तो उपभोक्ता उससे माल नहीं खरीदेगा। यदि वह अधिकतम मूल्य लेता है तो वह इतनी सीमा तक नहीं जायेगा कि उसका ग्राहक छट जाये। उसे एक सीमा में रहना पड़ेगा तथा अर्थशास्त्र का नियम इसी प्रकार का है। आप सर्वदा मूल्य बढ़ाते नहीं जा सकते हैं। एक प्रकाम पर ह्रास नियम लागू होने लगता है। मेरा निवेदन है कि कोई निर्माता अथवा व्यापारी जितना मूल्य ले सकता है उससे कम मूल्य नहीं लेता है। और वह उससे अधिक लाभ क्या होगा जितना वह ले सकता है तथा यदि वह उससे भी अधिक लेता है तो मांग कम हो जायेगी तथा पूर्ति अधिक हो जायेगी। यदि जैसा कि माननीय सदस्य कहते हैं, यह ठीक मान लिया जाये कि व्यापारी जितना ले सकता है उससे कम मूल्य ले रहा है तो भी यदि वह मूल्य बढ़ाता है तो मांग कम हो जायेगी तथा पूर्ति अधिक हो जाने पर मूल्य कम

[पं० गो० ब० पन्त]

करने पड़ेंगे। अतः हमें यही करना है जिससे मांग, पूर्ति से अधिक न हो जाये। इस पद्धति से धन एकत्रित करने का उद्देश्य नहीं है। परन्तु यदि धन आ जाता है तो वह जनता के हितार्थ व्यय होगा। हमारी योजना विशाल योजना है तथा चार अथवा पांच वर्ष में हमें १,००० करोड़ रुपये एकत्रित करने हैं। यदि योजना के अनुसार योजनाओं को चलाना है तो विभिन्न प्रकार से धन एकत्र करना होगा। करारोपण की एकीकृत योजना होगी। परन्तु अभी वर्ष के बीच में हम कोई नवीन योजना नहीं रख रहे हैं। वस्त्र की मांग और पूर्ति का अंतर बढ़ जाने के कारण ही हमें कठिनाई दूर करने के लिये संसद् में यह प्रस्ताव प्रस्तुत करना पड़ा है।

जैसा कि मैंने अभी बताया प्रति व्यक्ति खपत बढ़ कर १६·८ गज़ हो गई है। गत वर्ष तक उपभोक्ता १५·९ गज से संतुष्ट था। परन्तु गत कुछ महीनों में प्रति व्यक्ति एक गज़ की खपत बढ़ गई है। यदि परिस्थितिवश उसको अपनी मांग कम करनी पड़ी तो उत्पादन बढ़ जायेगा तथा पूर्ति की हालत संतोषजनक हो जायेगी और मूल्य कम हो जायेंगे। यही मुख्य उद्देश्य है। मोटे कपड़े तथा साड़ियों पर मूल्य नहीं बढ़ेगा। आंकड़े देखने से आपको विदित होगा कि मध्यम प्रकार के कपड़े पर मोटे कपड़े की तुलना में मूल्य बहुत बढ़ा है। मध्यम कपड़े पर हमने केवल एक आना प्रति वर्ग गज़ बढ़ाया है। तथा यह उचित भी है क्योंकि मध्यम प्रकार के कपड़े की मूल्य-वृद्धि भी मोटे कपड़े से अधिक हुई है।

हमने व्यापारियों को लिखित चेतावनी दी है कि यदि इस कर के कारण उन्होंने मूल्य बढ़ाये तो उन्हें अधिक कर देने को तैयार रहना चाहिये। उन्हें इसके लिये तैयार रहना चाहिये कि सरकार उनके पास से प्रत्येक पाई को लेने के लिये प्रत्येक संभावित कार्य करेगी। भविष्य के लिये उन्हें यह स्पष्ट चेतावनी है।

इस प्रकार के प्रस्तावों का साधारणतया स्वागत नहीं किया जाता है। परन्तु मैं आशा करता हूं वह धैर्य रख कर प्रस्ताव के अनुसार काम होने दें। मैं अपील करता हूं कि इस विधेयक को थोड़े ध्यान से देखें। यह वित्तीय विधेयक नहीं है यह तो स्थिति रोकने के लिये है।

पूर्ति तथा मांग को बराबर रखने से स्थिति समाप्त हो जायेगी। उद्देश्य यही है कि मांग और पूर्ति में एक संतुलन लाया जाये तथा जब तक कि वह स्थिति न आ जाये हमें यह देखना है कि उपभोक्ता के मूल्य पर लोग लाभ न उठायें। यदि उपभोक्ता कुछ अधिक धन देता है तो वह राज्य को मिलना चाहिये जिससे उसको दूसरे रूप में फिर वापस मिल सके।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : (गुड़गांव): मैं खुशकिस्मत हूं कि पेश्तर इसके कि मैं न बोलना शुरू किया मुझे जनाब होम मिनिस्टर (गृह कार्य मंत्री) साहब ने जो कुछ फरमाया उसका सुनने का मौका मिला। उनको सुनने के बाद मैं यह समझा कि यह क्या मुसीबत है कि नये फाइनेंस मिनिस्टर (वित्त मंत्री) का पहला बिल इस तरह का हो कि जिसकी वजह से हाउस में इतना वावैला हो। हम अपने साबिक आनरेबुल कामर्स मिनिस्टर (माननीय वाणिज्य मंत्री) को बहुत वर्षों से जानते हैं, वे बड़े रिसोर्सफुल (साधनपूर्ण) हैं और हमें उन पर पूरा विश्वास है और कभी हमने यह नहीं देखा कि उन्होंने जो राय यहां पर जाहिर की हो उस पर इस कदर लोगों ने झगड़ा किया हो या इतना वावैला मचाया हो कि हमें उनकी बात मंजूर नहीं है। इसके अलावा जो एक कुदरती ख्वाहिश किसी मिनिस्टर साहब की हो सकती है कि कामर्स मिनिस्ट्री से फाइनेंस मिनिस्ट्री में आये, ऐसे अच्छे मौके पर जब कोई आदमी तरक्की पाता है तो वह कपड़ा बांटता है, रोटी बांटता है और और तरह की चीजें करता है तो यह नामुमकिन था कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब, अगर उनको यह मजबूरी न होती तो ऐसा बिल लाते कि जो अपनी तौर पर हर एक आइटम में जितनी बारीकियां हैं और जिनको कि हमारे होम मिनिस्टर साहब ने समझाया, वह इसके अंदर न होतीं और वह ऐसा बिल लाते जिसका कि लोग बगैर किसी रिजर्वेशन के दिल खोल कर स्वागत करते।

श्री वि० घ० देशपांडे ने जो इस विधेयक के संबंध में दलील दी उसके बारे में भी मैं एक लफ्ज अर्ज करना चाहता हूं। यह कैसे मुमकिन है कि एक पापुलर पार्टी (लोक-प्रिय दल) जब कि एलेक्शन (निर्वाचन) नजदीक हों और मेरे लायक दोस्त कहते हैं कि उन्होंने जान बूझ कर ऐसे मौके पर यह बिल रक्खा है कि वोट देने वाले उन्हें वोट ही न दें। हमारे दोस्त कहते हैं कि यह कांग्रेस पार्टी जो हुकूमत में है, यह इतने घमंड में है कि यह किसी चीज की पर्वाह नहीं करती है। अपोजीशन (विरोधी) पार्टी (दल) वालों के मुह से यह बात निकलना कि हुक्मरां पार्टी वोटों की पर्वाह नहीं करती है और ऐसे मौके पर जब कि एलेक्शन नजदीक हो, हाउस खुद जान लेगा कि इसमें कितनी वुकअत (शक्ति) है। मैं अदब से यह अर्ज करना चाहता हूं कि जिस नुक्तेनिगाह से मैं इस बिल को देखता हूं वह बिल-कुल जुदा है। मैं इस चीज को मानता हूं जब कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब यह फरमाते हैं कि सेकेंड फाइव इयर प्लान (द्वितीय पंचवर्षीय योजना) हम कामयाबी के साथ नहीं चला सकते हैं जब तक कि कौमन मैन को हम टैक्स न करें और यह बात सही है और मैं उसको मानता हूं। चुनाचे जब पिछली दफा वह एक बिल लाये जो कांस्टीट्यूशन (संविधान) में तबदीली करता था, आज कांस्टीट्यूशन के अंदर गवर्नमेंट आफ इंडिया (भारत सरकार) को पावर्स (शक्तियां) दी हुई थीं कि नैसेसेटीज आफ लाइफ (जीवन की आवश्यक वस्तुयें) पर अगर उनकी इजाजत न हो तो कोई लोकल गवर्नमेंट उन पर टैक्स नहीं लगा सकती, उस मौके पर मैंने अर्ज किया था कि मैं यह जानता हूं कि जब तक कौमन मैन (जन साधारण) पर टैक्स नहीं लगेगा यह फाइव इयर प्लान ठीक तरीके से नहीं चलेगा लेकिन उसके साथ ही मैंने यह भी अर्ज कर दिया था कि लोएस्ट ग्रुप (निम्नतम वर्ग) पर अगर आप टैक्स लगायेंगे तो सिवाय इसके कि पापुलरली एलेक्टेड (लोगों द्वारा निर्वाचित) लोग उसकी मुखालफत करें, इसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं होगी।

मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि आज सुबह जब मैंने अखबार में पढ़ा कि इस देश में करीब डेढ़ करोड़ लोग ऐसे रहते हैं जो कि केवल पत्तों और रूट्स पर रहते हैं तो मैं दंग रह गया। मैं नहीं समझता कि यह खबर कहां तक सही है लेकिन इस हकीकत से इन्कार नहीं किया जा सकता कि आज भी हमारे देश में काफी बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनके कि पास पहनने को काफी कपड़े नहीं हैं। मुझे वह दिन याद है जब पूज्य महात्मा जी ने उड़ीसा के वास्ते लिखा था कि वहां इतनी ज्यादा गुरबत फैली हुई थी कि वहां की औरतें झोपड़ियों से बाहर नहीं आती थीं क्योंकि वे बेचारी अंदर नंगी बैठी रहती थीं। मैं उन चीजों को भूल नहीं सकता। अब हमें देखना यह है कि इस ९ वर्ष के अंदर किस कदर हमने तरक्की की है और किस कदर आगे बढ़ गये हैं। अंग्रेजों के जमाने में हम कहा करते थे कि इस देश में ३० परसेंट आदमी ऐसे हैं जो कि दो वक्त पर्याप्त भोजन करना नहीं जानते और मैं समझता हूं कि आज भी हमारे देश में बहुत से लोग होंगे जिनको कि दो वक्त खाना मयस्सर नहीं होता होगा। एक गांव के लेंडलेस लेबरर (भूमिरहित मजदूर) की औसत आमदनी १०४ रु० सालाना बतलायी जाती है और रोजाना आमदनी २½ से ५ आने तक कही जाती है या ५ आने से दस आने तक है।

अब यह जो पर कपिटा १५ गज कपड़े का मियार है उसको जरा ऐनालाइज करके देखें। ५, ६ गज की तो एक धोती हो जाती है और साल में अगर दो कुरते बनवा लिये तो १० गज उसमें लग गया और तिस पर भी ओढ़ने बिछाने का कपड़ा जाड़े गर्मी के वास्ते चाहिये, गरीब आदमी को यह सब मयस्सर ही नहीं होता। इसके बरअक्स आप देखें कि जो वैल आफ (धनाढय) लोग हैं मसलन् हम लोगों का एव्रैज कपड़े का कितना होता होगा, मैं समझता हूं कि हम लोग १००, २०० गज से कम कपड़ा खर्च न करते होंगे और जो और धनिक लोग हैं वे इससे भी ज्यादा कपड़ा खर्च करते हैं। लेकिन इस देश के एक गरीब आदमी का जो कपड़े का औसत है वह इस कदर कम है कि उसको तन ढांकने के वास्ते कपड़ा नहीं है। आज भी आप गावों में जाकर देखिये वहां पर आपको लड़के नंग धड़ंग मिलेंगे। आपको ऐसे चीथड़े और फटे कपड़ों में लोग अपना तन ढाके हुए मिलेंगे कि जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे।

अब अगर होम मिनिस्टर साहब जिन्होंने कि इस सारे सवाल को हमें समझाया है, मुझ से पूछें कि मैं उनको कोई और अन्य हल सुझाऊं तो मैं उनको कोई हल नहीं बतला सकता। मेरे पास कोई हल नहीं है लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि यह फाइव-इयर प्लान आपका सक्सैसफुल (सफल)

[पं० ठाकूर दास भार्गव]

हो या अनसक्सैसफुल (असफल) हो, मैं नहीं चाहता कि जो गरीब आदमी है और लोएस्ट ग्रुप (निम्नतम वर्ग) में है भूखा मरे या कपड़ा न पहने। अलबत्ता जो लोयेस्ट ग्रुप से ऊपर हों उनसे आप कितनी ही सैक्रिफाइस करने के लिये कहें, मुझे उसमें कोई ऐतराज नहीं होगा। आपने जो यह ४२०० रुपये की टैक्सेबुल लिमिट (कर योग्य सीमा) रखी है इसको आप और कम कर दे, मैं उसमें आपके साथ हूं और जिस हद तक कि उनका गुजर चल सके और रोटी खा सकें और कपड़ा पहन सकें, उस हद तक कम किये जाने मे मैं आपके साथ सोलहों आने हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि लोगों को सैक्रिफाइस करनी होगी अगर यह पंचवर्षीय योजना हमें कामयाब बनानी है।

मैं इस बात पर बड़ा खुश हूं कि धोती साड़ियों पर टैक्स नहीं लगाया गया है और मैं आपको इस के लिये बधाई देता हूं कि आपने धोतियों और साड़ियों को इस टैक्स से माफ कर दिया है लेकिन एक गरीब मिडिल क्लास का आदमी जो धोती के अलावा और दूसरे कपड़े पहनता है वह कपड़ा मीडियम क्लाथ (मध्यम श्रेणी का कपड़ा) में आता है और मीडियम क्लाथ के बारे में आप फर्माते हैं कि आप उस पर टैक्स लगा रहे हैं उस पर आप बड़ी मुसीबत ढा रहे हैं.....

चौ० रणवीर सिंह : (रोहतक) : लोग धोती का कुर्ता बनवायेंगे।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अगर धोती का कुर्ता बनवायेंगे तो उनकी वही हालत होने वाली है जो हालत उन गरीब औरतों की होती थी जिनकी कि बाबत मैंने कुछ देर पहले जिक्र किया था। धोती साड़ी की कहीं कीमत मुकर्रर नहीं है वह भी ख्वाह उस पर टैक्स लगे या न लगे गरीब आदमी को बहुत महंगी मिलेगी।

आपको यह देखना चाहिए कि जो लोएस्ट रंग पर है या ऐन उसके ऊपर है उसको और हार्डशिप न हो और जैसा कि विलायत में और चीन में गरीब आदमियों के लिये एक खास तरह के कपड़े बनते हैं और वह उनको सस्ते दामों में मिलते हैं और उस किस्म के कपड़े पर टैक्स नहीं लगाया जाता, अगर इस तरह की कोई व्यवस्था यहां पर की जाय जिससे गरीब लोगों को कपड़े के मामले में राहत मिले और उनको मुनासिब और सस्ते दामों में कपड़ा मिल सके जिससे वे अपना तन ढांक सकें तो आपकी जितनी रीजनिंग्स (युक्तियां) हैं मैं उनको मानने को तैयार हूं। आपकी यह रीजनिंग है कि इस मौपिंग का असर कंज्यूमर्स पर नहीं पड़ेगा, वह मेरी समझ में नहीं आयी क्योंकि जैसा आज सुबह पार्टी के एक तजुर्बेकार दोस्त ने बताया कि तीन चार महीनों के बाद यह सारा का सारा टैक्स कंज्यूमर्स (उपभोक्ताओं) के ऊपर चला जायगा। मुझे अगर यह तसल्ली होती कि यह टक्स कंज्यूमर पर नहीं पड़ेगा तो जैसा मेरे भाइ भागवत झा नें कहा है ,मैं उस से इत्तफाक करता और इसको सपोर्ट (समर्थन) करता। म खुद कहता कि आपका टैक्स बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह टैक्स कंज्यूमर पर नहीं पड़ेगा। दूसरों पर यह टैक्स जाता तो मुझे परवाह न थी, लेकिन यह उन लोगों पर जा रहा है जो कि टैक्स देने के काबिल नहीं हैं, और उन लोगों को इस से बड़ी तक्लीफ होगी। आज वह यह महसूस नहीं कर सकते कि क्या हमारा सेकेन्ड फाइव इयर प्लैन है। वह नहीं जानते कि हमारी सरकार क्या करनें जा रही है और क्या कर रही है। आज तो हालत वही है कि हिसाब ज्यों का त्यों, कुनबा डूबा क्यों। आपके इन्क्रीज के ऐवरेजेज़ (औसत) से उस को मतलब नही है, वह वाकिफ नहीं है कि देश में पैंदावार बढ़ रही ह या क्या हो रहा है, आज वह ऐसी हालत में नहीं है कि जरा भी ज्यादा बोझा उठा सके। गवर्नमेंट को इन हालात का ख्याल करके उनको तक्लीफ नहीं होने देना चाहिये। आज मैं देखता हूं कि हमारे अशोक मेहता साहब ने एक तरह से इस गवर्नमेंट को सपोर्ट किया और कहा कि मैं खुश हूं क्योंकि इस से हमारी सेकेन्ड फाइव इअर प्लन को मदद मिलेगी। मैं भी अपने कंविक्शन्स के मुताबिक अर्ज करता हूं कि हम सब उस हद्द तक इस को सपोर्ट करने के लिये तयार हैं जिस हद तक की आप की सेकेन्ड फाइव इअर प्लैन का ताल्लुक है। मैं सेकेंड फाइव इअर प्लन के लिये किसी भी हद्द तक जाने को तयार हूं, लेकिन इस

हद्द तक जान के लिये तैयार नहीं हूं जहां तक कि यह गरीब से गरीब आदमी को एफेक्ट करता है। जहां तक गरीब जनता के खान पीने का टैक्स करने का सवाल है जहां तक उसकी एसेंशियल्स आफ लाइफ को टैक्स करने का सवाल ह, आप एक हद्द कायम कर दीजिये।क इस हद्द के आगे हम नहीं जायेंगे अगर आप ऐसा कर सकें तो हमें कोई फिक्र नहीं है, हम समझेंगे कि कम से कम उस आदमी पर असर नहीं पड़ेगा जो कि यह टक्स देने के काबिल नहीं हैं। बाकि पर अगर असर पड़ता है, तो वह, किसी न किसी तरह से उसको बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन आज आप वह हद्द भी मुकर्रर नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पिछले नौ वर्षों में हमने उस गरीब आदमी को कहां तक सहूलियत पहुंचाई है कहां तक उसकी हालत को ठीक किया है। जब हम एम्प्लायमेंट के फिगर्स को देखते हैं कि हम कितने आदमियों को ऐसा एम्प्लायमेंट दे सके हैं जिस से वह अपना गुजारा कर सकें, तो देखते हैं कि हम वह चीज बिलकुल नहीं कर सके हैं। इस में हमारा कसूर नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता चीजें बढ़ेंगी, एक दिन में सारी परेशानियां खत्म नहीं हो सकतीं, लेकिन हमें फैक्ट को रिकग्नाइज करना चाहिये कि आज जो गरीब आदमी है उस की एकानामिक हालत में तब्दीली नहीं आई है, जब तक उस की एकनामिक हालत तब्दील नहीं होगी, तब तक वह ऐप्रिशिएट (अनुभव) नहीं कर सकता कि हम अपने मुल्क में क्या करने जा रहे हैं। हमने निहायत अच्छे अल्फाज में अपनी बातों को रक्खा, लेकिन जब तक हर आदमी को उस का नतीजा नहीं दिखाई पड़ेगा तब तक वह कैसे हमारी बात पर यकीन कर सकेगा।

मैं एक या दो चीजें और कहना चाहता हूं। यहां हमारे प्राइम मिनिस्टर (प्रधान मंत्री) साहब, होम मिनिस्टर (गृहकार्य मंत्री) साहब और फाइनेन्स मिनिस्टर (वित्त मंत्री) साहब सभी तशरीफ रखते है। अगर हो सके तो दशहरा और दीवाली ऐसे मौकों पर इस टैक्स को न लगाइये। आप सब साहबान दशहरा और दीवाली में शामिल होते हैं। जब दशहरा और दीवाली के मौके पर इस टैक्स का बाम्ब शेल गरीब आदमियों के पास पहुंचगा तो वह यही समझेंगे कि उन के ऊपर गवर्नमेंट ने नया टक्स लगा दिया। हर आदमी पार्लियामेंट का मेम्बर नहीं ह जो कि फाइव इअर प्लैन की अहमियत को समझता है, कामन मन तो यही समझेगा कि गवर्नमेंट ने हमको इतना नुक्सान पहुंचाया कि हमारे कपड़ा पहनने पर रोक लगाई है। मामूली लोग इस चीज को हमारी तरह से न देख कर और तरह से देखेंगे और गवर्नमेंट अनपापुलर होगी। मैं जानता हूं कि हमको और गवर्नमेंट को अनपापुलैरिटी की परवाह नहीं करनी चाहिये, अगर देश के हित के लिये काम करने का ऐसा नतीजा मिले लेकिन कम से कम ऐसे शुभ मौकों पर जैसे दीवाली और पूजा के त्योहार हैं, इस टैक्स को लागू न किया जाये। लोगों को थोड़ी सांस लेने दीजिये। जिस आदमी पर ऐसे मौके पर असर पड़ेगा वह आपको इस के लिये मुबारकबाद नहीं देगा।

जहां तक मीडियम और कोर्स क्लाथ (मध्यम श्रेणी और मोटे कपड़े)का सवाल है, मुझे याद ह दो वर्ष हुए मौजदा फाइनेन्स मिनिस्टर (वित्तमंत्री) साहब के प्रिडेसेसर (पूर्वाधिकारी) बजट के मौके पर जब कोर्स क्लाथ पर भी ड्यूटी बढ़ा रहे थे तो उन पर जोर डाला गया था कि वह चीज कम कर दी जानी चाहिये क्योंकि उसका असर गरीबों पर पड़ता है तो उन्होंने इसी बिना पर उसको कम किया था कि वह नहीं चाहते थे कि किसी कल्टिवेटर (कृषक) या मामूली आदमी पर बोझ बढ़े। आप के फाइव इअर प्लैन के सफहा सफहा पर लिखा हुआ है कि जब फूड और क्लाथ और दूसरी रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों के भाव ठीक नहीं होंगे उस वकत तक फाइव इअर प्लैन कामयाब नहीं होगी। जहां तक रेट्स के कम होने के बारे में आप के आर्गूमेंट (तर्क) का सवाल है, जितना वजन उस में है, वह दुरुस्त है लकिन उस की भी एक हद है। उस को एप्रिशियेट करते हुए मैं अर्ज करूंगा कि जैसा कि श्री बंसल नें बताया कि आप कल्टिवेटर्स की प्रोड्यस की कीमत को कम करना चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं कि वह कम हो, गरीब आदमी के खर्च में कमी हो और कल्टिवेटर्स को नुकसान न हो। लेकिन एक तरफ आप कल्टिवेटर्स की पैदा की हुई प्रोड्यूस की कीमत कम करते ह और दूसरी तरफ आप कपड़ा महंगा करते है, तो उस का बजट कैसे बैलेन्स होगा। अगर आप यह उमीद करत ह कि तीन या चार महीनों के बाद आप अपनी पालिसी को बदल देंगे या भाव कम होने पर आप इस टैक्स को हटा देंग तो मुझे इस के मानने में कोई खास उज्र नहीं होगा, लेकिन आपने एक लफ्ज भी ऐसा नहीं फरमाया

[पंडित ठाकुरदास भार्गव]

जिस से पता चले कि अगर ऐसा मौका आये कि भाव ठीक हो जायें तो आप इस टैक्स को कम कर दगे। अगर आप यही फरमा देते कि सिर्फ थोड़े दिनों के लिये आपने यह तरकीब निकाली है तब भी हम को यकीन आता कि यह चीज ठीक है, लेकिन ऐसा आपने कहीं नहीं कहा है। मैं जानता हूं कि एक दफा लगा हुआ टैक्स कभी कम नहीं हुआ करता, कोई गवनमेंट उस कोकम नहीं कर सकती, क्योंकि उस की जरूरत ऐसी होती हैं कि वह टैवसों को कम करने के काबिल नहीं रहती। इसलिये मैं अज करूंगा कि कम से कम आप एक चीज प्रोनाउंस कर दीजिए कि आप दशहरा और दीवाली के मौके पर इस टक्स को नहीं लगायेंगे। हालांकि मैं जानता हूं कि ऐसा करने से जो आपकी मंशा है वही खत्म हो जाती है, लेकिन इस दुनिया के अन्दर साइकालाजी (मानसिक दशा) और सेंटीमेंट्स (भावनायें) भी एक ऐसी चीज है जिस को हमें वैल्यू करना चाहिये। इस लिये आप दिवाली, दशहरा और संक्रांति ऐसे मौकों पर मेहरबानी करके यह जरूर कर दीजिये ।

दूसरी चीज मैं यह अर्ज कर रहा था कि आपको इस डिस्कशन (चर्चा) का जवाब भी देना है, मेहरबानी कर के उस वक्त कह दीजिये कि कम्पल्शन (बाध्यता) की वजह से यह टैक्स लगा रहे हैं, यह टैक्स हमेशा के वास्ते नहीं है, जब मुसीबत हट जायेगी और हमारी सारी कोशिशें जो हैं जब वह कामयाब हो जायेंगी और भाव नीचे आ जायेंगे, जिस लेवल पर हम उनको लाना चाहते हैं, यानी जो गरीब आदमी का बजट है वह बैलेन्स हो जायेगा, तो यह टैक्स कायम नहीं रहेगा ।

मैं आप की खिदमत में एक चीज बड़े दु:ख के साथ कहना चाहता हूं। परसों हमारे रूबरू वह बिल था जिस के अन्दर हैंडलूम का जिक्र था। आज भी हैंडलूम का जिक्र हुआ है। मैं जानता हूं कि जिस वकत आप को आर्गूमेंट करना होता है, आप हैंड लूम (हथ कर्घा) के हक में बहस कर देते हैं और कह देते हैं कि हैंडलूम की प्रोड्यूस (उत्पादन) बढ़ जायेगी। हम सब चाहते हैं कि हैंडलूम की प्रोड्यूस बढ़े। लेकिन जिस बेसिस (आधार) पर गांधीजी ने हमारे हैंडलूम को बढ़ाया और जिस तरकीब से वह इस को चलाना चाहते थे, उस पर आज तक गवर्नमेंट कमिटेड नहीं है। कल आचार्य कृपालानी ने कहा था कि अगर आप सचमुच चाहते हैं कि सारे गांव स्वावलम्बी बनें तो असल में यही एक सोल्यशन है जो कि असली सोल्यूशन (हल) कहा जा सकता है। लेकिन मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट की सारी पालिसी (नीति) इस बारे में एक साथ नहीं है। वह दोहरी बातें करते हैं। एक तरफ तो वह हैंडलूम को तरक्की देना चाहते हैं और दूसरी तरफ वह स्पिडल्स को बढ़ाना चाहते हैं । यह दोनों पालिसीज एक दूसरे के खिलाफ हैं। इन दोनों को एक बेसिस पर ला कर रखा जाये तभी काम चल सकता है। एक तरफ यह कहना कि स्पिडल्स बढ़ाना चाहते हैं और मिल का कपड़ा चलाना चाहते हैं और दूसरी तरफ यह कहना कि कपड़े को टैक्स करने से हैंड्लूम बढ़ जायेगा यह दोनों हमारे लिये पैराडाक्सेज हैं जिन को समझना मुश्किल है। मैं समझता हूं कि हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब इस पर गौर करेंगे।

†**श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन** (डिंडीगल) : कुछ दिनों पूर्व जब यह विधेयक अखबारों में प्रकाशित हुआ था तो हम में से बहुत से लोगों को बड़ा धक्का लगा । देश के मध्यम वर्ग के लोगों को इस से बड़ी कठिनाई होगी । मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं और ना ही कोई सांख्यिकी विशेषज्ञ हूं। किन्तु देश के लोगों को मैं जानती हूं और मैं कह सकती हूं कि इस विधेयक के परिणामस्वरूप उन्हें बड़ी चिन्ता हो गयी है। विशेष कर दशहरे और दिवाली के अवसर पर ऐसे विधेयक का प्रस्तुत किया जाना जिससे जनता पर कर का भार और बढ़ता हो, बहुत अविवेकपूर्ण कदम है। इसके पक्ष में कहा गया है कि इससे उद्योगपतियों का अतिरिक्त लाभ वसूल कर लिया जायेगा। किन्तु मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि इस का यह प्रभाव होगा। मैं विशष कर मध्यम वर्ग के लोगों की ओर से बोलना चाहती हूं। जैसे डाक्टर, वकील तथा सरकारी कर्मचारी। इन लोगों की आय तो साधारण होती है—ये बहुत पैसेवाले लोग नहीं होते—किन्तु इन्हें सभ्य और अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं, अपने बच्चों को सभ्य कपड़े पहनाकर स्कूल भेजना पड़ता है, और इन सब कारणों से उन्हें कपड़े पर अपेक्षाकृत अधिक खर्च करना पड़ता है । इस लिये इस वर्ग को इस विधेयक से बहुत हानि होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्यान्न तथा खाने के तेल के मूल्य बढ़ गये हैं । वास्तव में सभी आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों म वद्धि हो गई है । और अब कपड़े का मूल्य बढ़ने जा रहा है । इन सब बातों से आप देश में जनता को अपना विरोधी बना लेंगे जब कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की क्रियान्विति के लिये आवश्यकता इस बात की थी कि लोगों का अधिक से अधिक समर्थन प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किये जाय ।

यह कहा गया कि मोटे कपड़े पर कर नहीं लगाया गया है । जो लोग आंकड़ों से अवगत हैं वे जानते हैं कि मोटा कपड़ा अधिक उत्पादित नही होता । अधिकतर मध्यम श्रेणी का कपड़ा उत्पादित होता है और देश में इसी की अधिक खपत है । देश में कपड़े की खपत बढ़ने का कारण यह नहीं है कि लोगों के पास रुपया बढ़ गया है । एक कारण यह भी है कि प्रतिवर्ष देश की जनसंख्या बढ़ती जाती है । फिर अब लोग यह भी महसूस करनें लगे हैं कि उन्हें कुछ वर्ष पहले की अपेक्षा अब कपड़े की अधिक आवश्यकता है ।

आज जितने भी सदस्य बोले उन्होंने सभी ने यह भावना व्यक्त की कि इस समय यह कर लगाना अच्छा नहीं था । माननीय वित्त मंत्री जी से मेरा यह निवेदन है कि इस विधेयक को वापस ले लें । मुझे विश्वास है कि उन्हें याद होगा कि प्रजातंत्र जनता के बहुमत से चलता है, और जनता के अधिकतर प्रतिनिधि इस विधेयक के विरुद्ध हैं ।

†**श्री सै० वें० रामस्वामी** (सैलम) : यह आश्चर्यजनक है कि कई सदस्यों ने इस विधेयक का विरोध किया है । मेरे विचार से इस विधेयक के संबंध में कुछ भ्रान्ति हो गई है । उद्देश्य तथा कारणों के विवरण की कंडिका ४ का आशय यह है कि सरकार उत्पादन शुल्क पूरी मात्रा में अभी नहीं लगाना चाहती ह । वस्तुतः सरकार को पूरा उत्पादन शुल्क लगाने का अधिकार प्राप्त है । इसका यह तात्पर्य नहीं है कि वह यह शुल्क अभी लगाने का इरादा रखती है यह केवल स्थिति पर दृष्टि रख कर उस पर नियंत्रण करने के लिये ही किया गया है । आवश्यकता होने पर ही इन अधिकारों का उपयोग किया जायगा । श्री मुरारका ने कहा है कि यह सारा भार उपभोक्ताओं को वहन करना पड़ेगा । यदि ऐसा ही ह तो यह एक चुनौती है । और वित्त मंत्री को इसका उत्तर देना चाहिये कि यह भार उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा ।

माननीय मंत्री ने हमें यह भी नहीं बताया है कि अधिक लाभ किस स्थिति पर लिया जाता है और इस मुनाफाखोरी को किस प्रकार बन्द किया जायेगा । मेरे विचार से यह थोक माल बेचने की स्थिति में होता है और यह तभी बन्द हो सकता है जब कि थोक विक्रेताओं को माल बेचते समय उनसे उत्पादन शल्क भी वसूल किया जाये । लेकिन यह भी संभव नहीं है कि वह इस शुल्क को फुटकर विक्रताओं के हवाले कर दें और वे खरीददारों से इसे वसूल करें । वित्त मंत्रीजी को इस बात पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये ।

यह प्रश्न भी उठाया जा सकता है कि केवल कपड़ा उद्योग को ही इस प्रयोजन के लिये क्यों चुना गया । इसका कारण यह है कि इसमें अत्याधिक मुनाफा होता है । पृष्ट २ में दी गई सारिणी से ज्ञात होता है कि रूई के मूल्य में ·७५ प्रतिशत वृद्धि होनें से कपड़े के मूल्य में ७ प्रतिशत वृद्धि हो गई है । इसी प्रकार मध्यम प्रकार के कपड़े में रूई के मूल्यों में ४ प्रतिशत की वृद्धि होने से कपड़े के मूल्य में १८ प्रतिशत की वृद्धि हो गई। ऐसा ही बारीक व अधिक बारीक कपड़े के संबंध में हुआ है । इससे स्पष्ट है कि वस्त्र उद्योग में अत्याधिक नफा होता है।

अब प्रश्न यह है कि नफे को लौटा लेने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? कई सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि अतिरिक्त लाभ कर फिर से चालू कर दिया जाये। लेकिन वर्तमान अवस्था में जब कि मूल्य में वृद्धि हो रही है और उद्योग में बहुत मुनाफा हो रहा है, इसे पुनः चालू करना सम्भव नहीं है । श्री बंसल ने इन आंकड़ों की सत्यता के संबंध में संदेह प्रगट किया है। मेरे विचार से जब तक अधिक विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हमें इन्हीं आंकड़ों पर ही विश्वास करना होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सै० वें० रामस्वामी]

यह विधेयक हथकरघा उद्योग के हित में भी अच्छा है, क्योंकि इस प्रकार मिल में बने कपड़े तथा करघे में बने कपड़े के मूल्य में पर्याप्त अन्तर हो जायेगा। बहुत से सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि हथकरघा उद्योग को दी गई सहायता वापिस ले लेनी जानी चाहिये। मेरे विचार से यह उचित नहीं है, वस्तुतः अभी उन्हें वष में केवल १५० दिन काम मिलता है। मूल्यों में अन्तर के कारण उन्हें वर्ष में पूरे दिन काम मिल सकेगा ।

यदि हथ करघा उद्योग को नियमित रूप से सूत मिलता रहे तो वे देश की कपड़े की आवश्यकता भलीभांति पूरी कर सकते हैं ।

मैं आशा करता हूं माननीय वित्त मंत्री शक्ति से चलने वाले करघों के उद्योग को रोक कर हथकरघा उद्योग में फ्लाई शटल लूम्स के उपयोग का प्रचार करेंगे । जिस से उत्पादन दुगने से भी अधिक हो जायेगा और हथकरघा उद्योग को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा । मैं आशा करता हूं कि शुल्क से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय का उपयोग भी हथकरघा उद्योग की वृद्धि और विकास के लिये किया जायेगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** श्री कृष्णमाचारी ने वित्त मंत्री पद का भार संभालते ही, जो शुल्क लगाया है वह जनता की पीठ पर कुठाराघात के समान है । इससे वस्तुतः मुनाफाखोरी कम नहीं हो सकती है । गृह मंत्री ने यह कहा है कि जब मांग उत्पादन से अधिक बढ़ जाती है तो हमें मूल्य बढ़ा देना चाहिये । लेकिन यह बात अत्यावश्यक सामग्री तथा चावल, तेल व कपड़े इत्यादि के विषय में लागू नहीं हो सकती है । प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से पता चलता है कि देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है । लेकिन मेरे पास मध्यम वर्ग के लोगों के मर्मस्पर्शी पत्र आये हैं जिनमें उन्होंने लिखा है कि वे अपने बच्चों के लिये दो कपड़े नहीं खरीद सकते हैं । वस्तुतः हमें समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति व्यक्ति उपभोग का पता नहीं है । वर्तमान स्थिति को देखते हुए हम यह नहीं कह सकते हैं कि उक्त सभी वर्गों में कपड़े का उपभोग बढ़ा है ।

हमारे दल ने सबसे पहिले सरकार को आगाह किया था कि घाटे की अर्थ व्यवस्था के फलस्वरूप मूल्यों में वृद्धि होगी अतः सरकार की मूल्यों को स्थिर रखने के लिये क्या नीति है ? क्योंकि जब तक सरकार मूल्य स्थिर नहीं रख सकती, तब तक उसे पंचवर्षीय योजना इत्यादि के सम्बन्ध में प्रचार करने का कोई अधिकार नहीं है । सबसे पहिले जीवनोपयोगी वस्तुयें प्राप्त होनी चाहियें । क्योंकि भूखे और नंगे व्यक्ति कोई त्याग नहीं कर सकते हैं, सर्वप्रथम उन्हें खाद्यान्न और वस्त्र चाहिये । अतः उन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना चाहियें ।

यदि आप गरीब जनता के भोजन और वस्त्रों पर कर लगाकर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये संसाधन एकत्र करना चाहते हैं तो यह बड़े दुख की बात होगी । जब हमने लाभांशों की अधिकतम सीमा निश्चित करने, अधिकतम आय की सीमा निश्चित करने के सम्बन्ध में सुझाव दिया था तो आपने हमारा विरोध किया और आप यह चाहते हैं कि हम घटिया और मध्यम प्रकार के कपड़े पर कर लगाने में आपका समर्थन करेंगे । आंकड़ों से यह पता लगता है कि १९३९ में प्रति व्यक्ति कपड़े का उपभोग १५·७५ गज था । जनवरी से जुलाई १९५६ तक प्रति व्यक्ति कपड़े का उपभोग १६·८ गज था जब कि यह अधिकतम उत्पादन का वर्ष था । मैं वित्त मंत्री से इसका कारण जानना चाहती हूं ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अब मैं वित्त मंत्री के सम्मुख कुछ तथ्य प्रस्तुत करती हूं । जब आपने सरसों के तेल पर उत्पादन शुल्क लगाया तो उसका मूल्य १–८–० रु० से बढ़ते बढ़ते २–१२–० हो गया । सस्ते तेल की दुकानें खोलने से भी कोई लाभ नहीं हुआ । यदि आप चोर बाजारी और मुनाफाखोरी नहीं रोक

---

†मूल अंग्रेजी में

सकते हैं तो कीमतें इसी प्रकार बढ़ती रहेंगी और जो लोग बड़ी कठिनाई से अपना भरण पोषण कर रहे हैं वे भी उन्हें खरीदने में असमर्थ रहेंगे। इसलिये यदि आप अपनी योजनाओं के सम्बन्ध में गम्भीर हैं तो आपको जनता को जीवन के लिये अत्यावश्यक वस्तुयें अवश्य देनी पड़ेंगी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में ही यह बात स्पष्ट रूप से कह देनी चाहिये कि संसाधन के लिये धन गरीबों से नहीं लिया जायेगा, वे आवश्यक वस्तुओं के लिये एक पैसा भी अधिक नहीं देंगे। जनता की यह मांग है। हम सदैव इस विधेयक का विरोध करेंगे।

†**श्री मात्तन** (तिरुवल्ला) : मैं इस बात से सहमत हूं कि इस शुल्क का भार उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। लेकिन यह एक अनिवार्य बुराई है। वस्तुतः कपड़े की मांग उसके उत्पादन से बहुत अधिक बढ़ गई है। इसलिये संभव है कि कपड़ा चोर बाजार में चला जाय अतः इस शुल्क का उद्देश्य उपभोक्ताओं पर एक प्रकार का प्रतिबन्ध लगाना है जिससे कि मांग में कुछ कमी हो।

हमारी अर्थव्यवस्था विकासशील है। अतः कपड़े की मांग का बढ़ना स्वाभाविक है। वस्तुतः वित्त मंत्री को पहिले से ही इस मांग की पूर्ति के लिये तैयार रहना चाहिये था और हमारे कारखानों के लिये अधिक करघों की व्यवस्था करनी चाहिये थी यदि ऐसा किया जाता तो आज इस विधेयक को प्रस्तुत करने की नौबत ही न आती। अतः यह आवश्यक है कि वस्त्र का उत्पादन बढ़ाया जाय। इस सम्बन्ध में हथकरघे, अम्बर चरखे इत्यादि से कुछ लाभ नहीं होगा। इस प्रकार के शुल्क से अस्थायी रोक भले ही हो, कोई स्थायी लाभ नहीं होगा और कपड़े के चोर बाजार में चले जाने से गरीब जनता को उत्पादन शुल्क से भी अधिक देना पड़ेगा, अतः सरकार से विनम्र निवेदन यह है कि वह कपड़े के उत्पादन में वृद्धि करे।

पंडित च० ना० मालवीय (रायसेन) : मैंने इस बिल के ऊपर कुछ स्पीचिज (भाषण) सुनीं और इसके स्टेटमेंट आफ आबजेक्टस एंड रीजन्ज (कारणों तथा उद्देश्यों का विवरण) को भी पढ़ा है। इसका विरोध करते हुए अभी एक आनरेबल मेम्बर ने कहा कि यद्यपि हमारे होम मिनिस्टर साहब बहुत अच्छी दलीलें दे सकते हैं, लेकिन इस बिल के पक्ष में उन्होंने जो दलीलें दी हैं, वे कनविंसिंग (विश्वसनीय) नहीं हैं। इस बिल के विरोध में जो स्पीचिज हुई हैं, उनमें नाम लिया गया है जनता का और कहा गया है कि इस बिल के पास होने पर एक्साइज ड्यूटी (उत्पादन शुल्क) लगेगी और उसका असर आम जनता पर पड़ेगा। अगर इसको ऊपरी नजर से देखा जाय, तो शायद लोग कुछ भुलावे में आ जायें, लेकिन अगर जरा गहरी दृष्टि से इस पर गौर किया जाय, तो एक अजीब सा दृष्टिकोण सामने आता है। अगर यह तजवीज दी जाती कि बढ़ती हुई प्राइसिज (मूल्यों) को कंट्रोल (नियंत्रण) करने के लिये कोई ऐसा कदम उठाया जाय, जिससे प्राइसिज भी कम हो जायें और जो प्राफिटीयरिंग (मुनाफाबाजी) इस समय हो रहा है, वह भी न हो, तो वह तजवीज तो समझ में आ सकती थी। और वह कदम यही हो सकता था कि एसेन्शियल कमोडिटीज (आवश्यक वस्तुएं) पर पूरे तरीके से कंट्रोल किया जाय — उनका राशनिंग किया जाय। लेकिन यह कहने की भी हिम्मत नहीं होती। मैं उन लोगों में से हूं, जो कि पूरे तरीके से कंट्रोल को मानते हैं और यह समझते हैं कि जब तक हमारी प्लैन्ड इकानोमी (आयोजित अर्थ व्यवस्था) में कंट्रोल नहीं होगा, राशनिंग नहीं होगा, तब तक अपनी लिमिटेड (सीमित) प्राडक्शन को देखते हुए लोगों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में और जनता के जीवन को एक स्तर पर लाने में हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पूंजीपति भाइयों ने एक अजीब सा जाल बिछा रखा है, जिसमें हमारे कुछ प्रगतिशील भाई और बहिन भी फंस जाते हैं और उनके धोखे को न समझ कर उनका समर्थन कर जाते हैं, हालाँकि उसमें जनताका कोई फायदा नहीं होता है—सिर्फ पूंजीपतियों का फायदा होता है। यहां पर इस बात का जवाब नहीं दिया गया है कि अगर अेक्साइज ड्यूटी (उत्पादन शुल्क) न लगाई जाती, तो इस वक्त जो फायदा हो रहा है, वह किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है और प्राइसिज को कैसे चैक किया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[पं० च० ना० मालवीय]

उसके लिये यह तजवीज की जा सकती है कि प्राइसिज को कंट्रोल किया जाय और साथ ही दूसरे टैक्स लगाये जायें। जैसा कि होम मिनिस्टर साहब ने कहा है, आपोजीशन मेम्बर्स और वे साहबान, जिन्होंने इसका विरोध किया है, इस का जवाब नहीं दे सके हैं। इस वक्त जो कन्डीशन्ज (स्थिति) हैं--जो प्राडक्शन है और जो डिमांड (मांग) है और उनका जो रिश्ता है, उसके लिहाज से प्राइसिज बराबर बढ़ रही हैं और फायदा कमाया जा रहा है। इस बिल का विरोध करने का मतलब सिवाय इसके कुछ नहीं है कि हम मैनुफैक्चरर (निर्माता) और प्राफिटीयरर द्वारा कमाये जाने वाले नफे को कम नहीं करना चाहते है और उनको सपोर्ट (समर्थन) करना चाहते हैं। इसलिए अगर हमें प्राइस को कंट्रोल करना है तो हमको ऐसा करने के लिये अपने सामने एक तजदीज रखनी होगी और उस तजवीज को कामयाब बनाने के लिए आपको गवर्नमेंट को पूरी ताकत देनी चाहिये ताकि गवर्नमेंट पूरी तरह से कंट्रोल कर सके। और फिर भी अगर ब्लैक मार्केटिंग (चोर बाजारी) और प्राफिटियरिंग (मुनाफाखोरी) हो तो आप धड़ल्ले से गवर्नमेंट से कह सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर दूसरे मुल्क प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं तो मैं नहीं समझता कि वैसा हिन्दुस्तान में क्यों नहीं किया जा सकता। अगर आप चाहते हैं कि कंट्रोल भी न किया जाये और प्राइसेज फिर भी न बढ़ें तो और कौन सा तरीका हो सकता है सिवा इसके कि एक्साइज ड्यूटी लगायी जाये। इसलिये मेरी समझ में नहीं आता कि इस बिल का अपोजीशन (विरोध) क्यों किया जा रहा है। हमको इस बिल का पूरे तरीके से समर्थन करना चाहिए। मैं पूरी ताकत से इस बिल का समर्थन करता हूं इसलिए कि मैं चाहता हूं कि जो प्राफिटियरिंग हो रहा है वह बन्द हो। जो फिगर्स दिये गये हैं उनसे जाहिर होता है कि होलसेल प्राइस (थोक मूल्य) में और जिस प्राइस पर जनता खरीदती है उसमें कितना बड़ा अन्तर है, और यह मार्जिन आफ प्राफिट (लाभ की मात्रा) कुछ जनता की जेब में नहीं जा रहा है। क्या जनता इस बढ़ी हुई कीमत से कोई फायदा उठा रही है? इससे जनता को नुकसान हो रहा है और हमारा फर्ज है कि हम इस मामले में जनता की मदद करें। यह बिल जनता को राहत देने के लिये लाया गया है, फिर क्या वजह है कि जनता का नाम लेकर इसका विरोध किया जाता है। हमें हर तरह से इस मामले में गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए और इस बिल का समर्थन करना चाहिए ताकि यह जो रुपया पूंजीपतियों की जेब में जा रहा है इसको रोका जा सके। माननीय सदस्य गौर करें कि इस बिल का विरोध करके वे जनता के हितों की रक्षा नहीं कर रहे हैं बल्कि मैन्युफैक्चरर (निर्माता) को, होलसेल डीलर (थोक व्यापारी) को और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। इन चीजों को ध्यान में रख कर मैं समझता हूं कि इस बिल का पूरी तरह से समर्थन किया जाना चाहिए। मैं नहीं समझता कि इस एक्साइज ड्यूटी के लगने से जनता को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचेगा। अगर नुकसान पहुंचेगा तो उन लोगों को जो नफा कमा रहे हैं।

साथ ही साथ डिमांड (मांग) और सप्लाई (संभरण) की भी एक दलील है। आप और हम ऐलीमेंटरी इकानामिक्स (सैद्धान्तिक अर्थशास्त्र) से वाकिफ हैं। अगर एक चीज का प्राडक्शन कम है और मांग ज्यादा है तो वह महंगी होगी और उस हालत में खरीदने वाला एक हद तक ही उसे खरीद सकता है, और उसके आगे या तो उसे अपनी डिमांड कम करनी होगी या प्रोड्यूसर को कीमत घटानी होगी। कोई प्रोड्यूसर अपने यहां स्टाक रखकर उसे सड़ायेगा नहीं और प्राइसेज नीचे आवेंगी। इस बिल में यह कहा गया है कि इस बिल को लाने में सरकार का इरादा पैसा कमाना नहीं है। आप नहीं चाहते कि सरकार कंट्रोल लागू करे और फिर भी आप चाहते हैं कि कीमतें बढ़ें नहीं, तो फिर और कौन सा तरीका हो सकता है सिवा इसके कि एक्साइज ड्यूटी लगायी जाये। इसी तरीके से इस बढ़ती हुई कीमत को रोका जा सकता है।

†**श्री कृष्णमाचारी :** यह बहुत दुख की बात है कि मेरी सर्वप्रथम कार्यवाही का पर्याप्त भावुक विरोध हुआ है तथा मुझे तथा सभा में मेरे सहयोगियों के सम्बन्ध में बड़ी भ्रान्ति पैदा हो

---

†मूल अंग्रेजी में

गई है। वस्तुतः जैसा कि मेरे पूर्ववक्ता ने कहा है, सरकार द्वारा प्रस्तुत दृष्टिकोण को ठीक तरह से समझने का प्रयत्न नहीं किया गया है, न ही स्थिति का सामना करने के लिये कोई अन्य विकल्प ही सुझाया गया है।

मेरे माननीय सहयोगी गृह-कार्य मंत्री ने जो कुछ भी कहा है, मैं उसे दुहराना नहीं चाहता हूं। मेरे विचार से मेरे मित्र श्री सै० वें० रामस्वामी ने जो कुछ भी कहा वह उद्धृत करने के योग्य है अर्थात् उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण की कंडिका ४ में यह कहा गया है :

तथापि इन दरों अर्थात् ४ आने और ६ आने की उक्त दरों को अभी पूर्णतः लागू करने का कोई इरादा नहीं है....

"इस क्रम पर कुछ वृद्धि की जा रही है तथा अभिप्राय यह है कि मूल्यों की गतिविधि पर नजर रखी जाय तथा प्रशुल्क आयोग के द्वारा बनाये गये सूत्र के आधार पर लगाये गये उचित मिल मूल्य से कमाये गये अत्याधिक लाभ तथा ऐसे लाभ के अधिकांश के उत्पादन शुल्क के रूप में ले लिया जाय। साथ ही यदि मूल्यों का गिरना शुरू हो जाय तो उत्पादन शुल्क में आवश्यक समन्वय किया जाय।" उपरोक्त से पंडित ठाकुर दास भार्गव की बात का उत्तर मिल जाता है। मूल्यों में कमी होने पर हम आवश्यक परिवर्तन कर देंगे। विधेयक की रूप रेखा इस प्रकार की है कि मूल्यों की गतिविधि के अनुरूप उसमें उतार चढ़ाव हो सकता है तथा यह अनिवार्य रूप से करारोपण के हेतु नहीं है। मेरे विचार से इससे जो लोग विश्वास करना चाहते हैं उन्हें सरकार की सद्भावना पर विश्वास हो जाना चाहिये कि यदि यह विधान करारोपण सम्बन्धी होता तो हम सभा को यह बतला देते कि यह कर लगाने का साधन है लेकिन इस साधन से हमारा अभिप्राय यह है कि यह मांग के अधिक बढ़ जाने तथा संभरण के उसके समक्ष न होने से उत्पन्न हुई स्थिति का सामना करने के लिये एक साधन है। उन अधिकांश माननीय सदस्यों ने जिन्होंने इस विषय पर भाषण दिये हैं इस बात पर जोर दिया है कि जन साधारण पर इसका अधिक प्रभाव पड़ेगा, तथापि मल्यों में और वृद्धि होगी जिससे निर्वाह-व्यय बढ़ जायगा।

सर्वप्रथम मैं श्री अशोक मेहता के भाषण को लूंगा। वस्तुतः उनके द्वारा कथित भ्रांति उनके या मेरे विभाग में किसी अन्य वस्तु के बारे में अब भी मौजूद है। मैं समझता हूं कि सामान्यतः उन्होंने सरकार का समर्थन किया है, किन्तु साथ ही वह इस विशेष विधेयक का समर्थन नहीं कर सके।

मेरे माननीय मित्र ने कुछ प्रश्न रखे हैं जो कि विशुद्ध अर्थशास्त्र की दृष्टि से निस्संदेह सामान्य रूप से लागू होते हैं। उनके द्वारा उठाये गये प्रश्नों का उत्तर देने के पूर्व मैं वह प्रश्न लूंगा जो कि आज कल प्रत्येक मास उत्पन्न हो जाता है। यह गुप्त बातों के पता लगाने का प्रश्न है। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देता हूं कि इस मामले पर जनता के सम्मुख लाने के कुछ ही घंटों पहिले विचार किया गया था। जानकार सूत्रों को भी उत्पादन शुल्क की हमारे द्वारा अधिकतम सीमा को निश्चित किये जाने अथवा इसके मूल्यों के उतार चढ़ाव के अनुसार शुल्क के समायोजक संतुलन पर आधारित होने की संभावना नहीं सूझी थी।

यदि मेरे माननीय मित्र, गत छः मास में अखबारों में प्रकाशित हो रही बातों की ओर ध्यान देंगे तो उन्हें पता लगेगा कि यह एक ऐसा सुझाव है जो कि समाचार-पत्रों में समय समय पर दिया जाता रहा है, अर्थात् उत्पादन शुल्क मे वृद्धि होगी क्योंकि वे अनुभव करते थे कि जब भी कभी सरकार को धन की आवश्यकता होगी तो जिन वस्तुओं पर वह कर लगायेगी कपड़ा उनमें से एक अवश्य होगा। इसलिये यह मामला बुद्धिमत्तापूर्ण अनुमान का है।

मैं माननीय सदस्य को यह भी बता सकता हूं कि जहां तक थोक और खुदरा विक्रेताओं के स्टॉकों का सामान्यतः संबंध है मैं नहीं कह सकता कि मैं उसका ठीक ठीक और उचित मल्यांकन कर सका हूं —हम उत्पादन शुल्क लगाने का इससे अधिक अच्छा अवसर प्राप्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि स्टॉक

[श्री कृष्णमाचारी]

इस समय कम से कम था और वे इसे काफी कम कर चुके थे। उस स्टॉक को पूरा किया जा रहा था और इस मास में वह पूरा हो जायेगा। यही एक कारण है कि हमने इस समय को चुना है जब कि स्टॉक कम से कम होगा।

माननीय मित्र श्री अशोक मेहता के भाषण की मुख्य बातों को लेते हुए, मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्पादन शुल्क लगाने, अधिक लाभ को समेटने या मांग को घटाने के प्रश्नों का उत्तर यह है—जैसा कि वह अर्थ शास्त्री होने के कारण जानते है, कि अर्थ विज्ञान कोई निश्चित उत्तर नहीं देता है वह तो केवल झुकावों को बताता है—कि इसके द्वारा दोनों बातों के होने की आशा है। जहां तक लाभ को समेटने का संबंध है उस सीमा तक यह कार्य कर सकता है। उस सीमा तक भी कि इसके कारण मूल्यों में वृद्धि होती है और इसलिये यह घटती हुई प्राप्ति के सिद्धांत को आकर्षित करने में सहायक होता है, हमें खपत को अवश्य प्रतिबन्धित करना चाहिये। परन्तु यह बात भी समझ में आती है कि मांग ऐसी होगी कि उससे मूल्य बढ़ने लग जायेंगे। किसी के मुंह से यह कहने से कि मैं यह आश्वासन दूं कि अमुक अमुक बात नहीं होगी, कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि मैं प्रयोगशाला में कोई परीक्षण तो कर नहीं रहा हूं। मैं तो ३७७० लाख जनसंख्या वाले एक बड़े और ऐसे देश में जिसकी सीमाओं का कोई वास्तविक अस्तित्व ही नहीं है, यह प्रयोग कर रहा हूं। यह हो सकता कि सीमान्त क्षेत्र में होने वाले अभाव का कारण कपड़ा आदि जैसी चीजें के सीमा के उस ओर चला जाना भी हो। अतः सभी अनुमानों में अनिश्चितता का अंश आ जाता है, क्योंकि हम यह तो जानते ही नहीं हैं कि कितनी गहराई तक हम पहुंच जायेंगे, और न हमें यह मालूम होता है कि हमारे देश में अपितु पड़ौसी क्षेत्रों में भी वास्तविक मांग कितनी होगी। इस समय तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इस संबंध मे भविष्य में क्या झुकाव होने की संभावना है।

एक बात कही गयी, मेरे विचार से मेरे माननीय मित्र ने उसे नहीं कहा, क्योंकि वह इतने बड़ अर्थ शास्त्री होकर ऐसी बात कदापि नहीं कहते, कि उत्पादन शुल्क में वृद्धि बढ़ी हुई मुद्रा-स्फीति ही होती है। क्योंकि सभी प्रकार का कराधान मुद्रा-स्फीति विरोधी होता है। हां, यदि माननीय सदस्य यह कहें कि यह प्रतिगामी है, क्योंकि इससे एक ऐसी वस्तु पर कर लगता है, जिसकी खपत प्रायः घटती बढ़ती नहीं है, तो यह कथन कुछ ठीक हो भी सकता है। मैं इस समय यह कह रहा कि यह कर प्रतिगामी नहीं है, यद्यपि मैं इससे सहमत नहीं हूं कि खपत की बहुत अधिक सीमान्त दर वाले देश में, कपड़े की खपत घटती बढ़ती नहीं है। कपड़े की खपत किसी सीमा तक घटती बढ़ती रही है। मुझे उस समय का पता है जब कि कपड़े का मूल्य काफी ऊंचा था और मैंने भी कपड़ा खरीदना छोड़ दिया था। आप भी पांच छः महीने इसे खरीदना बन्द कर दें, कपड़ा न खरीदे यदि आपकी कमीज फट गयी है तो उसे सी लीजिए। मैंन स्वयं भी ऐसा किया है।

इसलिये इस प्रकार के कपड़े के होते हुए खपत के घटने बढ़ने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। यह सभी आर्थिक सत्य हो सकते हैं, और इन में से प्रत्येक विचार के न्यूनाधिक जिन घटनाओं का हम सामना कर रहे हैं, उससे इनका संबंध होता है। इसलिये हम जिस हल का सुझाव दे रहे हैं निस्संदेह बहुत ही थोड़े समय का हल है। मेरे मित्र श्री मात्तन ने यह ठीक ही कहा है कि मैं अपने कर्त्तव्य से च्युत हो गया हूं, अर्थात् मने कपड़ा उद्योग के संबंध में इस प्रकार की स्थिति का सामना करने के लिये संस्थापित क्षमता में कोई लचीलापन लाने की व्यवस्था नहीं की है। मेरे विचार से मेरे माननीय मित्र श्री भागवत झा आजाद के विचार बिलकुल ठीक नहीं थे, क्योंकि वह उन लोगों में से हैं जिन्होंने सर्व प्रथम मुझ पर आरोप लगाया था। वह मेरे बहुत अच्छे मित्र थे और अब भी मेरे अच्छे मित्र हैं, परन्तु उन्होंने मुझ पर इसलिये आरोप लगाये क्योंकि मैंने कहा था कि कपड़े की खपत बहुत अधिक होगी। यह ठीक है कि मैं इस बात को पहले से ही जान सकता हूं कि कपड़े की खपत बहुत तीव्रता से बढ़ेगी। मेरे मन में इस संबंध में कोई सन्देह नहीं है। उस संबंध में श्री अशोक मेहता द्वारा उठाये मामले की ओर मैं पीछे निर्देश करूंगा। मेरे मित्र श्री भागवत झा आजाद मुझ पर यह प्रभाव डालने में असमर्थ रहे हैं कि वह अर्थशास्त्र के छात्र हैं। उन्होंने कहा : "बहुत अच्छा। संस्थापित क्षमता को बढ़ाइये। परन्तु उस पर मुहर लगा दीजिये। उसे कार्य करन की अनुमति

न दीजिये ताकि जब भी हम चाहें उसे काम में लायें। जो नयी मिलें काम करना चाहें उन्हें तकुवों के लाइसेंस न दिये जांय, अपितु पुरानी मिलों को दिये जांय ताकि आप अपनी रक्षित शक्ति को कायम रख सकें। और जब भी आप उत्पादन बढ़ाना चाहें तो उसे काम में लायें। यह अवस्था ठीक रहती।" अब तो हम इस संकट में हैं कि मुझे अपनी रक्षा करनी है। परन्तु इस संबंध मे हम दोनों इस बात के दोषी हैं कि परिणामों को जानते हुए भी हमने इस मामले में कुछ नहीं किया है।

मैं अपने सहयोगी को, जो इस समय कपड़ा उद्योग के प्रभारी हैं, सलाह दूंगा कि हमें अपने हाथ में कुछ रक्षित क्षमता रखनी चाहिये जिसे किसी अवसर विशेष पर प्रयोग किया जा सके। मैं अब भी अपने माननीय मित्र श्री सै० वें०रामस्वामी से सहमत हूं कि हमारी उपेक्षा से हथकरघा उद्योग को जो सामयिक लाभ पहुंचा है उसे सुरक्षित और कायम रखा जाना चाहिये। परन्तु वह एक प्रासंगिक लाभ ही होना चाहिये और हमें इस प्रकार आयात के लिय तयार रहना चाहिये। हम बुरी तरह से फंस गये हैं। मैं अपने सहयोगी वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री के सहयोग से अपना पूरा प्रयत्न करूंगा। परन्तु इस में समय लगेगा। इसलिये मेरा सुझाव ह कि यह निस्संदेह अल्पकालीन उपचार है, परन्तु यह एकमात्र उपचार नहीं। मुझ से अधिक प्रसन्नता किसी को नहीं होगी जब कि एक मास बाद, जैसा कि मेरा विचार है कि प्रत्येक मास बाद मे मूल्यों का सिंहावलोकन किया करूंगा मुझे यह पता चले कि मूल्य गिर गये हैं और मैं कर को पैसा दो पैसा कम कर सकता हूं, यद्यपि इससे बजट के अन्तर में वृद्धि होती ही चली जायेगी, तो मैं अपने वचन का जरूर पालन करूंगा।

मैं किसी अन्य बात के लिये संभव है कि आपके समक्ष आऊं परन्तु मैं इसे तदर्थ राजस्व प्रयोजनों के लिये काम मेंनहीं लाऊंगा। यदि कीमतें ऊंची न गयीं तो और फिर भी मुझे धन की आवश्यकता हुई, तो मैं आप से आकर स्पष्ट कह दूंगा कि मैं उपभोग वस्तु पर कर लगाना चाहता हूं और वह लाभ को एकत्रित करने अथवा खपत को कम करने के लिए नहीं होगा।

मैं श्री अशोक मेहता की बात पर फिर आता हूं। उन्होंने हमारी नीति के संबंध में कई सामान्य प्रस्थापनायें प्रस्तुत कीं। परन्तु मुझे आशा है कि जब हम योजना पर चर्चा करेंगे तो उनके सुझावों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। साथ ही, यदि मैं अब उन्हें यह बता दूं कि मैं इस वर्ष क्या करना चाहता हूं—क कर, ख कर ग कर आदि लगाना चाहता हूं—तो मेरा विचार है कि अब तक बजट समाप्त हो गया होता। परन्तु मैं इस बात को सहमत हूं कि प्रत्येक कराधान प्रतिकरात्मक होना चाहिये और हमारे समक्ष जो महानतम उद्देश्य है, अर्थात् जो योजना हमारे समक्ष है, वह पूरा होना चाहिये।

मैं एक आश्वासन दे सकता हूं। कोई कहता है कि "तुम तो पूंजीपतियों के मित्र हो", कोई कहता है कि "तुम हथ करघा बुनकरों के मित्र हो", परन्तु वित्त मंत्री को तो किसी का भी मित्र नहीं बनना है। वास्तव में, जैसे ही समय व्यतीत होता जायेगा उसका न पूंजीपतियों मे कोई मित्र होगा और न दूसरे क्षेत्रों में ही कोई मित्र रहेगा यह तो अवश्य होना है, परन्तु इस समय यह वह प्रश्न नहीं जिस पर कि इस दृष्टि से अथवा किसी अन्य दृष्टि से विचार किया जाये। वास्तव में यह तो योजना का प्रश्न है और यदि कोई ऐसा साधन छूट गया है, जहां से कि हमें धन मिल सकता है, तो इसकी कोई चिन्ता नहीं कि वह धन हमें कहां से मिलता है।

इसलिए इस समय मैं इस मामले पर अधिक चर्चा करना नहीं चाहता, क्योंकि यह कराधान अथवा अर्थ नीति पर सविस्तार विचारविनिमय करने का अवसर नहीं है और उचित भी नहीं क्योंकि मैंने अभी इस पर कुछ विचार भी नहीं किया ह, कुछ अनिश्चित विचार ही मेरे मन में हैं। अभी मैं अपने मित्र श्री बंसल की प्रार्थना का भी उत्तर नहीं देना चाहता कि एक आर्थिक विचारधारा का विकास किया जाये। चाहे मेरे माननीय मित्र श्री ही० ना० मुकर्जी यह समझें कि जिसे हम समाजवाद कहते हैं वह आंखों में धूल डालने के लिए है। हो सकता है कि उनका यह विचार ठीक हो कि हमारे लिये लोकतंत्रीय केन्द्रीयकरण करना ही ठीक है, और इससे कोई अच्छी चीज नहीं हो

[श्री कृष्णमाचारी]

सकेगी। यदि मैं यह अनुभव करता हूं कि खपत को रोकने के लिये कीमतें बढ़ाई जानी चाहियें, तो मैं कीमतें बढ़ा दूंगा, क्योंकि सरकार का नियंत्रण होगा। यह एकाधिकारी व्यवस्था हो सकती है और सरकार को सभी अधिकार प्राप्त होंगे। जब हम चाहें कीमतें कम कर देंगे और जब चाहें बढ़ा देंगे। यह ठीक है कि लोकतंत्रीय केन्द्रीकरण उन लोगों को बहुत पसन्द है जिनकी विचारधारा बिस्मार्क की परम्पराओं के अनुकूल है। परन्तु मुझे तो बिस्मार्क के सबंध में कोई विशेष ज्ञान नहीं हैं। अपने माननीय मित्र की एक बात मेरी समझ में नहीं आयी कि किसी समाचार पत्र क जरा कुछ लिख देने पर उन्होंने मुझे लौह चांसलर कहना आरम्भ कर दिया है। परन्तु मैं तो लकड़ी का बना चांसलर भी नहीं हूं। मैं ऐसे एककों का बना हुआ चांसलर हूं जो क्षीण होते जा रहे हैं और मुझे आशा है कि ये एकेक मुझे तब तक कायम रखेंगे जब तक कि मुझ से वित्त मंत्री का कार्य लिया जायेगा। हम यहां बिस्मार्क नहीं हैं। संभव है कि मेरे माननीय मित्र को हमारी सद्भावना पर विश्वास न हो, और न मुझे उनक बदलने की आशा ही है। मुझे खुशी होती यदि मैं उन्हें बदल सकता; परन्तु म अनुभव करता हूं कि यह असम्भव कार्य है।

†**श्री शं० शां० मोरे :** इतने निराशावादी न होइये।

†**श्री कृष्णमाचारी :** और मैं इतना आशावादी नहीं हो सकता जितने कि मेरे मित्र श्री मोरे है। मैं आशावादी इसलिये हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे मित्र हमारी ओर आ रहे है। वह चुनाव की बातें करते हैं और युक्तियां देते हैं कि चुनाव के समय कर नहीं लगाना चाहिये। मुझे प्रतीक्षा करनी चाहिये जिसके लिये मैं तैयार नहीं हूं।

†**श्री शं० शां० मोरे :** श्रीमान, व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के हेतु।

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति।

†**श्री. शं० शां० मोरे :** एक औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में।

†**अध्यक्ष महोदय :** कोई औचित्य प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य पहले मेरी बात सुनें। क्या वह समझते हैं कि बाधा डालने का अधिकार केवल उनको ही प्राप्त है, माननीय मंत्री को उसका उत्तर देने का अधिकार नहीं है। वास्तव में इसे पहले माननीय सदस्य ने आरम्भ किया, और अब माननीय मंत्री ने कुछ कहा तो आप व्यक्तिगत स्पष्टीकरण करना चाहते ह। मैं इन अन्तर्बाधाओं और उत्तरों की अनुमति नहीं दे सकता। जब उन्होंने बात शुरू की तो फिर प्रत्यारोप से घबरात क्यों हैं। उन्हें यह सब बातें बाहर जा कर करनी चाहियें।

†**श्री शं० शां० मोरे :** कृपया इस समय मुझे कुछ स्पष्टीकरण की अनुमति दे दीजिए। यह इतना सरल मामला नहीं है जितना कि.....

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने अन्तर्बाधा डाल कर यह बात प्रारम्भ ही क्यों की। माननीय मंत्री को उनके भाषण से उद्धरण देने का अधिकार है।

†**श्री कृष्णमाचारी :** अब मै श्री अशोक मेहता के भाषण को लेता हूं। जैसा कि मैं ने अभी अभी कहा मैं सामान्य नीति सम्बन्धी इस प्रश्न की, कि क्या हमें खपत को सीमित करना चाहिये या नहीं, विवेचना करना चाहता हूं।

श्री बंसल ने मेरे एक वक्तव्य के एक भाग को सन्दर्भ पृथक करके उसका यह अथ निकाला है कि उपभोग वस्तुओं का विकास जारी रखना चाहिये और वे जनता को उपलब्ध की जायें। वस्तुत: मैं ने कई बार यह कहा है क्योंकि मैं अनुभव करता हूं कि इस देश के कम आय वाले वर्गों से,

---

†मूल अंग्रेजी में

जिनके पास पहले ही आवश्यक वस्तुएं नहीं हैं, यह नहीं कहा जा सकता कि वे अपनी जरूरतें और कम करें। मैं सदा से यह कहता रहा हूं और मैं श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के इस कथन से सहमत हूं कि मितोपभोग तो अमीरों का एक चोंचला ह और वही हमें कह सकते हैं परन्तु फिर भी जब तक हमारा सामर्थ्य नही बढ़ता है हमें उपभोग को कम करना पड़ेगा और प्रतिबन्ध लगाना पड़ेगा।

अतिरिक्त उपभोग को विनियोजन में परिवर्तित करने का विचार योजना के लिये बहुत लाभदायक है परन्तु यह करना कठिन होगा कि किसी विशेष प्रकार के उपभोग को प्रतिबन्धित करके उसका तुरन्त वर्तमान रक्षित विधि में विनियोजन कर दिया जाये। परन्तु इस समय मैं इस विषय के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं उन से पर बात पर सहमत हूं कि बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिन का उपभोग हमें सीमित करना है। यदि हम कपड़े के उपभोग पर प्रतिबन्ध लगा सकें तो हम यह भी करेंगे।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** क्या आप उन श्रमिकों पर भी कर लगाना चाहते हैं जिनकी वार्षिक औसत आय १०४ रुपये है ?

†**श्री कृष्णमाचारी :** मैं कर नहीं लगा रहा हूं। कठिनाई यह है कि इस विधेयक का आशय कराधान नहीं है। यदि इसका मुख्य उद्देश्य कराधान हो तो मैं अवश्य अपराधी हूं। मैं कपड़े पर कर नहीं लगाना चाहता परन्तु किसी प्रकार से इससे बचाव नहीं है।

माननीय सदस्यों ने किन विकल्पों के सुझाव दिये हैं? अतिरिक्त लाभ कर। परन्तु जब मांग और संभरण बराबर नहीं होते तो लाभ को किसी विशेष साधन से अतिरिक्त लाभ कर द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। इससे लाभ होगा या नहीं यह भी निश्चित नहीं है। माल की कमी है और इस कमी से मूल्य अवश्य बढ़ेगा, और यदि मूल्य बढ़ रहे हैं, तो उसका कुछ हिस्सा लिया जा रहा है।

†**एक माननीय सदस्य :** उत्पादन बढ़ायें।

†**श्री कृष्णमाचारी :** मैं इस बात पर माननीय सदस्यों से सहमत हूं। उत्पादन बढ़ाने के लिये मैं प्रत्येक सम्भव प्रयत्न करना चाहता हूं। कठिनाई यह है कि हमने पहले किसी अवसर पर किसी कारण यह निर्णय किया था कि उत्पादन क्षमता को और न बढ़ाया जाये। हमने उत्पादन को रोक लिया है और क्षमता को बढ़ाना बन्द कर दिया है। हम यह ठीक नहीं समझते कि हमारे पास क्षमता रहे चाहे हम उसे काम में लायें या न लायें। सम्भव है कि माननीय सदस्य अब उत्पादन को प्राथमिकता दे रहे हैं। मैं इसे परमादेश मानकर इस बात का ध्यान रखूंगा कि क्षमता बढ़ाई जाये और उस क्षमता से और अधिक वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है। अतः सैद्धान्तिक रूप से तो मैं श्री अशोक मेहता से सहमत हूं क्योंकि उन्होंने जो कुछ कहा है वह ठीक है और उस के परिणामस्वरूप उपलब्ध साधनों का अधिकाधिक विस्तार होता है। परन्तु इस वस्तु विशेष के सम्बन्ध में खपत को प्रतिबन्धित करने का कोई प्रश्न नहीं है। इस समय हम और कुछ नहीं कर सकते। वास्तविकता से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। हम उपभोग को अवश्य बढ़ायेंगे परन्तु इसमें १२ मास लगेंगे।

श्री तारकेश्वरी सिन्हा वस्त्रोद्योग की विशेषज्ञ हैं और वे सदा से ही हमारी नीति का विरोध करती रही है। मैं समझता हूं कि उन्हें मेरी निन्दा करने का अधिकार है और मैं उसे स्वीकार करता हूं क्योंकि उन्होंने मुझे बता दिया है कि मैं जो कुछ करता हूं वह गलत है और इस से कठिनाइयां पैदा होंगी परन्तु श्री भागवत झा आज़ाद को ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं।

†**श्री मोहनलाल सक्सेना** (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी) : मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि चीनी मिलों की भांति स्टॉक मध्यजनों के पास न रहे, बल्कि उपभोक्ताओं तक पहुंच जाये। क्या माननीय मंत्री यह आश्वासन दे सकते हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कृष्णमाचारी :** मेरे माननीय मित्र ने जो बात कही वह प्रस्तुत प्रश्न से कुछ भिन्न है। इसका अर्थ है वितरण पर नियन्त्रण। इस विषय को मैं कुछ समय बाद लूंगा। हम संभरण को तो नहीं बढ़ा सकते। हमें सामान को मिल से थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता और अन्त में उपभोक्ता तक पहुंचाने की प्रक्रिया को विनियमित करना है। मैं शीघ्र ही इस विषय में बताऊंगा।

हम इस से शिक्षा ले सकते हैं। हम क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि समय आने पर हम उसका प्रयोग कर सकें, परन्तु श्री रामस्वामी को इस सम्बन्ध में कोई आशंका नहीं होनी चाहिये। इस क्षमता को हाथकरघा के विरुद्ध काम में लाया जाता है—क्योंकि शक्ति चालित करघों को हथकरघा के विरुद्ध काम में नहीं लाया जायेगा।

अब मैं इस प्रश्न को लेता हूं कि जनता की कठिनाई को दूर करने के लिये हम क्या कुछ कर सकते थे। किसी हद तक हमने स्वयं को इस बात के लिये वाक्बद्ध कर लिया है कि हम नियंत्रण और राशनिंग नहीं कर सकते हैं। तो फिर यही विकल्प रह जाता है कि वस्तु का राशन कर दिया जाये। श्री त्रिपाठी ने कहा कि साड़ियां, धोतियां और लट्ठा उपलब्ध किया जाना चाहिये परन्तु जब तक उनका उत्पादन नहीं बढ़ाया जाता, तब तक जो वह चाहते हैं वह नहीं किया जा सकता है। यदि उत्पादन बढ़ जाता है, तो मैं कह सकता हूं कि इसे इतने मूल्य पर बेचा जाये; केवल इसी के लिये ही नियंत्रण करें। इसका यह अर्थ है कि यह प्रश्न प्रत्येक प्रकार के कपड़े पर लागू नहीं होता है। हमारे पास उत्पादन ही नहीं है। तो फिर विकल्प रहता है केवल नियंत्रण और राशनिंग का। हमें जनता को शिक्षित करने का प्रयत्न करना चाहिये।

हमें यही करना पड़ेगा कि हम जनता से कहें कि वह न अधिक मूल्य दे न खरीदे और अपने उपभोग को स्थगित कर दे। मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूं कि वे लोगों को शिक्षित करें और उन्हें बतायें कि अमुक क्षेत्रों के मूल्य उचित हैं और जनता को इसकी जानकारी दी जानी चाहिये। ऐच्छिक रूप से मांग को कम करके वह अपनी आवश्यकता से कम खरीदें और स से काफी सहायता मिलेगी। बाज़ार में मंदी हो जायेगी और मूल्य अपने आप गिर जायेंगे।

†**श्री शं० शां० मोरे :** क्या सरकार स्वयं अपनी दुकानें खोलने की प्रस्थापना करती है जहां से कि उचित मूल्य पर वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं?

†**श्री कृष्णमाचारी :** कमी के समय उचित मूल्यों वालों दूकानें खोलने से कोई लाभ नहीं है। यदि उचित मूल्य वाली दुकानें खोल दी जाती हैं और प्रत्येक व्यक्ति को ५ या १० गज़ कपड़ा दिया जाने लगता है तो खुदरा विक्रेता इस कपड़े को खरीद कर उचित मूल्य वाली दुकान का सारा माल समाप्त कर देगा। मुझे हथकरघा एम्पोरियम का अनुभव है जहां हम एक निश्चित मूल्य पर माल बेचते रहे हैं और अवहार भी देते रहे हैं। उचित मूल्य वाली दुकान समस्या का हल नहीं है। अब हमारे पास केवल यही साधन है कि हम जनता को अधिक मूल्य न देने को कहें। क्या हम ऐसा कर सकेंगे या नहीं इसकी जांच माननीय सदस्यों को करनी है। यदि इसकी मान्यता सीमित हो तो मैं वह कार्यवाही करने के लिये तैयार हूं।

श्री बंसल, जो सरकार की बड़ी योग्यता से आलोचना करते हैं, इस बार इतने सावधान नहीं रहे हैं। जो आंकड़े मैं ने दिये थे वही उन्होंने लिये हैं और उन्हें प्रतिशतता समझा ह। वे प्रतिशततायें नहीं हैं। उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण की कंडिका १ में जो आंकड़े दिये गये हैं वे प्रतिशततायें नहीं हैं अपितु वे कपड़े की प्रति पौंड लागत और उस रूई की प्रति पौंड लागत के बारे में हैं जिस से कपड़ा बनाया जाता है। अतः उन्होंने जो अन्तर बताया है और जो प्रतिशतता दिखाई है वह ठीक नहीं हैं। परन्तु उनका कहना था कि मिल मालिक लाभ प्राप्त नहीं कर रहा है। सम्भव है कि मिल मालिक उतना लाभ अर्जित न कर रहा हो जितना कि मेरा विचार है; और सम्भव है कि उत्पादन व्यय ही बढ़ गया हो; परन्तु उनके वक्तव्य में एक दो तथ्य ठीक नहीं हैं क्योंकि मेरे विचार से कोयले का मूल्य २६ जून को बढ़ाया गया था और मैं ने केवल जून तक का

---

†मूल अंग्रेजी में

मूल्य बताया ह। कोयले का बढ़ा हुआ मूल्य वर्तमान लागत में सम्मिलित नहीं होगा। एक या दो और बातें भी ऐसी हैं जो उत्पादन व्यय के इतना बढ़ जाने की बात को सिद्ध नहीं करती है। श्री त्रिपाठी की यह शिकायत रही है कि मजूरी नहीं बढ़ाई गई है। इस बात का निर्णय, एक ओर श्री मुरारका और श्री बंसल और दूसरी ओर श्री त्रिपाठी कर सकते हैं।

†**श्री बंसल :** क्या गत वर्ष में कोयले का मूल्य २५ प्रतिशत नहीं बढ़ा है?

†**श्री कृष्णमाचारी :** कोयले का मूल्य एक स्तर विशेष पर निश्चित कर दिया गया है; कोयले का मूल्य न्यायाधिकरण की सिफारिशों के आधार पर बढ़ाया गया था और नये मूल्य २६ जून को लागू किये गये थे। यही अन्तिम तिथि थी। सिफारिश किये जाने के एक मास पश्चात चाहे सरकार आदेश दे या न दे, वे लागू हो जाने को थे। सरकार ने न्यायाधिकरण की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए एक आदेश जारी किया परन्तु कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के अनुसार उस में कुछ परिवर्तन किये गये। सम्भव है कि कोयले के परिवहन की लागत भी उसमें सम्मिलित कर दी गई हो, परन्तु उत्पादन व्यय चाहे कितना ही क्यों न बढ़ गया हो उस से इतनी वृद्धि किये जाने का कोई औचित्य मेरी समझ में नहीं आता है। चार या आठ आने की वृद्धि की बात तो समझ में आ सकती है। परन्तु इस प्रकार की वृद्धि का मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता।

श्री मुरारका ने खुदरा के मूल्यों के बारे में गलत समझा है। बात यह है कि वास्तविक खुदरा मूल्य और उचित खुदरा मूल्य में कम से कम अन्तर है। उचित खुदरा मूल्य खुदरा विक्रेता, थोक विक्रेता के लाभ परिवहन व्यय और विक्रय कर आदि को निकाल कर, नियंत्रण के समय के मूल्यों के आधार पर निश्चित किया गया है। वास्तव में खुदरा मूल्य बहुत अधिक ह। सभी लोगों ने जो लाभ प्राप्त किया है उसका पता इसी अन्तर से चलता है। इस मामले विशेष के लिये मैं मिलों को दोषी नहीं ठहराता हूं। यदि सारा अपराध मिलों का ही है तो मैं अवश्य उन्हें ऐसा करने से रोकने में सफल रहूंगा।

श्री अशोक मेहता ने गृह-कार्य मंत्री को एक नोट भेजा है कि वित्त मंत्री लोक सभा को यह क्यों नहीं बताते कि वह करघों पर शुल्क लगाने के बजाये उत्पादन-शुल्क लगाना ठीक समझते हैं। करघों पर शुल्क लगाना एक अनिश्चित सी बात है। आप करघों पर इतना शुल्क लगा देते हैं और करघे चलाये जाते हैं या नहीं यह भी निश्चित नहीं है। करघों की बजाये उत्पादन पर उत्पादन शुल्क एकत्र करना अधिक उत्तम साधन रहेगा।

डा० कृष्णस्वामी अन्य बातों का उत्तर चाहते थे, परन्तु उन्हों ने जो कुछ कहा वह मेरी समझ में नहीं आया। या तो उन्होंने मेरा दृष्टिकोण और मेरे आंकड़ों को नहीं समझा या मैं ही उनकी बात को नहीं समझ सका। इस बारे में कुछ न कहना ही ठीक है।

महिला सदस्याओं ने साड़ियों के मूल्यों के बढ़ने के बारे में जो तर्क प्रस्तुत किये हैं उनसे मुझे पूरी सहानुभूति है। यदि कुछ किया जा सकता है तो हम उसे अवश्य करेंगे। यदि हथकरघा उद्योग यह माँग कर रहा है कि मिलों में साड़ियों का उत्पादन बिलकुल बन्द कर दिया जाये तो कोई लोग इसके विरुद्ध भी हैं और हम दोनों बात तो एक समय में नहीं कर सकते हैं।

माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का जो विरोध किया है और जो चर्चा की गई है उससे यह लाभ हुआ कि हमें वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो गया है। सर्व प्रथम हम अम्बर चर्खे की सहायता करना चाहेंगे क्योंकि उससे ग्रामीण कारीगरों को धन की प्राप्ति होती है। मुझे उसके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है। इसका परिणाम यह है कि मैं हथकरघा-बुनकर को अम्बर चर्खे से बनाये गये सूत को लेने पर बाध्य करूं और इस अम्बर चर्खे के सूत के लिये मिल के बने सूत की अपेक्षा कुछ अधिक मूल्य देने के लिये कहूं। इसके बाद आता है हथकरघा-बुनकर। हम चाहते

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कृष्णमाचारी]

हैं कि हथकरघा बुनकर समृद्ध हो। इसका अर्थ यह है कि हम मिल के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगायें परन्तु आप चाहते हैं कि मिल का बना सूत हथकरघा बुनकर को उपलब्ध हो, और वह उसके लिये अच्छे मल्य नहीं दे सकता है। इसका अर्थ यह है कि और अधिक मिल क्षमता होनी चाहिये और उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिये (**अन्तर्बाधायें**) इन स्थितियों का किसी ना किसी प्रकार से समायोजन करना ही है।

मेरे विचार से इस चर्चा से यह लाभ अवश्य हुआ है कि इसने हमको मानसिक रूप से विभिन्न कारणों में समायोजन करने के लिये तैयार कर दिया है। उनके लिये मेरी प्रस्थापना यह होगी: मिल क्षमता में वृद्धि होनी चाहिये, परन्तु हमें उस क्षमता को नियंत्रित करना चाहिये। हम अपनी इच्छानुसार क्षमता को बढ़ा लेंगे या प्रतिबन्धित कर देंगे। हाथ के कते सूत और हथकरघा उत्पादन में वृद्धि हो, परन्तु इसके साथ ही यदि हम यह देखें कि अम्बर चर्खे से बनाये गये सूत को काम में लाने के लिये हमें बुनकरों को कुछ अतिरिक्त सहायता देने की आवश्यकता ह, तो हमें मिल के बने सूत पर कुछ थोड़ा सा भार डाल देना चाहिये। अन्ततः यह भार उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। आप इस भार को उद्योग के विभिन्न वर्गों पर बांट नहीं सकते हैं, और फिर यह कहा जाता है कि उपभोक्ताओं को यह मूल्य चुकाना पड़ेगा।

इस विधेयक पर हुई चर्चा से यह बात स्पष्ट हुई है। इस टिप्पणी के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करना चाहूंगा। मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि जहां तक इस मामले में सरकार की सद्भावना का सम्बन्ध है, हम यह अनुभव करते हैं कि हमारे पास अब सिर्फ यही एक साधन रह गया है जिसका कि हम उपयोग कर सकते हैं। इस साधन को पूर्ण विवेक के साथ काम में लाया जायेगा। इसे जन साधारण के हितों के प्रतिकूल काम में नहीं लाया जायेगा। यदि जन साधारण को अधिक मूल्य देना है तो वह उस अधिक मूल्य को हमें दे न कि दलाल को। कम से कम उस अतिरिक्त मूल्य का कुछ भाग तो वह हमें दें। मैं यह बता नहीं सकता कि इसकी प्रतिशतता क्या होनी चाहिये। एक माननीय सदस्य ने **टाइम्स आफ इंडिया** से एक उद्धरण दिया। मेरे पास **भारत ज्योति** का एक उद्धरण है जिसमें कहा गया है कि इसका ५० प्रतिशत मिलों द्वारा ले लिया जायेगा। गत अप्रैल में हुए अनुभव से भी यही पता चलता था कि आधा लाभ मिलों द्वारा ले लिया जायेगा, और शेष आधा भाग, बाद को, मूल्यों के बढ़ने पर ले लिया जायेगा। लेकिन हमें इस पर नजर रखनी चाहिये, और यदि हम इसे बढ़ता पायें तो हम आगे आकर उनसे यह कह दें कि वह इस लाभ को नहीं ले सकते हैं।

इस साधन की वांछनीयता के बारे में जिन माननीय सदस्यों ने आशंकायें प्रकट की हैं उनसे मैं यह निवेदन करूंगा कि हम इस पर कड़ी नज़र रखेंगे, और अगर हम यह देखेंगे की उनकी आशंकायें सत्य होने को हैं, तो, इस बात के अनपेक्ष कि संभरण की कमी और मांग के बढ़ने से स्वतः ही कुछ परिणाम निकलते हैं, सरकार निश्चय ही इस मामले के नियमों में ढिलाई करेगी और इस भार को हल्का करने के लिये सभी आवश्यक कार्यवाही करेगी।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति :** क्या यह उत्पादन शुल्क निर्यात किये जाने वाले कपड़े पर लगाया जायेगा ?

†**श्री कृष्णमाचारी :** जी नहीं, निर्यातों पर कभी कोई कर नहीं लगाया जाता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ :

पक्ष में	२००
विपक्ष में	२७

---

†मूल अंग्रेजी में

खण्ड २—(प्रथम अनुसूची का संशोधन)

†**श्री खू० चं० सोधिया :** चूंकि यह माननीय वित्त मंत्री की व्यक्तिगत इच्छा है, मैं संशोधन वापस लेता हूं ।

†**श्री क० कु० बसु :** (डायमंड हार्बर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १, पंक्ति १४ में प्रतिवर्ग गज के स्थान पर निम्न अंश जोड़ा जाये :

"परन्तु बढ़ा हुआ शुल्क साड़ियों और धोतियों पर लागू नहीं होगा तथा उन पर वर्तमान दर से ही कर लगाया जायेगा ।"

यह साधारण संशोधन है । मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि मोटा कपड़ा ही नहीं अपितु धोतियां और साड़ियां भी इससे मुक्त रखी जायें ।

†**श्री कृष्णमाचारी :** यह सम्भव नहीं ह, क्योंकि कमी मुख्य रूप में धोतियों और साड़ियों की हैं । हम प्रयत्न करेंगे कि हथकरघा उद्योग का उत्पादन बढ़े और कपड़े की कमी दूर हो । अतः हम इससे सर्वथा मुक्त नहीं कर सकते ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सभा के मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १ अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिये गय ।

†**श्री कृष्णमाचारी:** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये"

†**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, ४ सितम्बर १९५६ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[सोमवार, ३ सितम्बर, १९५६] पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव १७६३–६६

१ सितम्बर, १९५६ की अर्धरात्रि को हुई सिकन्दराबाद—द्रोणाचलम् सवारी गाड़ी दुर्घटना के बारे में स्थगन प्रस्ताव, जिनकी पूर्वसूचनायें श्री माधव रेड्डी, श्री म० शि० गुरुपादस्वामी और श्री त० ब० विट्ठल राव द्वारा दी गई थी और अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के प्रस्ताव जिनकी पूर्वसूचना श्री दी० चं० शर्मा तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा दी गई थी, प्रस्तुत करने की अध्यक्ष महोदय ने अनुमति नहीं दी। रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

इसके पश्चात् रेल दुर्घटना में मरे व्यक्तियों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिये सदस्य एक मिनिट तक मौन खड़े रहे।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . १७६६

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :

(१) पिछड़ी जाति आयोग (खंड १–३) के प्रतिवेदन की प्रति और उस पर की गयी कार्यवाही का ज्ञापन

(२) दिल्ली (निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विनियमन, १९५५ में और आगे संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति

(१) अधिसूचना संख्या एफ १ (४)। ५५—एडमन दिनांक ८ फरवरी, १९५६

(२) अधिसूचना संख्या एफ १ (६)। ५५—एडमन दिनांक ५ जून, १९५६

(३) अधिसूचना संख्या एफ१ (३७)। ५६—एडमन दिनांक १९ जून, १९५६।

(३) पाकिस्तान से जिप्सम के आयात के बारे में विवरण की एक प्रति

(४) स्थायी श्रम समिति के पन्द्रहवें सत्र की कार्यवाही के संक्षिप्त ब्यौरे की एक प्रति

राज्य-सभा से सन्देश १७६७

सचिव ने बताया कि राज्य सभा ने अपनी १ सितम्बर, १९५६ की बैठक में लोक-सभा द्वारा २० अगस्त, १९५६ को पारित भारतीय नारियल समिति (संशोधन) विधेयक बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

दैनिक संक्षेपिका

पृष्ठ

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति १७६७

सचिव ने लोक-सभा में बताया कि संसद् की दोनों सभाओं द्वारा चालू सत्र में पारित निम्नलिखित विधेयकों पर पिछले सप्ताह राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गई है :

(१) अन्तर्राज्यिक जल विवाद विधेयक, १९५५

(२) बहु एकक सहकारी संस्थाएं (संशोधन) विधेयक, १९५५

(३) भारतीय लाख उपकर (संशोधन) विधेयक, १९५५

(४) हिन्दू अवयस्कता और संरक्षता विधेयक, १९५३

(५) राज्य पुनर्गठन विधेयक, १९५६

(६) बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य–क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक, १९५६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . १७६७

श्री पुन्नूस ने इण्डियन अल्यूमीनियम कम्पनी लि० अलवाय, त्रावणकोर-कोचीन में हुई हड़ताल की ओर श्रम मंत्री का ध्यान दिलाया । श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

विधेयक पारित १७६८–१८०९

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक संशोधन विधेयक पर विचार रखने का प्रस्ताव वित्त और लोहा तथा इस्पात मंत्री (श्री कृष्णमाचारी) द्वारा प्रस्तुत किया गया । सभा में मत विभाजन हुआ––पक्ष में २०० और विपक्ष में २७ मत आये, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खण्डों पर विचार किया गया और विधेयक पारित किया गया ।

मंगलवार, ४ सितम्बर, १९५६ के लिये कार्यावलि––

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में संविधान (नवां संशोधन) विधेयक पर विचार ।

भा.स.मु.न.—भाग ३—२४८ लोक-सभा ५६—२०-१२-५७—१९०